रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938
No. 471] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 677(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

(ख) "परमाणु खनिज" से अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज अभिप्रेत हैं;

(ग) "तटीय बालू खनिज" से टेरी या तटीय बालू में पाए गए लाभदायक भारी खनिज, जिनके अंतर्गत, इलमेनाइट, रूटाइल, लियोकोक्सीन, गार्नेट, मोनोज़ाइट, तुरसावा (जिरकान) और सिलीमेनाइट भी है, अभिप्रेत हैं;

(घ) "बोर्ड" से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 27 के अधीन गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "विभाग" से केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग अभिप्रेत है;

(च) "निदेशालय" से विभाग के अधीन परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय अभिप्रेत है;

(छ) "अवैध खनन" से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी क्षेत्र में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित खनिज रियायत धारण किए बिना, की गई कोई भूमीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रिया अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) अधिनियम की धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों से भिन्न किन्हीं नियमों का किसी खनन पट्टे के धारक द्वारा खनन पट्टे के क्षेत्र में के अतिक्रमण का अर्थान्वयन अवैध खनन के रूप में नहीं किया जाएगा;

(ख) अवैध खनन की सीमा का अवधारण करते समय, किसी खनिज रियायत के अधीन अनुदत्त क्षेत्र ऐसी खनिज रियायत के धारक द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार से धारित किया हुआ क्षेत्र माना जाएगा;

(ज) "विहित पदार्थों" से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन विहित पदार्थों की सूची में सम्मिलित किए गए खनिज अभिप्रेत हैं;

(झ) "रेल" और "रेल प्रशासन" का क्रमश: वही अर्थ होगा जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में उनका है;

(ञ) "खान साधारण" से खनन पट्टा क्षेत्र के खनिजीकृत जोन से विस्फोटन या खुदाई या झमाई के पश्चात् उसकी प्राकृतिक दशा में अभिप्राप्त कच्ची, अप्रसंस्कृत या असंदलित सामग्री अभिप्रेत है ।

(ट) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ठ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है; और

(ड) "प्रारंभिक मूल्य" से परमाणु खनिज का अयस्क में अंतर्विष्ट विहित पदार्थों के भार की प्रतिशतता के रूप में विनिर्दिष्ट ऐसा ग्रेड अभिप्रेत है जो विभाग द्वारा समय-समय पर **अनुसूची क** में एक या अधिक खनिजों के रूप में या सहचारी रूप में, आने वाले विशिष्ट परमाणु खनिज के लिए प्रारंभिक मूल्य के रूप में विनिर्दिष्ट और अधिसूचित किया जाएगा; और

(ढ) "पूर्ण भारी खनिज" से ऐसे खनिज अभिप्रेत हैं जिनमें इलामेनाइट, रूटाइल, तुरसावा, मोनाजाइट, सिलीमेनाइट, लियोकोक्सीन और गार्नेट है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन उनका है ।

3. लागू होना—(1) ये नियम एक या अधिक अन्य खनिजों में उस रूप में या सहचारी रूप में आने वाले परमाणु खनिजों से संबंधित खनिज रियायतों को ही लागू होंगे परंतु यह तब जबकि ऐसे परमाणु खनिज का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य के बाराबर या उससे अधिक है ।

(2) परमाणु खनिजों से संबंधित खनिज रियायतें, जहां अयस्क में अंतर्विष्ट परमाणु खनिज का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य से कम है, यथावश्यक, परिवर्तनों सहित खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के प्रवृत्त उपबंधों द्वारा शासित होंगी ।

(3) खनिज अंतर्वस्तुओं के साक्ष्य के प्रति प्रारंभिक मूल्य के निर्धारण के अनुसरण में इन नियमों के लागू होने के बारे में अवधारण निदेशालय द्वारा, यथास्थिति, नियम 4 के उपनियम (5) या नियम 6 के उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) यदि एक या उससे अधिक परमाणु खनिज अन्य खनिजों के सहयोजन में उत्पन्न होते हैं किंतु परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य से कम है, तो खनिज संक्रियाओं, प्रसंस्करण या सज्जीकरण से परिणत किन्हीं परमाणु खनिजों को परमाणु खनिजों के संरक्षण के बारे में विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों और रेडियोधर्मिता सुरक्षा के बारे में बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार संभाला जाएगा और उनका व्ययन किया जाएगा ।

4. धारा 4 के दूसरे परन्तुक के अधीन परमाणु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण—(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन अनुज्ञात अभिकरण परमाणु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएं किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के बिना कर सकेंगे और ऐसी पूर्वेक्षण संक्रियाएं **अनुसूची ख** के अनुपालन में की जाएंगी :

IndiaCode

परन्तु जहां पूर्वेक्षण संक्रिया इस उपनियम के अधीन की जानी है, वहां पूर्वेक्षण संक्रिया करने की वांछा रखने वाले अभिकरण राज्य सरकार को उस क्षेत्र की और पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित अवधि की विशिष्टियों के साथ एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

(2) राज्य सरकार ऐसे अनुरोध पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निदेशालय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में एक अधिसूचना उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए जारी करेगी ।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना के जारी किए जाने पर, ऐसे किसी क्षेत्र या उसके भाग के लिए, जिसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण को कोई खनिज रियायत अनुदत्त नहीं करेगी ।

(4) उपनियम (1) के अधीन पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूरी होने पर, पूर्वेक्षण संक्रियाएं करने वाला अभिकरण अपने निष्कर्षों की भूगर्भ संबंधी रिपोर्ट विभाग और राज्य सरकार को **अनुसूची ख** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा और यदि पूर्वेक्षण संक्रिया निदेशालय द्वारा की जाती है तो ऐसी रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी ।

(5) उपनियम (4) के अधीन भू-गर्भ संबंधी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, निदेशालय पूर्वेक्षण क्षेत्र में के परमाणु खनिजों के ग्रेड की तुलना प्रारंभिक मूल्य से करेगा और,—

(क) यदि परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य से कम है, तो निदेशालय भू-गर्भ संबंधी रिपोर्ट की प्रति के साथ एक लिखित संसूचना राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा, जो अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 10ख या धारा 17क और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उस क्षेत्र पर खनिज रियायतें अनुदत्त कर सकेगी;

(ख) यदि परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है तो राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा केवल इन नियमों के अनुसार अनुदत्त किया जाएगा :

परन्तु निदेशालय पूर्वेक्षण संक्रियाओं के संबंध में निदेशालय द्वारा तैयार की गई भू-गर्भ संबंधी रिपोर्टों की भी उपरोक्त रूप में संवीक्षा कराएगा और उसका डाटा खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अनुध्यात कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सौंपेगा ।

(6) यदि निदेशालय का यह निष्कर्ष है कि उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत की गई भू-गर्भ संबंधी रिपोर्ट उपनियम (5) के अधीन अवधारण किए जाने के लिए अपर्याप्त है, तो वह अतिरिक्त जानकारी की ईप्सा कर सकेगा या अतिरिक्त खोज करने का और ऐसे अतिरिक्त डाटा के बारे में, जो निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा और ऐसे निष्कर्ष और डाटा प्राप्त होने पर, निदेशालय उपनियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा ।

(7) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति को, यदि परमाणु खनिज निदेशालय लिखित में इस बात की संसूचना देता है कि पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं; परिसंहृत कर सकेगी ।

अध्याय 2

खनिज रियायतों का पता लगाया जाना और अनुदत्त किया जाना

5. विभाग के कहने पर खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना—(1) जहां निदेशालय द्वारा **अनुसूची ख** में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप तैयार की गई पूर्वेक्षण रिपोर्ट की नियम 4 के उपनियम (5) के उपबंधों के अनुसार परीक्षा किए जाने पर यह उपदर्शित होता है कि परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, वहां राज्य सरकार,—

(क) उस क्षेत्र की पहचान और उसका सीमांकन करेगी जहां किसी खनन पट्टे को वन भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन आने वाले भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि में आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उन प्रमित क्षेत्रों के साथ, खंड (क) के अधीन पहचान किए गए और सीमांकित क्षेत्र पर खनन पट्टा अनुदत्त करने का प्रस्ताव सर्वेक्षण संख्याकों सहित केंद्रीय सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करेगी कि किसी सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम को ऐसा खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे पहचान किए गए क्षेत्र में खनन सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम द्वारा और नियम 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जाना अपेक्षित नहीं है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसा घोषित कर सकेगी और ऐसे मामलों में, उपनियम (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और राज्य सरकार उस क्षेत्र पर कोई खनिज रियायत अधिनियम की धारा 10ख या धारा 11 या धारा 17क, और धारा 13 के अधीन बनाए गए खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015, खनिज

(नीलामी) नियम, 2015, खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 और खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार अनुदत्त कर सकेगी :

परन्तु यह और कि खनन संक्रियाओं के दौरान पता चले परमाणु खनिजों को परमाणु खनिजों के संरक्षण के बारे में विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों और रेडियोधर्मिता सुरक्षा के बारे में बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार संभाला जाएगा और उनका व्ययन किया जाएगा ।

(2) जहां निदेशालय द्वारा **अनुसूची ख** में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप तैयार की गई पूर्वेक्षण रिपोर्ट की नियम 4 के उपनियम (5) के उपबंधों के अनुसार परीक्षा किए जाने पर उपदर्शित होता है कि परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य से कम है, वहां राज्य सरकार उस क्षेत्र पर कोई खनिज रियायत, अधिनियम की धारा 10ख या धारा 11 या धारा 17क और धारा 13 के अधीन बनाए गए खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015, खनिज (नीलामी) नियम, 2015, खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 और खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 नियम भी हैं, के उपबंधों के अनुसार अनुदत्त कर सकेगी :

परन्तु खनन संक्रियाओं के दौरान निकाले गए परमाणु खनिजों को परमाणु खनिजों के संरक्षण के बारे में विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों और रेडियोधर्मिता सुरक्षा के बारे में बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार संभाला जाएगा और उनका व्ययन किया जाएगा।

6. सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम द्वारा खनन—(1) राज्य सरकार द्वारा नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन किए गए अनुरोध के उत्तर में, विभाग राज्य सरकार को पूर्वेक्षण पट्टेदार की उस क्षेत्र में परमाणु खनिजों के ग्रेड के प्रारंभिक मूल्य के बराबर होने या उससे अधिक होने के बारे में पुष्टि के साथ, संसूचना देगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट संसूचना को धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए उस क्षेत्र में परमाणु खनिजों के लिए खनिज अंतर्वस्तुओं की विद्यमानता को दर्शित करने हेतु साक्ष्य माना जाएगा और ऐसी संसूचना को एक प्रति पूर्वेक्षण पट्टेदार को भी भेजी जाएगी।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विभाग यूरेनियम और थोरियम, जिसमें खनिज हों, की दशा में क्षेत्र और निक्षेप-विनिर्दिष्ट प्रारंभिक मूल्यों को अतिरिक्त रूप में अधिसूचित करने के लिए अपने अधिकारों को, जहां-कहीं अपेक्षित हो, आरक्षित रखता है और केन्द्रीय सरकार में के खान मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार को, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, परमाणु खनिजों से सहयोजित एक या अधिक विद्यमान विनिर्दिष्ट खनिज के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(4) पूर्वेक्षण पट्टेदार, उपनियम (2) के अधीन संसूचना की प्रति प्राप्त होने से दो मास के भीतर, राज्य सरकार को, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए एक आवेदन, दस हजार रुपए प्रति किलोमीटर की आवेदन फीस के साथ, प्रस्तुत करेगा।

(5) राज्य सरकार, उपनियम (4) के अधीन सम्यक् रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर पूर्वेक्षण पट्टेदार को खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए संबंधित सरकारी अभिकरणों के यथा अपेक्षित अनुमोदित खनन योजना और अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की संसूचना देगा :

परन्तु पूर्वेक्षण पट्टेदार के सवामित्वाधीन न आने वाली प्राइवेट भूमियों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन सीमांकित क्षेत्र के भीतर उपलब्ध हैं, राज्य सरकार उपनियम (5) के अधीन आदेश जारी करने के दौरान संबंधित प्राइवेट भू स्वामियों की सहमति प्रस्तुत करने या भू-स्थल संबंधी या वैसे ही अधिकार आदि अभिप्राप्त करने के लिए बल नहीं देगी :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार पूर्वेक्षण पट्टेदार से इस बात का एक "वचनबंध" या "शपथपत्र", जिसमें यह कथन हो कि प्राइवेट भू-स्वामी की सहमति या भू-स्थल संबंधी अधिकार अभिप्राप्त कर लिए जाएंगे और उन्हें क्रमबद्ध रीति में राज्य सरकार की, खनन के लिए प्राइवेट भूमि में प्रवेश करने के पूर्व, प्रस्तुत कर दिया जाएगा, अभिप्राप्त करेगी और ऐसी प्राइवेट भूमियों पर, जो पट्टेदार के स्वामित्वाधीन नहीं हैं, सहमति या स्थल संबंधी अधिकार प्राप्त किए बिना, कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार से उपनियम (5) के अधीन ऐसी संसूचना प्राप्त होने पर, पूर्वेक्षण पट्टेदार—

(क) अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार एक खनन योजना तैयार करेगा और उसे धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन निदेशालय के अनुमोदनार्थ उपनियम (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा संसूचना के जारी किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा :

(ख) राज्य सरकार को **अनुसूची ग** में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में या प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राक्कलित संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रतशित के बराबर राशि की एक कार्यपालन प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा, जिस कार्यपालन प्रतिभूति का राज्य सरकार द्वारा खान विकास और उत्पादन करार तथा खनन पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवलंब लिया जा सकेगा;

(ग) कार्यपालन प्रतिभूति को प्रति पांच वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिससे कि वह प्राक्कलित संसाधनों के पुन: निर्धारित मूल्य के 0.50 प्रतिशत के तत्समान बनी रहे;

(घ) संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से अनुमोदन या अनुज्ञापत्र या निराक्षेप या वैसे ही प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा जो खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने की लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हों;

(ङ) इस उपनियम के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार राज्य सरकार के साथ खान विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा; और

(च) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विभाग के पूर्व अनुमोदन से विनिर्दिष्ट की जाएं।

(7) पूर्वेक्षण पट्टेदार, उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार, ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर पूर्वेक्षण पट्टेदार को खनन पट्टा अनुदत्त करने संबंधी आदेश जारी करेगी।

(8) पूर्वेक्षण पट्टेदार उपनियम (7) में पट्टा अनुदत्त करने के आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर खनन पट्टा निष्पादित करेगा और यदि ऐसी कोई विलेख पूर्वेक्षण पट्टेदार की ओर से कोई व्यतिक्रम किए जाने के कारण उक्त अवधि के भीतर निष्पादित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार पट्टा अनुदत्त किए जाने संबंधी आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी और उस दशा में उपनियम (4) के अधीन संदत्त फीस राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(9) खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(क) खनन पट्टा **अनुसूची घ** में विनिर्दिष्ट विधान में होगा;

(ख) ऐसे खनन पट्टे का क्षेत्र वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किया गया है और राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा:

परन्तु परमाणु खनिजों के विकास के हित में सरकारी कंपनी या निगम एक या अधिक परमाणु खनिजों के संबंध में ऐसे एक या अधिक खनन पट्टे, जिनमें धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक क्षेत्र आता है, यदि विभाग द्वारा ऐसा अनुज्ञात किया जाए, अर्जित कर सकेगा;

(ग) यदि प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड में के परमाणु खनिज, अन्य खनिजों के सहयोजन में, विद्यमान हैं, तो ऐसे सभी खनिजों के लिए, जिनके अंतर्गत परमाणु खनिज भी हैं, खनन पट्टा उसी पट्टेदार को अनुदत्त किया जाएगा।

(10) उस अवधि के, जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जाता है, प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिसको सम्यक् रूप से निष्पादित खनन पट्टा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

(11) इन नियमों के अधीन अनुदत्त सभी खनन पट्टे तब तक की अवधि के लिए अनुदत्त किए जाएंगे जब तक कि खान में ऐसे खनिजों की संपूर्ण आरक्षितियां समाप्त नहीं हो जाती हैं:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी सरकारी कंपनी को विहित पदार्थों के, जिनके अंतर्गत यूरेनियम या थोरियम भी है, उत्खनन के लिए अनुदत्त किया गया कोई खनन पट्टा विद्यमान है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह तब तक कि अवधि के लिए अनुदत्त किया गया है जब तक कि खान में ऐसे खनिजों की संपूर्ण आरक्षितियां समाप्त नहीं हो जाती हैं।

(12) राज्य सरकार किसी सरकारी कंपनी या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगम को अनुदत्त किसी विद्यमान खनन पट्टा क्षेत्र में पाए गए किन्हीं नए खनिजों को सम्मिलित नहीं करेगी :

परन्तु नए खनिज को ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए, पट्टेदार संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से विभाग से अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा और विभाग से अनुज्ञा प्राप्त होने के पश्चात् खनन योजना को, जिसके अंतर्गत नए खनिज भी हैं, उपांतरित करेगा और निदेशालय का अनुमोदन लेगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी खनन पट्टे के अनुदत्त किए जाने के पश्चात् किसी क्षेत्र में एक या अधिक खनिज पाए जाते हैं और ऐसे खनिजों को खनन पट्टे में सम्मिलित किया जाता है या कोई पृथक् खनन पट्टा अनुदत्त किया जाता है, वहां सभी खनिजों के लिए पट्टे की अवधियां उस अवधि को, जिस तक प्रथम पट्टा मूल रूप से अनुदत्त किया गया था, एक साथ समाप्त हो जाएंगी ।

7. खनिज रियायत के धारक द्वारा परमाणु खनिजों का पता लगाया जाना—(1) यदि ऐसी किसी खनिज रियायत के, जो धारा 13 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में अनुदत्त की गई है, धारक को किसी परमाणु खनिज का पता चलता है, तो वह ऐसे पता चलने की रिपोर्ट निदेशालय तथा राज्य सरकार को उस प्ररूप में देगा जो विभाग द्वारा विहित किया जाए ।

(2) निदेशालय, उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रियायत क्षेत्र में के परमाणु खनिजों के ग्रेड की प्रारंभिक मूल्य से तुलना करेगा और —

(क) यदि परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य से कम है तो खनिज रियायत में उसकी संक्रियाएं जारी रखी जा सकेंगी; या

(ख) यदि परमाणु खनिजों का ग्रेड प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है तो, —

(i) भूमीक्षण अनुज्ञा की दशा में, जो 12 जनवरी, 2015 के पूर्व अनुदत्त की गई थी, ऐसी भूमीक्षण अनुज्ञा का धारक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और तत्पश्चात् खनन पट्टा प्राप्त करने का उस दशा में पात्र होगा यदि वह कोई सरकारी कंपनी या विभाग द्वारा अनुमोदित कोई निगम है;

(ii) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की दशा में, जिसके अंतर्गत धारा 10क के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा भी है, ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक खनन पट्टा उस दशा में प्राप्त करने का पात्र होगा यदि वह कोई सरकारी कंपनी या विभाग द्वारा अनुमोदित कोई निगम है;

(iii) खनन पट्टे की दशा में, पट्टेदार उस विशिष्ट खनिज के लिए जिसके लिए खनन पट्टा विभाग के पूर्व अनुमोदन से अनुदत्त किया गया था, खनन जारी रखेगा और विभाग द्वारा इनकार किए जाने की दशा में खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा, जैसे ही राज्य सरकार को इस आशय की सूचना मिलती है, समाप्त कर दिया जाएगा :

परन्तु खनन संक्रियाओं के दौरान पता चले परमाणु खनिजों को परमाणु खनिजों के संरक्षण के बारे में विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों और रेडियोधर्मिता सुरक्षा के बारे में बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार संभाला जाएगा और उनका व्ययन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार भूमीक्षण अनुज्ञा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति समाप्त कर देती है या यदि राज्य सरकार खनन पट्टा विभाग द्वारा इनकार किए जाने के आधार पर समाप्त कर देती है तो राज्य सरकार, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के धारक को ऐसी राशि का, जैसी उसकी राय में, यथास्थिति, ऐसे भूमीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं पर उपगत व्यय के उचित प्राक्कलन को दर्शाती हो, संदाय करेगा ।

(3) यदि निदेशालय उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को उपनियम (2) के अधीन अवधारण करने के लिए अपर्याप्त पाता है, तो वह खनिज रियायत के धारक से अतिरिक्त जानकारी की ईप्सा कर सकेगा या खनिज रियायत के धारक को खोज जारी रखने का निदेश दे सकेगा और ऐसे अतिरिक्त डाटा के बारे में, जो निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट ऐसे निष्कर्ष और डाटा प्राप्त होने पर, निदेशालय उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा ।

अध्याय 3

परमाणु खनिजों के लिए खनिज योजना

8. खनन योजना—(1) नियम 6 के उपनियम (7) के अधीन अनुदत्त किसी खनन पट्टे के संबंध में कोई खनन संक्रियाएं ऐसी खनन योजना के अनुसार, जो निदेशालय द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में अनुमोदित की गई है, ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) यदि नियम 6 के उपनियम (7) के अधीन अनुदत्त कोई खनन पट्टा परमाणु खनिजों से भिन्ना खनिजों के लिए भी है, तो पट्टेदार खनन पट्टे में विनिर्दिष्ट सभी खनिजों के लिए, जिनके अंतर्गत परमाणु खनिज भी हैं, एक समेकित खनन योजना तैयार करेगा और ऐसे किसी मामले में, समेकित खनन योजना केवल निदेशालय द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में अनुमोदित की जाएगी ।

(3) समेकित खनन योजना अनुमोदन के लिए, निदेशालय के निदेशक को उस क्षेत्र के, जिस पर पट्टे के लिए आवेदन किया गया है आनुपातिक आधार पर एक हजार रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की अप्रतिदेय फीस के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) निदेशालय, खनन योजना के अनुमोदन संबंधी आवेदन का निपटारा सम्यक् रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा :

परन्तु यदि निदेशालय आवेदन को अपूर्ण पाता है और किसी उपांतरण की अपेक्षा करता है तो ऊपरवर्णित अवधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको पूरा भरा गया आवेदन पुन: प्रस्तुत किया जाता है ।

(5) खनन योजना में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,—

(i) पट्टाधृत क्षेत्र की योजना जिससे खनिज निकाय की प्रकृति और विस्तार दर्शित होता हो;

(ii) क्षेत्र के भू-गर्भीय और प्रस्तरीय ब्यौरे, जिनके अंतर्गत क्षेत्र की खनिज आरक्षितियां भी हैं,

(iii) हस्तसाधित खनन या मशीनरी और यांत्रिक युक्तियों के प्रयोग द्वारा खनन की सीमा;

(iv) उस क्षेत्र की योजना, जिसमें प्राकृतिक जल मार्गों, आरक्षितियों और अन्य वन्य क्षेत्रों और वृक्षों की सघनता, यदि कोई हो, वन पर खनन क्रियाकलापों के प्रभाव के निर्धारण, भू-सतह को दर्शित किया गया हो और पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वायु और जल प्रदूषण भी है, वन रोपण भूमि उद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों के प्रयोग और ऐसे अन्य उपायों द्वारा, जिन्हें विभाग या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, क्षेत्र को पुन: स्थापित करने की स्कीम के ब्यौरे;

(v) खनन की एक अनंतिम स्कीम और पांच वर्ष के लिए वर्षानुवर्ष उत्खनन का वार्षिक कार्यक्रम और योजना;

(vi) राज्य सरकार से प्रमित क्षेत्र या आबंटित क्षेत्र जो भू-कर मानचित्र में चिन्हित हो;

(vii) धारा 18 के अधीन बनाए गए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में यथा उपबंधित प्रगामी खान बंदीकरण योजना; और

(viii) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसका निदेशालय खनन योजना में उपबंध करने की अपेक्षा करे ।

(6) खनन योजना निदेशालय द्वारा उपबंधित प्ररूप के अनुसार बनाई जाएगी ।

(7) खनन योजना को एक बार अनुमोदित कर दिए जाने पर, उसका सम्यक् रूप से निष्पादित खनन पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन बनाया जाएगा:

परंतु खनन योजना में के किसी उपांतरण का खनन योजना के अनुमोदन से संबंधित इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा और उपांतरित खनन योजना का ऐसा अनुमोदन अगले पांच वर्ष की अवधि तक विधिमान्य बना रहेगा ।

(8) पट्टेदार, उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पांच वर्ष के अवसान के एक सौ अस्सी दिन पूर्व, अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए खनन संक्रियाएं करने हेतु एक खनन योजना प्रस्तुत करेगा ।

(9) खनन पट्टे का धारक अनुमोदित खनन योजना में, कारबार के वातावरण में के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए या सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से खनन, खनिजों के संरक्षण के हित में, पर्यावरण की संरक्षा, उत्पादन में वृद्धि, पट्टा क्षेत्र में वृद्धि या कमी के लिए, सज्जीकरण की प्रक्रिया में हुए भारी परिवर्तनों के कारण या किसी अन्य कारण से, जो खनन पट्टे के धारक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे उपांतरणों की ईप्सा कर सकेगा जो समीचीन समझे जाएं और खनन योजना में के किसी उपांतरण का निदेशालय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

9. खनन योजना का तैयार किया जाना—(1) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रत्येक खनन योजना ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो अर्थात्:—

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्थान भी हैं, खनन इंजीनियरी में डिग्री या भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था से और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समतुल्य अर्हता; और

(ख) डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन के क्षेत्र में पर्यवेक्षणीय हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

(2) खनन योजना में उपांतरण खनन योजना तैयार करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे।

(3) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि खनन योजना निदेशालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट रूपविधान के अनुसार तैयार की जाए।

अध्याय 4

खनन पट्टे के निबंधन और शर्तें

10. शर्तें—(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त प्रत्येक खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा अर्थात्:—

(क) पट्टेदार सभी समय अधिनियम, नियमों और सभी अन्य विधियों के उपबंधों का, जिनके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) भी है, अनुपालन करेगा;

(ख) पट्टेदार सरकार और विभाग को पट्टा क्षेत्र में पाए गए ऐसे किसी खनिज का, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट न हो, पता चलने के साठ दिन के भीतर उसकी लिखित में रिपोर्ट देगा;

(ग) यदि ऐसे किसी खनिज का, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टाधृत क्षेत्र में पता चलता है, तो पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक खान से नहीं निकालेगा और उसका व्ययन नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता है या उसके लिए एक पृथक् पट्टा अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है;

(घ) पट्टेदार, पट्टे के प्रथम वर्ग के सिवाय, प्रत्येक वर्ष के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे अनिवार्य भाटक को संदाय करेगा और यदि पट्टे में उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों को खनित करने की अनुज्ञा दी गई हो तो राज्य सरकार ऐसे खनिज के संबंध में पृथक् अनिवार्य भाटक प्रभारित नहीं करेगी:

परन्तु पट्टेदार—

(i) सभी खनिजों के संबंध में सकल स्वामिस्व का; या

(ii) उच्चतम मूल्य के खनिज के लिए अनिवार्य भाटक का, इनमें से जो भी उच्चतर हो,

संदाय करने के लिए दायी होगा;

(ङ) पट्टेदार, उसके द्वारा खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भू-स्थल क्षेत्र के लिए भू-स्थल भाटक और जल रेट का ऐसी दर पर, जो भू-राजस्व से अधिक न हो, और भूमि पर निर्धार्य ऐसे उपकरों का भी, जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे में विनिर्दिष्ट किए जाएं, संदाय करेगा;

IndiaCode

(च) पट्टेदार खनन संक्रियाएं, खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, प्रारंभ करेगा और तत्पश्चात् ऐसी संक्रियाएं समुचित, कौशलपूर्ण रूप से और कुशलता से करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "खनन संक्रियाओं" के अंतर्गत खान को खनित करने के संबंध में मशीनरी का परिनिर्माण, ट्रामपथ बिछाना या किसी सड़क का निर्माण भी आता है;

(छ) अधिनियम, नियमों और किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार को, उसे पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में, उस भूमि पर खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए—

(i) खानों में खनित कार्य करने और खनन संक्रियाएं करने,

(ii) गड्ढों और कूपकों को दबाने और भवन तथा सड़कों का निर्माण करने;

(iii) संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण करने;

(iv) भवन और सड़क सामग्रियों को खोदने और अभिप्राप्त करने तथा ईंट बनाने;

(v) जल का प्रयोग करने तथा काष्ठ लेने;

(vi) चट्टा लगाने के प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने;

(vii) ऐसी कोई अन्य चीज़, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट हो, करने,

का अधिकार होगा;

(ज) पट्टेदार, अपने स्वयं के खर्चों पर, ऐसे सीमा चिह्नों और स्तंभों का, जो पट्टे से उपाबद्ध खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को उपदर्शित करने के लिए आवश्यक हों, परिनिर्माण करेगा और उन्हें सभी समयों पर अनुरक्षित और अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा ।

(झ) पट्टेदार सीमा स्तंभों का निर्माण और उन्हें निम्नलिखित रूप में बनाए रखेगा:—

(क) पट्टा क्षेत्र के प्रत्येक किनारे में एक सीमा स्तंभ (किनारे का स्तंभ) होगा;

(ख) किनारे के स्तंभों के बीच अंतर्वर्ती सीमा स्तंभों का इस प्रकार परिनिर्माण किया जाएगा कि प्रत्येक स्तंभ उसके किसी भी ओर अवस्थित सामीप्य स्तंभ से दृष्टिगोचर हो;

(ग) दो सामीप्य स्तंभों के बीच का अंतर पचास मीटर से अधिक का नहीं होगा;

(घ) स्तंभ सतह के ऊपर पिरामिड छिन्नक आकार के और सतह के नीचे घनाभ (क्यूबोइड) आकार के होंगे;

(ङ) प्रत्येक स्तंभ, पुन:प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का होगा;

(च) किनारे के स्तंभों का आधार 0.30 मीटर x 0.30 मीटर का तथा ऊंचाई 1.30 मीटर की होगी, जिसमें 0.70 मीटर भू-स्थल से ऊपर और 0.60 भू-स्थल के नीचे हो;

(छ) मध्यवर्ती स्तंभों का आधार 0.25 मीटर x 0.25 मीटर का होगा और ऊंचाई 1.0 मीटर होगी जिसमें 0.70 मीटर भू-स्थल से ऊपर और 0.30 मीटर भू-स्थल के नीचे हो;

(ज) सभी स्तंभों को पीले रंग से पेंट किया जाएगा और उनके ऊपरी दस सेंटीमीटर को लाल रंग से इनेमल पेंट द्वारा पेंट किया जाएगा और सीमेंट कंक्रीट से दरारों को भरा जाएगा;

(झ) किनारे के सभी स्तंभों पर, आगे और पीछे के स्तंभों की दूरी तथा अक्षांश और रेखांश को चिन्हित किया जाएगा;

IndiaCode

(ञ) प्रत्येक स्तंभ पर दक्षिणावर्त (दाएं से बाएं) दिशा में क्रम संख्यांक होंगे और वह संख्यांक स्तंभों पर उत्कीर्णित किया जाएगा;

(ट) स्तंभ का संख्यांक पट्टे में के कुल संख्यांकों पर व्यष्टिक स्तंभ का संख्यांक होगा;

(ठ) किनारे के सभी सीमा स्तंभों के सिरे पन्द्रह सेंटीमीटर के वर्गाकार में होंगे जिस पर दस सेंटीमीटर व्यास का एक स्थायी गोला पेंट से खींचा जाएगा या उत्कीर्णित किया जाएगा और वास्तविक सीमा बिंदु नब्बे डिग्री पर खींचा गया दो व्यासीय काट बिंदु होगा;

(ड) पट्टा सीमा सर्वेक्षण, भूल की ऐसी सीमाओं के अध्यधीन, सही होगा जो निदेशालय के निदेशक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ढ) स्तंभों की अवस्थिति और संख्यांक भू-स्थल में और पट्टेदार द्वारा बनाई गई अन्य योजनाओं में भी दर्शाया जाएगा; और

(ण) पट्टे के भीतर वन्य क्षेत्र की दशा में, सीमा स्तंभों का आकार और सन्निर्माण तथा रंग राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार होगा;

(त) पट्टेदार किसी रेल पथ से पचास मीटर की दूरी के भीतर किसी बिंदु पर संबंधित रेल की लिखित अनुज्ञा से और उसके अनुसार या किसी रज्जुमार्ग या रज्जुमार्ग ढांचे या स्टेशन के नीचे या तले में उस प्राधिकारी की, जिसके स्वामित्वाधीन रज्जु मार्ग है, लिखित अनुज्ञा से और उसके अनुसार या किसी जलाशय, नहर या अन्य लोक संकर्मों अथवा भवनों से राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा से और उसके अनुसार कोई खनन संक्रियाएं करेगा अथवा करने की अनुज्ञा देगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, रेल, जलाशय या नहर की दशा में पचास मीटर की दूरी, यथास्थिति, तट के बाहरी सिरे से या कटाव के बाहरी किनारे से क्षैतिज आधार पर और किसी भवन की दशा में उसके कुर्सी क्षेत्र से क्षैतिज आधार पर मापी जाएगी;

(ट) पट्टेदार, ग्राम सड़कों की दशा में, जिनके अंतर्गत राजस्व अभिलेख में ग्राम सड़क के रूप में दर्शाया गया कोई ट्रेक भी है, उपायुक्त अथवा कलक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अुनज्ञा से ही कटिंग के बाहरी किनारे के दस मीटर की दूरी के भीतर कोई कार्य करने की और अन्यथा ऐसे साधारण अथवा विशेष निदेशों, निबंधनों और परिवर्धनों, जो ऐसी अनुज्ञा के साथ संलग्न हों, के अनुसार ही अनुज्ञा देगा, अन्यथा नहीं;

(ठ) पट्टेदार, ऐसा शुद्ध और सही लेखा रखेगा जिसमें खान से अभिप्राप्त और प्रेषित सभी खनिजों की मात्रा और अन्य विशिष्टियां, उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या तथा राष्ट्रीयता और खान की पूरी योजना दर्शित की गई हो और विभाग या निदेशालय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी समय उसके द्वारा बनाए रखे गए किसी लेखा, योजना तथा अभिलेख की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी जानकारी और विवरणियां प्रस्तुत करेगा जैसी उसके या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए :

परन्तु विहित पदार्थों वाले खनिजों की दशा में, ऐसी जानकारी और विवरणियां केवल निदेशालय के निदेशक को प्रस्तुत की जाएंगी;

(ड) पट्टेदार, पट्टे के अधीन उसके द्वारा की गई खनन संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके द्वारा बनाई गई समस्त, खाइयों, गड्ढों तथा ड्रिलों के शुद्ध अभिलेख रखेगा तथा उनका निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुज्ञात करेगा और ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्:-

(i) अवमृदा और वह स्तर जिसमें खाइयां, गड्ढे या ड्रिलें गुजरी हैं;

(ii) पता चले खनिजों के ब्यौरे;

(iii) ऐसी अन्य विशिष्टियां जिनकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे;

(ढ) पट्टेदार, यथास्थिति, रेल प्रशासन या संबंधित राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में, खान के किसी भाग को, जिसको जिसकी राय में किसी रेल, जलाशय, नहर, सड़क या किन्हीं अन्य लोक संकर्मों या भवनों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ बनाना या अवलंब देना अपेक्षित है, सुदृढ़ बनाएगा या उसे अवलंब देगा ।

(ण) पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को पट्टे में समाविष्ट) किसी भवन, उत्खनन या भवन में, उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने की अनुज्ञा देगा;

(त) जब कभी खनन कार्य भूमि में की टेरियों में या अन्य खनिजों से सहयुक्त परमाणु खनिज वाले भूमि में के टेरियों या क्षेत्रों में उपलब्ध तटीय बालू, खनिज निक्षेप या भारी खनिज निक्षेपों के लिए किया जाता है, तो पट्टेदार खनित खनिजों की सूची के अभिलेख और ब्यौरे, खनन पद्धति तथा खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर इन खनिजों के भंडारण की अवस्थिति, ऐसे खनिजों के टन भार, खनिज विज्ञान, स्व-स्थाने खनिज अंतर्वस्तुओं के संबंध में ऐसे खनिजों के संरक्षण मद्धे संपूर्ण सामग्री संतुलन के ब्यौरे बनाए रखेगा :

परन्तु तटीय बालू खनिजों की दशा में, वाणिज्यिक हित के एक या अधिक भारी खनिजों के तटीय बालू खनिजों से अधिमानी पृथक्करण के परिणामस्वरूप अन्य खनिजों और परमाणु खनिजों की, जिनके अंतर्गत तटीय बालू में रह गया मोनाजाइट भी है, सापेक्ष अंतर्वस्तु में सर्वदा वृद्धि हो जाएगी और पट्टेदार— (i) अपशिष्ट तथा खनन और खनिज सज्जीकरण क्रियाकलापों के दौरान पैदा हुए अवशिष्टों की मात्रा के ब्यौरे भी बनाए रखेगा; (ii) भंडारण की अवस्थिति का ब्यौरा योजनाओं और रजिस्टरों में स्पष्ट रूप से बनाए रखेगा (iii) पट्टेदार ऐसी सामग्रियों का विभाग द्वारा परमाणु खनिजों के संरक्षण के बारे में दिए गए पूर्व अनुमोदन और बोर्ड द्वारा रेडियोधर्मिता सुरक्षा के बारे में जारी किए गए निदेशों के बिना अंतरण या विक्रय या व्ययन नहीं करेगा;

(थ) पट्टेदार नियोजन के मामले में उन जनजातियों और व्यक्तियों को अधिमान देगा जो खनन संक्रियाएं किए जाने के कारण विस्थापित हो गए हैं;

(द) पट्टेदार भू-स्थल के अधिभोगी को ऐसे प्रतिकर का संदाय करेगा जो इन नियमों के अधीन संदेय हो;

(ध) राज्य सरकार अथवा किसी पट्टेदार अथवा राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को —

(i) पट्टाधृत भूमि में प्रवेश करने का अधिकार होगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए उस पर अथवा आर-पार कोई रेल पथ, ट्राम पथों, सड़क मार्गों अथवा पाइपलाइनों का निर्माण करने का और ऐसे रेल पथों, ट्राम पथों, सड़कों अथवा किन्हीं विद्यमान रेल पथों और सड़कों को बनाने, उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उक्त भूमि से, पत्थर, गारा, मिट्टी और अन्य सामग्रियां प्राप्त करने का अधिकार होगा; और

(ii) ऐसे किन्हीं रेल पथों, ट्राम पथों, रोड लाइनों और अन्य मार्गों के ऊपर से अथवा उसके साथ-साथ, हर समय, घोड़ों, पशुओं या अन्य जीव-जन्तुओं या ठेलों, वैगनों, वाहनों, सहित या उनके बिना सभी प्रयोजनों के लिए गुजरने की अनुज्ञा देगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य पट्टेदार अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता और शक्ति का प्रयोग करते हुए पट्टेदार की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई विशेष अवरोध अथवा हस्तहक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य पट्टेदार अथवा व्यक्ति द्वारा सारभूत अवरोध अथवा हस्तक्षेप के कारण पट्टेदार को कारित सभी हानि, अथवा, नुकसान के लिए परस्पर सहमति के अनुसार अथवा असहमति की स्थिति में राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार उचित प्रतिकर दिया जाएगा;

(न) पट्टेदार धारा 11ख के अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।

(2) खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ट की जा सकेंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक समझी जाएं, अर्थात्:—

(क) भाटकों और स्वामिस्वों के संदाय की समय सीमा, ढंग और स्थान;

(ख) पट्टे के अंतर्गत आने वाली भूमि को हुए नुकसान के लिए प्रतिकर;

(ग) वृक्षों का गिराया जाना;

(घ) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में सतही संक्रियाओं पर निर्बंधन;

(ङ) सतही अधिभोग के लिए पट्टेदार द्वारा सूचना;

(च) उचित तौल मशीनों का उपबंध;

(छ) आरक्षित अथवा संरक्षित वन में प्रवेश और कार्य;

(ज) गड्ढों और कूपकों को सुरक्षित रखना;

(झ) दुर्घटनाओं की रिर्पोट करना;

(ञ) अन्य पक्षकारों के दावों के प्रति सरकार की क्षतिपूर्ति;

(ट) पट्टे के अभ्यर्पण, समाप्ति अथवा पर्यवसान पर भूमि और खानों के कब्जा का परिदान;

(ठ) खनन पट्टे की समाप्ति या शीघ्र पर्यवसान या अभ्यर्पण अथवा परित्याग के पश्चात् पट्टाधृत क्षेत्र से खनिज, अयस्क, संयंत्र, मशीनरी और अन्य संपत्तियों को हटाने की समय सीमा;

(ड) पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् शेष बची संपत्ति का समपहरण;

(ढ) युद्ध अथवा आपातकाल की दशा में संयंत्र, मशीनरी, परिसरों और खानों का कब्जा लेने की शक्ति;

(ण) पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र से उद्भूत विवादों से संबंधित सिविल वादों अथवा याचिकाओं का फाइल किया जाना।

(3) राज्य सरकार, विभाग के पूर्व अनुमोदन से अथवा विभाग के कहने पर, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जैसी परमाणु खनिजों या अन्य खनिजों से सहयुक्त परमाणु खनिजों वाले क्षेत्रों के विकास के हित में आवश्यक हों।

(4) यदि पट्टेदार उपनियम (1) के खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ण) के अधीन प्रवेश अथवा निरीक्षण करने की अनुज्ञा नहीं देता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को लिखित में सूचना देकर उसे सूचना में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस बात का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न उसके पट्टे का पर्यावसान कर दिया जाए और यदि पट्टेदार, राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में पूर्वोक्त समय के भीतर कारण बताने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार विभाग की सम्यक् अनुज्ञा से पट्टे को पर्यवसित कर सकेगी।

(5) यदि खनन पट्टा धारण करने वाले पट्टेदार को अवैध खनन का सिद्धदोष ठहराया जाता है तथा किसी भी न्यायालय का, किसी भी न्यायालय में ऐसे दोषसिद्धि के विरुद्ध लंबित अपील में ऐसी दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबित रखने संबंधी कोई ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है, तो राज्य सरकार, ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जा सकती हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले और पट्टेदार को संसूचित किए जाने वाले कारणों से, ऐसे खनन पट्टा को विभाग की सम्यक् अनुज्ञा से पर्यवसित करने का विकल्प अपना सकेगी।

(6) यदि पट्टेदार, धारा 9 द्वारा यथा अपेक्षित स्वामिस्व का संदाय अथवा धारा 9क द्वारा यथा अपेक्षित अनिवार्य भाटक का संदाय अथवा धारा 9ख या धारा 9ग द्वारा यथा अपेक्षित धनराशि के संदाय में कोई व्यतिक्रम करता है अथवा इन नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का भंग करता है, तो राज्य सरकार पट्टेदार को सूचना देगी, जिसमें सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, यथास्थिति, स्वामिस्व अथवा अनिवार्य भाटक का संदाय करने अथवा भंग का उपचार करने की अपेक्षा करेगी और यदि उक्त अवधि के भीतर स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक का संदाय नहीं किया जाता है अथवा भंग का उपचार नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हैं, विभाग की पूर्व अनुज्ञा से पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी और कार्यपालन प्रतिभूति को पूर्णत: अथवा भागत: समपहृत कर सकेगी।

11. राज्य सरकार द्वारा परमाणु खनिजों वाले क्षेत्रों के लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना—(1) परमाणु खनिजों वाले ऐसे किसी क्षेत्र के लिए जिसके संबंध में निदेशालय द्वारा प्रारंभिक मूल्य के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति- सह-खनन पट्टा अनुदत्त करने की नीलामी प्रक्रिया करने के पूर्व, राज्य सरकार निदेशालय को नीलाम किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की विशिष्टियों को, भौगोलिक रिपोर्ट और ऐसे अन्य जानकारी को, जो सुसंगत हो, विनिर्दिष्ट करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) निदेशालय, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर, नियम 4 के उपनियम (5) के अनुसरण में निर्धारण कराएगा और नियम 4 के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

12. बाध्यताओं का उल्लंघन करने या उन्हें पूरा न करने के संबंध में कार्रवाई—(1) खनन पट्टा विलेख के अधीन की बाध्यताओं या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किए जाने या उन्हें पूरा न किए जाने की दशा में, राज्य सरकार के पास विभाग को संसूचना देते हुए, समुचित कार्रवाई करने का अधिकार, जिसके अंतर्गत खनन पट्टे का पर्यवसान करने या खनन पट्टे के धारक द्वारा जमा कराई गई कार्यपालन प्रतिभूति की रकम को, पूर्णत: या भागत:, समपहृत करने का अधिकार भी है, आरक्षित है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश पट्टेदार को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) यदि पट्टेदार इसके अधीन या पट्टा विलेख के अधीन की अपनी बाध्यताओं को, उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर, निभाने या उनका पालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार उनका पालन करवा सकेगी और पट्टेदार, राज्य सरकार को, इस बारे में राज्य सरकार द्वारा उपगत सभी व्ययों का, मांग किए जाने पर, संदाय करेगा और राज्य सरकार का ऐसे व्ययों के संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) यदि पट्टेदार इसके अधीन या खनन पट्टे के अधीन किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पूरा किए जाने में असफल रहता है, तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का पट्टेदार के विरुद्ध, जहां तक ऐसी असफलता सुसंगत सरकार द्वारा अपरिहार्य घटना से उद्भुत हुई मानी गई हो, कोई दावा नहीं होगा या उसे पट्टे का भंग नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम में "अपरिहार्य घटना" पद से अभिप्रेत है ऐसा दैवकृत, युद्ध, विप्लव, बल्वा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, ज्वार, तूफान, ज्वारीय लहरें, बाढ़, तड़ित चालन, विस्फोट, आग, भूकंप और कोई अन्य घटना जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से रोक नहीं सकता अथवा नियंत्रित नहीं कर सकता है।

(4) यदि पट्टेदार इसके अधीन या खनन पट्टे के अधीन के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में अपरिहार्य घटना के कारण कोई विलंब हुआ है, तो ऐसे विलंब की अवधि को इन नियमों या खनन पट्टे द्वारा नियत की गई अवधि में जोड़ दिया जाएगा।

अध्याय 5

व्यपगमन, अभ्यर्पण अथवा पर्यवसान

13. खनन पट्टे का व्यपगत होना—(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खनन पट्टा उस दशा में व्यपगत हो जाएगा, जहां कि खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाए आरंभ नहीं की जाती हैं या ऐसी सक्रियाओं के प्रारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दी जाती हैं।

(2) खनन पट्टे के व्यपगत होने को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के माध्यम से लेखबद्ध किया जाएगा और उसकी संसूचना पट्टेदार को भी दी जाएगी।

(3) जहां कोई पट्टेदार खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ है या खनन प्रक्रियाओं के बंद रहने के कारण उसके नियंत्रण से परे हैं, तो वह ऐसी दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां पट्टेदार उपर्युक्त नियत समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है, वहां पट्टा दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन में विस्तारपूर्वक निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा,—

(क) ऐसे कारण, जिनसे पट्टेदार के लिए खनन संक्रियाएं आरंभ करना या ऐसी संक्रियाएं जारी रखना संभव नहीं हो पाया;

(ख) वह रीति, जिससे ऐसे कारण पट्टेदार के नियंत्रण से परे हैं, और

(ग) वे उपाय, जो ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए हैं।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक लाख रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

(6) राज्य सरकार, खनन संक्रियाओं के प्रारंभ न किए जाने या उनके बंद होने के कारणों की पर्याप्तता और सत्यता की परीक्षा करने के पश्चात्, उपनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या उस तारीख से, जिसको खनन पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाता इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे अनुरोध को मंजूर करने या नामंजूर करने संबंधी आदेश पारित करेगी :

परंतु राज्य सरकार के ऐसे आदेश की, जिसमें यह संसूचित किया जाए कि खनन पट्टा व्यपगत नहीं हुआ है, तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसा, खनन संक्रियाएं आरंभ करने या उन्हें जारी रखने में असमर्थ रहने पर खनन पट्टा व्यपगत हो जाएगा।

(7) राज्य सरकार, खनन पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर खनन पट्टे के धारक द्वारा किए गए आवेदन पर और खनन संक्रियाओं के आरंभ न किए जाने या उनके बंद रहने के कारणों की पर्याप्तता और सत्यता के बारे में यह समाधान होने पर कि यह खनन पट्टे के धारक के नियंत्रण के बाहर के कारणों से हुआ था, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि भीतर खनन पट्टे को ऐसी भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तारीख से, जो वह उचित समझे, पुनर्जीवित कर सकती है किंतु खनन पट्टे के व्यपगत होने की तारीख के पूर्व ऐसा नहीं किया जाएगा :

परंतु कोई भी खनन पट्टा, खनन पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान दो बार से अधिक पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।

(8) उपनियम (7) के अधीन खनन पट्टा पुनर्जीवित करने हेतु किए गए आवेदन में विस्तारपूर्वक निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :

(क) ऐसे कारण, जिनसे पट्टेदार के लिए खनन संक्रियाएं आरंभ करना या ऐसी संक्रियाएं जारी रखना संभव नहीं हो पाया;

(ख) वह रीति जिसमें ऐसे कारण पट्टेदार के नियंत्रण में नहीं हैं, और

(ग) वे उपाय, जो ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए हैं:

परन्तु राज्य सरकार आवेदन के संबंध में ऐसी अतिरिक्त सूचना, दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों की, जिनकी वह अपेक्षा करे, ईप्सा कर सकेगी।

(9) उपनियम (7) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक लाख रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

(10) राज्य सरकार को, उक्त खनन पट्टे के, जो व्यपगत हो गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन संबंधी उपाय करने के लिए पट्टेदार की कार्यपालन प्रतिभूति को प्रवर्तित करने का अधिकार होगा।

(11) पट्टेदार, राज्य सरकार द्वारा उस खनन पट्टे के, जो व्यपगत हो गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन संबंधी उपाय करने के लिए कार्यपालन प्रतिभूति से अधिक और उससे ऊपर उपगत किए गए किसी खर्च का संदाय करेगा।

14. खनन पट्टे का अभ्यर्पण किया जाना—(1) पट्टेदार, अभ्यर्पण की आशयित तारीख से बाहर कैलेण्डर मास से अन्यून की लिखित सूचना देने के पश्चात्, खनन पट्टे के सम्पूर्ण क्षेत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन के साथ अनुमोदित अंतिम खान बंदी योजना संलग्न की जाएगी:

परंतु पट्टेदार खनन पट्टे के क्षेत्र के एक भाग के अभ्यर्पण के लिए आवेदन केवल उस दशा में कर सकता है, यदि पट्टेदार खनन पट्टे की किन्हीं शर्तों का पालन करने में असमर्थ है।

(2) खनन पट्टे के क्षेत्र के एक भाग का अभयर्पण करने की दशा में, खनन पट्टे का न्यूनतम क्षेत्र तदनुसार समायोजित हो जाएगा।

(3) राज्य सरकार भागिक क्षेत्र का अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा विभाग के पूर्व अनुमोदन से देगी।

(4) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन खनन पट्टे के अभ्यर्पण की अनुज्ञा उस दशा में देगी यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्:—

(क) पट्टेदार ने निदेशालय के निदेशक द्वारा अनुमोदित अंतिम खान बंदी योजना के क्रियान्वयन, जिसके अंतर्गत संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन संबंधी कार्य भी है, की पुष्टि करने संबंधी निदेशालय के निदेशक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) खनन पट्टे के संबंध में सभी शोध्यराशियां का हिसाब कर दिया गया है।

(5) खनन पट्टे के संपूर्ण क्षेत्र के अभ्यर्पण की दशा में, पट्टेदार द्वारा दी गई कार्यपालन प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी।

(6) पट्टेदार, राज्य सरकार द्वारा उस खनन पट्टे के, जिसे अभ्यर्पित कर दिया गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन के उपाय करने के लिए कार्यपालन प्रतिभूति से अधिक और उससे ऊपर उपगत किसी खर्च का संदाय करेगा।

15. पर्यवसान—(1) धारा 4क की उपधारा (1) या इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी खनन पट्टे के पर्यवसान की दशा में, राज्य सरकार को उस क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन उपाय करने के लिए पट्टेदार की कार्यपालन प्रतिभूति प्रवृत्त कराने का अधिकार होगा।

(2) पट्टेदार, ऐसे खनन पट्टे के, जो पर्यवसित हो गया है, पट्टाधृत क्षेत्र में संरक्षात्मक, सुधारात्मक और पुनर्वासन संबंधी उपाय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति से अधिक और उससे ऊपर उपगत किसी खर्च का संदाय करेगा।

(3) पट्टेदार, इसके अधीन अथवा पट्टा विलेख के अधीन संदेय भाटकों, रेटों और स्वामिस्वों का संदाय करने के पश्चात्, पट्टे की अवधि के समाप्त अथवा पर्यवसित होने पर या उसके पश्चात् छह कैलेण्डर मास के भीतर, इनमें से जो भी पूववर्ती हो, अपने स्वयं के फायदे के लिए, पट्टा के चालू रहने के दौरान उत्खनित सभी या किसी अयस्क खनिजों, इंजन, मशीनरी, संयंत्र, भवनों, ढांचों, ट्राम, पथ, रेल पथ और अन्य संकर्मों, परिनिर्माणों और सुविधाओं को ले सकेगा या हटा सकेगा जो पट्टाधृत भूमि में या उस पर पट्टेदार द्वारा परिनिर्मित की गई हो, स्थापित की गई हों या रखी गई हों और जिन्हें पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है अथवा जिसे राज्य सरकार क्रय करने की वांछा नहीं रखती है :

परन्तु इस उपनियम के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे यदि पट्टा पट्टेदार के व्यतिक्रम के कारण पर्यवसित कर दिया जाता है।

(4) यदि पट्टा, पट्टेदार के व्यतिक्रम के कारण पर्यवसित किया जाता है, तो वह उपनियम (3) के फायदे का दावा न तो तीन कैलेंडर मास के अपूर्व और न ही छह कैलेंडर मास के अपश्चात् किसी समय करने का हकदार होगा।

(5) यदि पट्टा अवधि की समाप्ति अथवा पर्यवसान के छह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर, पट्टाधृत भूमि में या पर कोई अयस्क या खनिज, मशीनरी, संयंत्र, भवन, ढांचों, ट्राम, पथ, रेल पथ, और अन्य संकर्म, परिनिर्मितियां और सुविधाएं अथवा ऐसी अन्य संपत्ति बनी रहती हैं जिनकी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा के अधीन धारित किसी अन्य भूमि में संक्रियाओं के संबंध में पट्टेदार को आवश्यकता नहीं है तो यदि उन्हें हटाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के एक कैलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाता है तो वह राज्य सरकार की संपत्ति हो गई मान ली जाएंगी और उनका इस संबंध में पट्टेदार की क्षतिपूर्ति अथवा हिसाब देने के दायित्व के बिना, विक्रय अथवा व्ययन ऐसी रीति में किया जा सकेगा जैसी राज्य सरकार उचित समझे।

अध्याय 6

प्रतिकर

16. सतही अधिकारों, आदि के स्वामी को प्रतिकर का संदाय—(1) किसी खनिज रियायत का धारक, जिस पर वह रियायत धारण करता है, उस भूमि के सतह के अधिभोगी को ऐसे वार्षिक प्रतिकर का, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, उपनियम (2) से उपनियम (6) में उपबंधित रीति से संदाय करने के दायित्वधीन होगा।

(2) कृषि भूमि के मामले में उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिकर की रकम की गणना, पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए, उसी प्रकार की भूमि पर खेती से शुद्ध वार्षिक आय के औसत के आधार पर की जाएगी।

(3) गैर-कृषि भूमि के मामले में उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिकर की रकम की गणना, पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लिए, उसी प्रकार की भूमि के लिए वार्षिक किराया मूल्य के औसत के आधार पर की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिकर, ऐसी तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(5) खनिज रियायत का धारक ऐसे प्रतिकर के संदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के उपबंधों का क्रियान्वयन कर सकेगा।

(6) यदि ऐसे किसी नुकसान के लिए, जिसके पट्टे की प्रस्तावित संक्रिया से उद्भूत होने की संभावना है, प्रतिकर की कोई प्रस्थापना प्राप्त होने के पश्चात्, उक्त भूमि के किसी भाग के स्थल का अधिभोगी राज्य सरकार को आरक्षित और खनन पट्टे द्वारा अनुदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रति अपनी सहमति देने से इनकार कर देता है, तो पट्टेदार उस मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित रकम उसके पास जमा कराएगा और यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिकर की रकम युक्तियुक्त है या यदि उसका उस बारे में समाधान नहीं होता है और पट्टेदार ऐसी अतिरिक्त रकम, जितनी राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, उसके पास जमा करा देता है, तो राज्य सरकार अधिभोगी को उक्त भूमि पर प्रवेश करने और ऐसी संक्रियाएं करने के लिए, जो पट्टे के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं, अनुज्ञात करने का आदेश करेगी।

(7) ऐसे प्रतिकर की रकम का निर्धारण करने में, राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबंधों से मार्गदर्शित होगी।

(8) जब कभी प्राइवेट पट्टा भू-स्वामी पट्टेदार को अपनी भूमियों पर लघु अवधि के लिए सतही संक्रियाएं करने के प्रति सहमति देते हैं, तो उक्त लघु अवधि के लिए प्रतिकर की रकम की संगणना परस्पर करार पाए गए निबंधनों और शर्तों के आधार पर की जाएगी।

(9) उपनियम (8) में निर्दिष्ट प्रतिकर की रकम का निर्धारण राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(10) पट्टेदार द्वारा संबंधित भू-स्वामी को प्रतिकर की रकम का संदाय, प्राइवेट भूमि पर सहमति के अनुसार लघु अवधि के लिए सतही संक्रियाएं करने और सतही संक्रियाएं पूरी होने के पश्चात् उक्त प्राइवेट भूमि वापस सौंपने का कार्य पट्टेदार और प्राइवेट भू-स्वामी के बीच परस्पर करार पाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(11) पट्टेदार पट्टा भू स्वामी की सहमति अभिप्राप्त किए बिना सतही संक्रियाएं करने के लिए प्राइवेट पट्टा भूमियों में प्रवेश नहीं करेगा।

17. नुकसान के लिए प्रतिकर का निर्धारण—(1) खनिज रियायत के पर्यवसान के पश्चात्, राज्य सरकार, यथास्थिति, भूमीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं द्वारा भूमि को हुए नुकसान का, यदि कोई हो, निर्धारण करेगा और खनिज रियायत धारक द्वारा सतही भूमि के अधिभोगी को संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्धारण खनिज रियायत के पर्यवसान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और वह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय 7

संदाय

18. फीस और निक्षेप कैसे किया जाएगा—अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई रकम, नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षण याचिका और नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन खनन योजना के संबंध में संदेय रकम को छोड़कर, ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

19. ब्याज का संदाय—राज्य सरकार, अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 23 के उपनियम (2) और नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन संदेय फीस से भिन्न या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा किसी खनिज रियायत की निबंधनों और शर्तों के अधीन उस सरकार का शोध्य अन्य राशि पर ऐसे स्वामिस्व, भाटक, फीस अथवा अन्य राशि के भुगतान के संदाय के लिए उस सरकार द्वारा नियत तारीख की समाप्ति के साठवें दिन से और तब तक जब तक कि ऐसे स्वामिस्व, भाटक, फीस अथवा अन्य राशि का संदाय नहीं कर दिया जाता है, चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

20. खनन पट्टे के अधीन संदाय—(1) पट्टेदार, राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9 में विनिर्दिष्ट रीति में स्वामिस्वों का और अधिनियम की धारा 9क में विनिर्दिष्टि अनिवार्य भाटक का संदाय करेगा ।

(2) पट्टेदार, पट्टे के प्रथम वर्ष के सिवाय, प्रत्येक वर्ष के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक अनिवार्य भाटक का संदाय करेगा और यदि पट्टे में उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों को खनित करना अनुज्ञात है तो राज्य सरकार प्रत्येक खनिज के संबंध में पृथक् अनिवार्य भाटक प्रभारित नहीं करेगी :

परन्तु पट्टेदार —

(i) सभी खनिजों के संबंध में सकल स्वामिस्व का; या

(ii) उच्चतम मूल्य के खनिज के लिए अनिवार्य भाटक का,

इनमें से जो भी उच्चतर हो, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(3) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त सतही क्षेत्र के लिए ऐसे सतही भाटक और जल रेट का, ऐसी दर पर, जो भू-राजस्व से अधिक न हो, और भूमि पर निर्धार्य ऐसे उपकर का भी, जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे में विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करेगा ।

21. धारा 9ख और धारा 9ग के अधीन के संदाय— नियम 20 में विनिर्दिष्ट संदायों के अतिरिक्त, खनन पट्टे के धारक से धारा 9ख और धारा 9ग और उससे संबंधित नियमों के उपबंधों के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को धन का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ।

22. प्रसंस्करण के अध्यधीन के खनिजों की दशा में स्वामिस्व का प्रभारण—(1) यदि खान साधारण के खनिज का प्रसंस्करण पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर किया जाता है तो स्वावमिस्व पट्टाधृत क्षेत्र से निकाले गए प्रसंस्कृत खनिज पर प्रमार्य होगा ।

(2) यदि खान साधारण के खनिज को पट्टाधृत क्षेत्र से ऐसे प्रसंस्करण संयंत्र में ले जाया जाता है जो पट्टाधृत क्षेत्र के बाहर स्थित है, तो स्वामिस्व अप्रसंस्कृत खान साधारण के खनिज पर प्रभार्य होगा न कि प्रसंस्कृत उत्पाद पर ।

23. खनिजों पर मूल्यानुसार आधार पर स्वामिस्व के संदाय की रीति— (1) खान का प्रत्येक स्वामी, उसका अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, संविदाकार या उपपट्टेदार खनिजों पर स्वामिस्व की उस दशा में जहां ऐसा स्वामिस्व मूल्यानुसार आधार पर प्रभारित किया जाता है, रकम की संगणना उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

(2) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में सभी परमाणु खनिजों के लिए विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न खनिजों के लिए राज्यवार यथा प्रकाशित विक्रय कीमत, उस राज्य में किसी खान में किसी मास के दौरान किसी समय उत्पादित किसी खनिज के संबंध में स्वामिस्व की संगणना करने संबंधी विक्रय कीमत होगी और स्वामिस्व की संगणना नीचे दिए सूत्र के अनुसार की जाएगी :

स्वामिस्व = ∑परमाणु ऊर्जा विभाग/भारतीय खान ब्यूरो/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित खनिज की विक्रय कीमत (ग्रेडवार और राज्यवार) x स्वामिस्व की दर (प्रतिशतता में) x प्रेषित (पट्टाधृत क्षेत्र से हटाई गई) विशिष्ट ग्रेड के खनिज की कुल मात्रा :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट खनिज के लिए, किसी राज्य के लिए किसी विशिष्ट मास की सूचना राज्य सरकार और विभाग द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है तो राज्य में उस खनिज के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचना निर्दिष्ट की जाएगी, जिसके न होने पर खनिज के लिए अखिल भारतीय नवीनतम सूचना पर विचार किया जाएगा ।

अध्याय 8

पुनरीक्षण

24. पुनरीक्षण के लिए आवेदन—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा परमाणु खनिज रियायतों के विनियमन के संबंध में और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए पारित किसी आदेश से; अथवा

(ख) खंड (क) में कोई विनिर्दिष्ट आदेश उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित न करने से,

व्यथित है तो वह उसे आदेश की संसूचना दिए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर या उस तारीख को, जिसको ऐसा आदेश पारित करने की समयावधि की समाप्त हो गई है, विभाग को धारा 30 के अनुसरण में **अनुसूची ड.** में आदेश पारित करने के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

(2) आवेदन के साथ आवेदन फीस के रूप में किसी अनुसूचित बैंक पर वेतन एवं लेखा अधिकारी, विभाग, मुंबई को देय दस हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए अथवा विभाग के अभिहित बैंक खाते में बैंक अंतरण के द्वारा वह फीस दी जानी चाहिए:

परंतु कोई ऐसा आवेदन तीन मास की उक्त अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि आवेदक केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास समय के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) उपनियम (1) के अधीन खनिज रियायत अनुदत्त करने से इनकार करने संबंधी राज्य सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध प्रत्येक आवेदन में, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत खनिज रियायत अनुदत्त की गई थी, पक्षकार बनाया जाएगा ।

(4) आवेदक, उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ उसकी उतनी प्रतियां प्रस्तुत करेगा जितने उपनियम (3) के अधीन पक्षकार बनाए गए हैं ।

(5) केन्द्रीय सरकार, आवेदन तथा उसकी प्रतियों की प्राप्ति पर, उपनियम (3) के अधीन पक्षकार बनाए गए प्रत्येक पक्षकार को आवेदन की एक प्रति, वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगी जिसको या जिसके पूर्व वह पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध अपने अभ्यावेदन, यदि कोई है, कर सकेगा :

परन्तु जहां पुनरीक्षण आवेदन इस कारण फाइल किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार को मामले में सुने जाने या अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करेगी ।

25. पुनरीक्षण आवेदन पर आदेश—(1) नियम 24 के अधीन पुनरीक्षण संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर उसकी प्रतियां राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को और सभी आलिप्त पक्षकारों को, उनमें यह मांग करते हुए अग्रेषित की जाएंगी कि वे संसूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर अपनी टिप्पणियां, जो वे करना चाहते हैं, भेजें और राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी और आलिप्त पक्षकार, केन्द्रीय सरकार को टिप्पणियां भेजते समय, टिप्पणियों की एक प्रति अन्य पक्षकारों को भी साथ-साथ पृष्ठांकित करेंगे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी पक्षकार से प्राप्त टिप्पणियां अन्य पक्षकारों को संसूचना जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त टिप्पणियां करने के लिए, जो वे करना चाहे, अग्रेषित की जाएंगी और अतिरिक्त टिप्पणियां करने वाले पक्षकार ऐसी अतिरिक्त टिप्पणियां अन्य सभी पक्षकारों को अग्रेषित करेंगे ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट पुनरीक्षण आवेदन टिप्पणियों तथा प्रति- टिप्पणियों वाली संसूचनाएं मामले का अभिलेख गठित करेंगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेख पर विचार करने के पश्चात्, आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगी या उस संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार न्यायसंगत और समुचित समझे ।

(5) केन्द्रीय सरकार पुनरीक्षण संबंधी आवेदन का अंतिम निपटारा होने तक, पर्याप्त कारणों से, उस आदेश के निष्पादन पर, जिसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन किया गया है, रोक लगा सकेगी ।

(6) यदि किसी दशा में राज्य सरकार के आदेशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन की कार्यवाहियों के अनुसरण में पुनरीक्षित, पुनर्विलोकित या रद्द कर दिया जाता है, तो पट्टेदार पट्टा विलेख द्वारा पट्टेदार को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए पट्टेदार को हुई किसी हानि के लिए प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

26. प्रकट त्रुटियों को सुधारने की शक्ति—इस नियम के अधीन सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में लिपिकीय अथवा अंकगणितीय त्रुटि तथा संयोगवश कोई भूल अथवा अनवधानता से हुई चूक या लोप के कारण उसमें की किसी त्रुटि को आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर, यथास्थिति, सरकार, प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा संशोधित किया जाएगा :

परंतु किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया गया हो ।

27. सरकार को पट्टों तथा वार्षिक विवरणियों की प्रतियां प्रदान किया जाना—(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक खनन पट्टे की एक प्रति प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुदत किए जाने अथवा नवीकृत किए जाने के दो मास के भीतर निदेशालय के निदेशक तथा महानिदेशक, खान सुरक्षा को प्रदान की जाएगी ।

(2) इन नियमों के अधीन अनुदत्त सभी खनन पट्टों की एक समेकित वार्षिक विवरणी प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निदेशालय के निदेशक तथा महानिदेशक, खान सुरक्षा को, उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में उस वर्ष से, जिससे विवरणी संबंधित है, अगले वर्ष जून मास के तीसवें दिन के अपश्चात् प्रदान की जाएगी ।

28. नाम, पते में परिवर्तन की सूचना का दिया जाना—खनन पट्टे का धारक परमाणु ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर अपने नाम, पते अन्य विशिष्टियों में हुए किसी परिवर्तन की सूचना **अनुसूची च** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में देगा ।

29. राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाना—जहां किसी मामले में, अधिनियम या इन नियमों के अधीन, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, वहां ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन, राज्य सरकार के माध्यम से, केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा ।

30. विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं—(1) खान का प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक, विभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित, खनन, भू-विज्ञान और खनिज प्रसंस्करण संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं या विद्यार्थियों को अनुसंधान करने अथवा उनके द्वारा संचालित खानों और संयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्जित करने के लिए अनुज्ञा देगा और समस्त आवश्यक सुविधाएं, जो ऐसे विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगा ।

(2) खनन, भू-विज्ञान अथवा खनिज प्रसंस्करण शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों से अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण संबंधी आवेदनों को खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा अनुसंधान या व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने से इनकार किए जाने के मामले को सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को तीस दिन की अवधि के भीतर उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

31. विभाग को भू-भौतिकी आंकड़े प्रदाय किया जाना—(1) यथास्थिति, खनन पट्टे का धारक या पूर्वेक्षण संक्रियाएं करने वाला कोई व्यक्ति परमाणु खनिज अन्वेषणों से संबंधित सभी सूचनाएं, जो खोज और खनन संक्रियाओं के दौरान उसके द्वारा एकत्रित की गई हों, निदेशालय के निदेशक को, महानिदेशक, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण को और उस राज्य के, जिसमें खनन संक्रियाएं की गई हों, भू-विज्ञान और खनन निदेशक को दी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट डाटा अथवा सूचना खनन पट्टे की कालावधि के प्रारंभ होने की तारीख से गणना किए गए प्रत्येक वर्ष में दी जाएगी ।

32. रजिस्टर—इन नियमों के अधीन अनुदत्त खनन पट्टों का रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा **अनुसूची छ** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में बनाए रखा जाएगा, जिस तक क्रमश: परमाणु खनिजों के संरक्षण को सुनिश्चित करने और रेडियोधर्मिता सुरक्षा विनियमों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए पहुंच, जब कभी अपेक्षित हो, निदेशालय, विभाग और बोर्ड की होगी ।

33. पट्टों का समामेलन—(1) राज्य सरकार, खनिज विकास के हित में, और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी पट्टेदार द्वारा धारित दो या अधिक पार्श्वस्थ पट्टों के समामेलन की अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु समामेलित पट्टे की अवधि उस पट्टे के, जिसकी अवधि पहले समाप्त हो जाती है साथ ही समाप्त हो जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे समामेलन के लिए विभाग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ पर खनन पट्टों के समामेलन के संबंध में लंबित आवेदन का निपटारा इन नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

34. सतह से नीचे सीमाएं—खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमाएं सतह से नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर नीचे की तरफ उर्ध्वाकर रूप में होंगी ।

35. लंबित आवेदन— इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित आवेदन, जो अधिनियम और इन नियमों से असंगत नहीं है, का निपटारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

36. अनुसूची क का संशोधन करने की विभाग की शक्ति—विभाग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, **अनुसूची क** का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में संशोधन कर सकेगा, जिससे कि प्रारंभिक मूल्य का संशोधन किया जा सके ।

अध्याय 10

शास्ति

37. दंड— इन नियमों का कोई उल्लंघन ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से और लगातार उल्लंघन किए जाने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् जारी रहता है, पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अनुसूची क

परमाणु खनिजों के लिए प्रारंभिक मूल्य की विशिष्टियां

[नियम 2(1) (ड) और नियम 36 देखिए]

1.	बेरिल और अन्य बेरिलियमधारी खनिज	शैल का 0.1% बीई.ओ(1000 पी.पी.एम. बीईओ) या उत्खनित सामग्री में टन 10 कि.ग्रा./टन बेरिल
2.	लीथियमधारी खनिज	ब्राइन (200 पी.पी.एम. एलआई, अर्थात् प्रति टन 200 ग्रा.एलआई) के सिवाय, अयस्क में 0.5%(5,000 पी.पी.एम.) एल आई$_2$ओ
3.	'दुर्लभ मृदा' समूह के खनिज, जिनमें यूरेनियम और थोरियम अंतर्विष्ट है	अयस्क में 60 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$ और/या 250 पी.पी.एम. टीएचओ$_2$
4.	नायोबियमधारी खनिज	अयस्क में 100 पी.पी.एम.(एनबी+टीए)$_2$ओ$_5$(100 ग्रा./टन)
5.	फास्फोराइट और अन्य फास्फेटी अयस्क, जिनमें यूरेनियम अंतर्विष्ट है	अयस्क में 60 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$
6.	पिचब्लैंड और अन्य यूरेनियम अयस्क	अयस्क में 60 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$, सिवाय झारखंड में सिंहभूम शीयर क्षेत्र में, जहां कि आरंभिक मूल्य अयस्क में 150 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$ होगा
7.	टाइटेनियमधारी खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रुटाइल और लियोकोक्सीन)	कठोर शैल में पाए जाने वाले टाइटेनियमधारी खनिजों की दशा में, शैल में 60 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$ और/या 250 पी.पी.एम. टीएचओ$_2$ बालू-तट खनिजों और मोनेज़ाइट से सहयुक्त अन्य जमा निक्षेपों में पाए जाने वाले टाइटेनियमधारी खनिजों की दशा में कुल भारी खनिज में 0.75% मोनेज़ाइट
8.	टेन्टेलमधारी खनिज	अयस्क में 100 पी.पी.एम.(टीए+एनबी)$_2$ओ$_5$(100 ग्रा./टन)
9.	यूरेनीफेरस ऐलैनाइट, मोनेज़ाइट और अन्य थोरियम खनिज	बालू तट खनिज में और अन्य जमा निक्षेपों में कुल भारी खनिज में 60 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$ और/या 250 पी.पी.एम. टीएचओ$_2$ और/या 0.75% मोनेज़ाइट
10.	तांबा और स्वर्ण के निष्कर्षण के पश्चात् अयस्कों के बचे हुए यूरेनियमधारी अवशिष्ट, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्क)	60 पी.पी.एम. यू$_3$ओ$_8$ और/या 250 पी.पी.एम. टीएचओ$_2$
11.	जिर्कोनियम, जिसमें जिर्कोन सहित खनिज और अयस्क होते हैं ।	बालू तट खनिज में मोनेज़ाइट से सहयुक्त पाए जाने वाले जिर्कोनियम की दशा में, जिसमें जिर्कोन सहित खनिज और अयस्क होते हैं, कुल भारी खनिजों में 0.75% मोनेज़ाइट। अन्य दशाओं में, जिर्कोन, जिसमें 200 पी. पी. एम. हफनियम अंतर्विष्ट है ।

IndiaCode

अनुसूची ख

परमाणु खनिजों के खनिजीकरण की विद्यमानता स्थापित करने के लिए पैरामीटर

[नियम 4(1), नियम 4(4), नियम 5(1) और नियम 5(2) देखिए]

भू-वैज्ञानिक निर्धारण— भू-वैज्ञानिक निर्धारण का प्रयोजन किसी विनिधान अवसर को परिभाषित करने की दृष्टि से साध्यता निर्धारण के लिए खनिज निक्षेप के खनिजीकरण की पहचान करना, उसकी निरंतरता, क्वालिटी और मात्रा को स्थापित करना है। आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन साधारणतया आरंभ में यह उपदर्शित करने वाली उपधारणाओं द्वारा किया जाता है कि निक्षेप में हित अंतर्भूत है।

भाग-1: स्पष्टीकरण—(1) किसी खनिज निक्षेप की खोज में आवश्यक रूप से चार कार्यवाहियां अंतर्वलित होती हैं, अर्थात्, भूमीक्षण सर्वेक्षण(जी4), प्रारंभिक खोज(जी3), साधारण खोज(जी2) और विस्तृत खोज(जी1)। ये संसाधन और आरक्षित प्रवर्ग प्रदान करते हैं जिनसे भू-वैज्ञानिक आश्वासन की ऐसी बढ़ती हुई मात्रा प्रतिबिंबित होती है जिसे संबंधित भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों में दस्तावेजीकृत किया जा सकता है।

(2) उस क्षेत्र का विस्तार, जिसमें खोज की जानी है, स्थलाकृति, उपलब्ध समय और अपेक्षित ब्यौरों के स्तर पर निर्भर करते हुए, खोज की एक कार्यवाही को एक अन्य या अधिक कार्यवाहियों के साथ मिलाया जा सकता है।

(3) भूमीक्षण सर्वेक्षण (जी4) प्रमुखतः क्षेत्रीय भू-वैज्ञानिक अध्ययनों, क्षेत्रीय भू-वैज्ञानिक मानचित्रण, वायु-वाहित और अप्रत्यक्ष पद्धतियों, प्रारंभिक क्षेत्र निरीक्षण तथा भू-वैज्ञानिक अनुमान और बहिर्वेशन के आधार पर वर्धित खनिज संभाव्यता संबंधी क्षेत्रों की पहचान करता है। इसका उद्देश्य ऐसे खनिजीकृत क्षेत्रों की पहचान करना है जो निक्षेप की पहचान करने के लिए अतिरिक्त अन्वेषण करने योग्य हैं।

(4) प्रारंभिक खोज(जी3) आशाजनक वर्धित खनिज संभाव्यता संबंधी क्षेत्रों को सीमित करके किसी खनिज निक्षेप की खोज करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें उपयोग की गई पद्धतियां हैं, दृश्यांश पहचान, भू-वैज्ञानिक मानचित्रण और अप्रत्यक्ष पद्धतियां जैसे भू-भौतिकी और भू-रासायनिक अध्ययन। किसी निक्षेप की पहचान करने के लिए नमूना लेने हेतु सीमित चौड़ाई वाले स्थान पर पिटिंग या ट्रेंचिंग या ड्रिलिंग, जो कि आगामी खोज के लिए लक्ष्य होगा। मात्राओं के प्राक्कलन का अनुमान भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी, भू-रासायनिक और भू-तकनीकी अन्वेषणों के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है।

(5) साधारण खोज (जी2) (पूर्वेक्षण) में किसी परिलक्षित निक्षेप का आरंभिक सीमांकन अंतर्वलित होता है। इसमें प्रयुक्त पद्धतियों में सतह मानचित्रण, पिटिंग या ट्रेंचिंग या ड्रिलिंग जिसके बाद खनिज की मात्रा और क्वालिटी के मूल्यांकन के लिए नमूना लेना (जिसके अंतर्गत यदि आवश्यक हो, तो प्रयोगशाला मापमान पर खनिज-विज्ञान संबंधी परीक्षण भी हैं) और अन्वेषण की अप्रत्यक्ष पद्धतियों पर आधारित सीमित बहिर्वेशन है। इसका उद्देश्य, किसी निक्षेप की निरंतरता का युक्तियुक्त संकेत देते हुए और आकार, रूप, ढांचे और श्रेणी का आरंभिक प्राक्कलन प्रदान करते हुए उसके मुख्य भू-वैज्ञानिक लक्षणों को स्थापित करना है। शुद्धता की मात्रा यह विनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि व्यवहार्य-पूर्व अध्ययन और विस्तृत खोज आवश्यक है।

(6) विस्तृत खोज(जी1) में नमूने के माध्यम से, जैसे दृश्यांशों, गड्ढों, खाइयों, वेधन-छिद्रों, खोज संबंधी खनन(जहां कहीं अपेक्षित हो) शाफ्टों और सुरंगों से प्राप्त किसी ज्ञात निक्षेप की तीन आयामी सीमांकन अंतर्वलित होता है। नमूना ग्रिडों को इस प्रकार निकट रखा गया है कि निक्षेप के आकार, रूप, संरचना, श्रेणी और अन्य सुसंगत लक्षणों को शुद्धता की उच्च श्रेणी तक स्थापित किया जाता है। ऐसे प्रक्रियात्मक परीक्षण, जिनमें खोज संबंधी खनन से प्रपुंज नमूने लेना अंतर्वलित है, अपेक्षित हो सकेगा।

(7) खनिज संसाधन(जी 4 और जी 3) भू-पर्पटी में या उस पर आर्थिक हित वाली ठोस सामग्री का ऐसे रूप, श्रेणी या क्वालिटी और मात्रा में संकेन्द्रण है कि अंततोगत्वा आर्थिक निष्कर्षण के लिए युक्तियुक्त संभावनाएं हैं। किसी खनिज संसाधन की अवस्थिति, मात्रा, श्रेणी या क्वालिटी, निरंतरता और अन्य भू-वैज्ञानिक लक्षण विनिर्दिष्ट भू-वैज्ञानिक साक्ष्य और जानकारी से, जिसमें नमूना लेना भी है, ज्ञात, प्राक्कलित हैं और उनका निर्वचन किया गया है।

(8) खनिज संसाधन, बढ़ते हुए भू-वैज्ञानिक विश्वास के क्रम में अनुमानित, उपदर्शित और मापित प्रवर्गों में उप-विभाजित किए गए हैं।

(9) अनुमानित खनिज संसाधन(जी4) किसी खनिज संसाधन का वह भाग है जिनके लिए मात्रा और श्रेणी या क्वालिटी का प्राक्कलन सीमित भू-वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रारंभिक खोज के प्रक्रम के माध्यम से लिए गए नमूनों के आधार पर किया जाता है।

(10) किसी अनुमानित संसाधन का विश्वास का स्तर किसी उपदर्शित खनिज संसाधन को लागू होने वाले स्तर से कम होता है। अधिकांश अनुमानित खनिज संसाधनों को निरंतर खोज के साथ उपदर्शित खनिज संसाधनों में उन्नत किया जा सकता है।

(11) उपदर्शित खनिज संसाधन(जी3) किसी खनिज संसाधन का वह भाग है जिसके लिए मात्रा, श्रेणी या क्वालिटी, घनत्व, आकार और भौतिक लक्षणों का प्राक्कलन पर्याप्त विश्वास के साथ किया जाता है जिससे कि खान योजना और निक्षेप की आर्थिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए उपांतरणकारी कारकों का पर्याप्त विस्तार से अनुप्रयोग अनुज्ञात हो सके।

(12) भू-वैज्ञानिक साक्ष्य, पर्याप्त रूप से विस्तृत और विश्वसनीय खोज, नमूने लेने और परीक्षण से व्युत्पन्न होता है और वह अवलोकन के बिन्दुओं के बीच भू-वैज्ञानिक और श्रेणी या क्वालिटी निरंतरता धारित करने के लिए पर्याप्त है।

(13) मापित खनिज संसाधन(जी3 और जी 2) किसी खनिज संसाधन का वह भाग है जिसके लिए मात्रा, श्रेणी या क्वालिटी, घनत्व, आकार और भौतिक लक्षणों का प्राक्कलन इतने विश्वास के साथ किया जाता है जो विस्तृत खान योजना और निक्षेप की आर्थिक व्यवहार्यता के अंतिम मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए उपांतरणकारी कारकों का अनुप्रयोग अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त है।

(14) भू-वैज्ञानिक साक्ष्य, विस्तृत और विश्वसनीय खोज, खोज संबंधी खनन, नमूने लेने और परीक्षण से व्युत्पन्न होता है और वह अवलोकन के बिन्दुओं के बीच भू-वैज्ञानिक और श्रेणी या क्वालिटी की निरंतरता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है।

(15) किसी मापित खनिज संसाधन का विश्वास का स्तर किसी उपदर्शित खनिज संसाधन या किसी अनुमानित खनिज संसाधन को लागू होने वाले विश्वास के स्तर से उच्चतर होता है। इसे किसी मापित खनिज आरक्षिति या किसी उपदर्शित खनिज आरक्षिती में संपरिवर्तित किया जा सकता है।

(16) खनिज आरक्षिति (जी2 और जी1) खनिज संसाधन का आर्थिक रूप से खनन-योग्य भाग है। इसके अंतर्गत ऐसी हानियों के लिए, जो तब हो सकती है जब सामग्री का खनन या निष्कर्षण होता है, सामग्री और मोकों के तनुकरण भी आता है और इसे व्यवहार्यतापूर्व या व्यवहार्यता स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों द्वारा समुचित रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उपांतरणकारी कारकों का अनुप्रयोग भी है।

(17) संभाव्य खनिज आरक्षिति(जी2) किसी उपदर्शित खनिज संसाधन और कुछ परिस्थितियों में किसी मापित खनिज संसाधन का आर्थिक रूप से खनन-योग्य भाग है।

(18) किसी संभाव्य खनिज आरक्षिति को लागू होने वाले उपांतरणकारी कारकों में विश्वास किसी सिद्ध खनिज आरक्षिति को लागू होने वाले विश्वास से कम है।

(19) सिद्ध खनिज आरक्षिति(जी1) किसी मापित खनिज संसाधन का आर्थिक रूप से खनन-योग्य भाग है। किसी सिद्ध खनिज आरक्षिति से उपांतरणकारी कारकों में विश्वास की उच्च मात्रा विवक्षित होती है।

(20) उपांतरणकारी कारक ऐसी विचारणाएं हैं जिनका उपयोग खनिज संसाधनों को खनिज आरक्षितियों में संपरिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत खनन, प्रसंस्करण, अंतिम उपयोग, कट-आफ श्रेणी, आरंभिक मूल्य, धातुकर्म, अवसंरचना, आर्थिक, विपणन, विधिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी कारक आते हैं किन्तु वे यहीं तक निर्बंधित नहीं हैं।

(21) साध्यतापूर्व अध्ययन किसी खनन परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के लिए विकल्पों की श्रृंखला का एक ऐसा अध्ययन है जो एक ऐसे प्रक्रम तक आगे बढ़ गया है जहां भूमिगत खनन की दशा में अधिमानित पद्धति या किसी खुले गड्ढे की दशा में, गड्ढे की आकृति स्थापित की जाती है और खनन प्रक्रिया की प्रभावी पद्धति अवधारित की जाती है। इसमें यह अवधारित करने के लिए उपांतरणकारी कारकों की युक्तियुक्त उपधारणाओं पर आधारित वित्तीय विश्लेषण और किन्हीं अन्य ऐसे सुसंगत कारकों का मूल्यांकन शामिल है, जो पर्याप्त हैं कि समस्त खनिज संसाधन या उसके किसी भाग को प्रतिवेदन के समय किसी खनिज आरक्षिति में संपरिवर्तित किया जा सकता है अथवा नहीं। साध्यतापूर्व अध्ययन का विश्वास स्तर साध्यता अध्ययन की तुलना में कम होता है।

(22) साध्यता अध्ययन किसी खनिज परियोजना के लिए चयनित विकास विकल्प का एक विस्तृत व्यापक तकनीकी और आर्थिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत लागू उपांतरणकारी कारकों का, किन्हीं अन्य सुसंगत परिचालन कारकों सहित, समुचित रूप से विस्तृत निर्धारण और ऐसा विस्तृत वित्तीय विश्लेषण आता है जो प्रतिवेदन के समय यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हैं कि निष्कर्षण युक्तिसंगत रूप से न्यायोचित(आर्थिक रूप से खनन-योग्य) है। इस अध्ययन का विश्वास स्तर किसी साध्यतापूर्व अध्ययन के विश्वास स्तर की तुलना में उच्चतर होगा।

(23) आर्थिक व्यवहार्यताः किसी निक्षेप की आर्थिक व्यवहार्यता भाग 2 या भाग 4 में उपदर्शित क्रियाकलापों पर निर्भर करेगी और यह आरंभ किए गए क्रियाकलाप के आधार पर एक विशेषक के रूप में कार्य करेगी।

(24) "कट-आफ ग्रेड" से खनिज का किसी निक्षेप के लिए ऐसा न्यूनतम आर्थिक आमापन ग्रेड अभिप्रेत है जिससे नीचे खनन संक्रियाएं वर्तमान बाजार गतिशीलता या अंतिम उपयोग क्वालिटी में अव्यवहार्य हो जाती हैं। यह बाजार की अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर और निक्षेपपार भिन्न-भिन्न हो सकता है।

भाग 2: खोज के लिए भू-वैज्ञानिक पैरामीटर

1. हवाई भूमीक्षणः उपग्रह प्रतिमावली/दूर संवेदी/वायुवाहित भूभौतिकी सर्वेक्षण आदि जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है [मुख्य रूप से भूमीक्षण सर्वेक्षण(जी4) प्रक्रम के लिए लागू होता है]।

भू-वैज्ञानिक सर्वोक्षण(मानचित्रण): भूमीक्षण (जी4) प्रक्रम के लिए 1 : 50,000 या छोटे मापमान पर;

प्रारंभिक खोज(जी3) प्रक्रम के लिए 1 : 10,000 या बृहत्तर मापमान पर;

साधारण खोज(जी2) प्रक्रम के लिए 1 : 4000/1:5000 या बृहत्तर मापमान पर;

विस्तृत खोज(जी 1) प्रक्रम के लिए 1 : 2000 या बृहत्तर मापमान पर

भूमि भूभौतिकी और भू-रासायनिक सर्वेक्षण: यथावश्यक समुचित तकनीकों का प्रयोग करके भूभौतिकी और भू-रासायनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकीः खोज और स्थलों, जैसे दृश्यांशों, खाइयों, गड्ढों, पुराने खदानों और वेधन छिद्रों से समुचित तकनीकों का प्रयोग करके नमूने लेना। नमूना अवस्थानों को अयस्क निकाय और उसकी पार्श्विक और उर्ध्वाधर निरन्तरता की विद्यमानता स्थापित करने के लिए उचित दूरी पर रखा जाता है (यथासंभव विस्तार तक ग्रिड पैटर्न में और संरचनात्मक जटिलता के आधार पर उपांतरित किया जाए)।

खोज के साधारण(जी2) और विस्तृत(जी1) प्रक्रमों के लिए, खनिजीकरण की गहराई निरंतरता पर उस सीमा तक विचार किया जा सकेगा जिस तक खनिजीकरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य स्थापित हुआ है।

संसाधन निर्धारण के लिए विचार में लिया जाने वाला पार्श्विक विस्तारण भू-वैज्ञानिक विचारणाओं पर निर्भर करेगा और वह किसी भी दशा में जांच बिन्दुओं की ग्रिड दूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

चयनित जानकारी, जैसा वियुक्त आमापन, वियुक्त वेधन छिद्र, पैन्ड संकेन्द्रणों के आमापन पर आधारित निर्धारण की सिफारिश नहीं जाती है।

नमूना लेना और उप-नमूना लेनाः (क) भूमीक्षण प्रक्रम के लिए यादृच्छिक पकड़/चिप/सतही अनावरण से चैनल नमूना लेना/कगार/नाला काटना/गड्ढा/चैनल आदि।

(ख) ऐसे गड्ढों/खाइयों/दृश्यांशों/खदानों आदि से व्यवस्थित नमूने लेने जिनकी दूरी पर्याप्त रूप से कम है जिससे कि भू-वैज्ञानिक निर्धारण के अन्य प्रक्रमों के लिए भू-वैज्ञानिक और ग्रेड निरन्तरता की पुष्टि हो।

(ग) यथास्थिति, वेधन-छिद्रों की लिथो-लागिंग और गामा-रे लागिंग, नियमित अंतराल पर, अधिमानतः खनिजीकृत भागों के लिए मीटर-वार अथवा उससे कम वेधन कोर/चिप के नमूने लेना।

(घ) नियोजित की जाने वाली वेधन तकनीक, अधिकतम नमूने/कोर वसूली प्राप्त करने के उद्देश्य सहित अंतर्वेधन किए जाने वाले शैलों पर निर्भर करेगी।

आमापन डाटा और प्रयोगशाला परीक्षणः अन्वेषणाधीन खनिज के लिए उपयुक्त प्रमुख धातुओं के लिए तैयार किए गए सभी नमूनों का विश्लेषण। उपोत्पादों और हानिकर तत्वों का विश्लेषण, जहां कहीं भी आवश्यक हो।

शैलवर्णना और मिनराग्राफिक अध्ययनः शैल के प्रकार और ग्रेन आकार, बनावट, नाप और यदि आवश्यक समझा जाए, तो उसके मोचन लक्षणों आदि सहित खनिज संयोजनों का पता लगाने के लिए खनिजीकृत भागों का शैलवर्णना विश्लेषण

प्रपुंज घनत्व अध्ययनः प्रपुंज घनत्व का मापमान ऐसी पद्धतियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनमें रिक्त स्थानों (शैल-छिद्रो, सरंध्रता आदि) को पर्याप्त रूप से हिसाब में लिया जाता है।

धातुशोधन अध्ययनों के लिए प्रपुंज नमूने लेनाः प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए, यदि आवश्यक हो, प्रपुंज नमूने लेना।

पर्यावरणीय ढांचाः स्थानीय अवसंरचना, स्थानीय जनसंख्या, ऐतिहासिक स्थलों, वनों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यान के ब्यौरे और क्षेत्र के पर्यावरणीय ढांचे की आधारभूत जानकारी एकत्र की जाए।

कोई अन्य सुसंगत डाटाः भूगर्भ जल, भू-तकनीकी और शैल की विशेषताएं आदि, जो सुसंगत हों।

भाग 3 : विभिन्न प्रकार के यूरेनियम, थोरियम और दुर्लभ धातु और दुर्लभ भू-तत्व निक्षेपों के लिए वेधन(ड्रिलिंग) द्वारा खोज के लिए सुझाए गए मानक

निक्षेप के प्रकार और प्रमुख खनिज	जी4 प्रक्रम	जी3 प्रक्रम	जी2 प्रक्रम	जी1 प्रक्रम	टिप्पणियां
I.**संस्तरित स्तरित और नियमित और अनियमित व्यवहार के सारणीबद्ध यूरेनियम निक्षेप जो निम्न प्रकार वर्गीकृत हैं:** बलुआ पत्थर प्रकार, कार्बनेट झुंड, फास्फेट, काली शेल, सरफिशियल और कोल लिगनाइट झुंड वाले यूरेनियम निक्षेप।	आवश्यकतानुसार स्काउट वेधन/गड्ढे/खाई खोदना।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना दूरी कम से कम 800 मी.x400 मी. या प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 5 बोर छिद्र।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना दूरी कम से कम 400 मी.x200 मी. या प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 18 बोर छिद्र।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना दूरी कम से कम 200 मी.x100 मी. या प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 65 बोर छिद्र।	जी1 प्रक्रम पर अपेक्षानुसार ग्रेडों के प्रपुंज निर्धारण सहित खोज संबंधी खान विवर खुला गड्ढा या भूमिगत विकास।
II. **समस्त आयामों के मसूराकार यूरेनियम निकाय, जिनके अंतर्गत सम्मिश्र शिरा, लैंस, पाकेट, स्टाकवर्क के रेखीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले निकाय भी हैं और वे निम्न**	आवश्यकतानुसार स्काउट वेधन/गड्ढे/खाई खोदना।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना दूरी कम से कम 400 मी.x200 मी. या प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 18 बोर छिद्र।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना दूरी कम से कम 200 मी.x100 मी. या प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 65 बोर छिद्र।	बोर छिद्र ग्रिड/नमूना दूरी कम से कम 100 मी.x50 मी. या प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 230 बोर छिद्र।	जी1 प्रक्रम पर अपेक्षानुसार ग्रेडों के प्रपुंज निर्धारण सहित खोज संबंधी खान विवर खुला

प्रकार वर्गीकृत हैं: मेटामोरफाइट (कायान्तरित), मेटासोमाटाइट (धात्वंतरित), असंरूप संबद्ध, अंतर्वेधी, ग्रेनाइट-संबंद्ध, बहुधात्विक शोणितिज संकोणाश्म संकर प्रकार, ज्वालामुखी-संबंधी और आपतित संकोणाश्म पाइप प्रकार के यूरेनियम निक्षेप					गड्ढा या भूमिगत विकास।
III.**दुर्लभ धातु और आर.ई.ई. पैग्मेटाइट्स, रीफ और शिरा/ पाइप, कार्बनाटाइट और अन्य क्षार आग्नेय शैल।**	आवश्यकतानुसार स्काउट वेधन/गड्ढे/खाई खोदना।	प्रति वर्ग कि.मी. 10 से 25 गड्ढे/खाई वेधन की दशा में, बोर छिद्र की दूरी 40मी.x20मी. या 40मी. X40मी. हो सकेगी।	अधिमानतः 20 मी. के अंतराल पर गड्ढा/खाई खोदना। वेधन की दशा में, बोर छिद्र की दूरी 20मी.x10मी. या 20मी. X20मी. हो सकेगी।	10मी.x10मी. या उससे कम दूरी पर खोज संबंधी खुला गड्ढा या बोर छिद्र या जहां कहीं भी आवश्यक हो, ग्रेडों और वसूली के प्रपुंज अवधारण सहित भूमिगत नमूने लेना।	
IV.**बालू-तट और अंत-स्थलीय कछारी निक्षेप** भारी खनिज निक्षेपों(इलमेनाइट, ल्यूकोक्सीन, रूटाइल, मैगनेटाइट, मोनेज़ाइट, गारनेट, सिलिमेनाइट और ज़र्कोन) का बालू-तट, बालू का टीला और अंतस्थलीय (टेरी/लाल बालू) कछार सकेन्द्रण, जो लहर और पवन क्रिया द्वारा बना है।	नमूना बिन्दुओं की उपलब्धता के अनुसार यादृच्छिक नमूने लेना।	औगर/कोनराड/ बंका/डोरमर/ विबरोकोर/आर.सी.डी. वेधन: >2000 से 3000 मी.x200मी.।	औगर/कोनराड/ बंका/डोरमर/ विबरोकोर/आर.सी. डी. वेधन: जी.2.1: >200 से 1000 मी.x100 से 200मी. ग्रिड जी.2.2: >1000 से 2000 मी.x200मी. ग्रिड।	औगर/कोनराड/ बंका/डोरमर/ विबरोकोर/आर.सी.डी. वेधन: 200 मी.x 100 मी. ग्रिड या उससे निकट।	

भाग – 4

एरियल भू-भौतिकीय, भू-रासायन, भू-विज्ञान सर्वेक्षणों और परीक्षणों के माध्यम से जनित खोज नमूनों और परीक्षण के सभी आंकड़ों को समेकित करके खनिज संसाधनों के प्राक्कलन और रिपोर्ट करने के लिए भू-विज्ञान रिपोर्ट और प्रौद्योगिकी अध्ययन, भू-विज्ञान अध्ययन के प्रत्येक प्रक्रम के लिए अर्थात् जी 4 से जी 1 तक लिए संसाधनों के निर्धारण हेतु ली जा सकेगी। इन अध्ययनों की रिपोर्ट में साधारणतया निम्नलिखित में समाविष्ट होगा।

क्रम सं.	मानदंड	स्पष्टीकरण
1	हक और स्वामित्व	- पूर्वेक्षक का, ई-मेल आई डी, टेलीफोन न. सहित नाम, पता
2	क्षेत्र के ब्यौरे	- पूर्वेक्षण/खनिज अधिकार, यदि कोई हो, की अवधि के ब्यौरे - गांव, जिला, राज्य - भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट संख्या। सभी कोण बिन्दुओं के क्षेत्र के भू-समन्वय - भूमि उपयोग सहित क्षेत्र के भू-कर ब्यौरे - अन्वेक्षणाधीन खनिज
3	अवसंरचना और पर्यावरण	- स्थानीय अवसंरचना, स्थानीय जनसंख्या, ऐतिहासिक स्थल, वन, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और क्षेत्र की वातावरणीय स्थिति।
4.	पूर्व खोज	- अन्य अभिकरणों/पक्षकारों द्वारा की गई पूर्व खोज के ब्यौरे - यदि उक्त क्षेत्रों में पूर्व खोज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का कोई भाग भी है तो उसे उचित मापमान के साथ मानचित्र में दर्शित किया जाए
5	भू-विज्ञान	- व्यापक भू-वैज्ञानिक संरचनात्मक ढांचे की रूपरेखा देते हुए भू-क्षेत्र की संक्षिप्त क्षेत्रीय भू-विज्ञान। - अध्ययनाधीन क्षेत्र का जिसके अन्तर्गत निकटस्थ मिले हुए क्षेत्र, यदि उपलब्ध हों, झुकाव (डिप) के ब्यौरे, मापदंड, पुराने खनित, सतही विगोपन की निक्षेप किस्म, भू-वैज्ञानिक व्यवस्था और ब्यौरे और उक्त जानकारी का अध्ययनाधीन क्षेत्र पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव। - मुख्य शैलिकीय इकाइयों, संरचनात्मक और निर्माण विषयक विशेषताओं को दर्शित करने वाले भू-समन्वयकों के साथ समुचित माप का विश्वसनीय भू-विज्ञान संबंधी मानचित्र, सतही खनिजीकरण का विस्तार, संरचना, बोरहोल्स, गड्ढों, खाइयों, पुराने खनितों और अन्य समन्वयकों का विस्तार। - उपयुक्त अन्तरालों पर शैलिकी इकाइयों और खनिजीकरण ऊर्ध्वाधन प्रक्षेपणों को दर्शित करने वाले अनुप्रस्थ परिक्षेत्र। - लम्बाई (मापदंड के साथ या अन्यथा), विस्तृत योजना के रूप में व्यक्त खनिजीकरण का विस्तार और परिवर्तिता और खनिज संसाधनों की ऊपरी और निचली सीमाओं तक सतह के नीचे की गहराई।
6	एरियल/भूतल भू-भौतकी/भू-रसायन आंकड़े	एरियल, भू-भौतकी और भू-रासायनिक सर्वेक्षण के परिणामों, यदि कोई हों, के ब्यौरे।
7	प्रौद्योगिकीय अन्वेषण	- प्रौद्योगिकीय अन्वेषण के ब्यौरे (गड्ढे खोदना/खाई बनाना, ड्रिलिंग और अन्य ब्यौरे) - खोज परिणामों को रिपोर्ट करने हेतु डाटा अन्तरण : चाहे डाटा अन्तरण और वितरण वर्ग 1 और वर्ग 2 पर आधारित हो या न हो तथा लागू खनिज संसाधन संबंधी प्राक्कलन की प्रक्रिया(ओं) और वर्गीकरणों के लिए भू-वैज्ञानिक डिग्री और ग्रेड निरन्तरता जो स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो।
8	नमूना लेने की तकनीक	- नमूना लेने की प्रक्रिया और क्वालिटी (उदाहरणार्थ कट चैनल, सांयोगिक चिप और अन्य नमूने लेना) और नमूना प्रतिरूपक सुनिश्चित करने के उपाय
9	ड्रिलिंग तकनीक और प्रयोग की गई ड्रिल	- ड्रिल प्रकार (उदाहरणार्थ अंतर्भाग विपर्यय परिचालन, ओपेन होल हेमर, रोटरी एयर ब्लास्ट, बरमा, बंगका, स्वनीय (सोनिक) और अन्य ड्रिलिंग तकनीक और ब्यौरे (उदाहरणार्थ कोर डाइमीटर, तिगुना या स्टैंडर्ड ट्यूब, कोलर आर एल, नमूना लेना दिशाकोण, झुकाव, बोर छिद्रों के समन्वयक और अन्य ब्यौरे)

		- क्या उचित रूप से अंतर्भाग और चिप नमूना प्रत्युद्धरणों को अभिलिखित किया गया है और परिणामों का निर्धारण किया गया है। - नमूने के प्रत्युद्धरण को बढ़ाने हेतु किए गए उपाय और नमूनों की आदर्श प्रकृति को सुनिश्चित करना। - लाग करना – क्या अंतर्भाग और चिप नमूनों को, समुचित खनिज संसाधन के प्राक्कलन, खनन अध्ययनों और धातुकर्मीय अध्ययनों के समर्थन के लिए ब्यौरेवार लाग किया गया है।
10	उप-नमूना लेने की तकनीक और नमूना तैयार करना	- यदि अंतर्भाग है तो क्या विभाजित या क्रकचित है और क्या चतुर्थक, आधा या सभी अंतर्भाग को ग्रहण किया गया है। - यदि गैर अतंर्भाग है तो क्या खांचा, नलिका प्रतिदर्श, रोटरी स्पिल्ट आदि है और क्या नमूना नम या शुष्क है। - सभी नमूना प्रकारों के लिए, नमूना तैयार करने संबंधी तकनीकों की प्रकृति, क्वालिटी और उपयुक्तता। - नमूना की समरूपता को बढ़ाने के लिए सभी उप प्रतिदर्शन प्रक्रमों के लिए अंगीकृत क्वालिटी नियंत्रण प्रक्रियाएं। - यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपदर्शन में संगृहीत यथावत् सामग्री की समरूपता है, किए गए उपाय। - क्या नमूने का आकार, ली गई नमूना सामग्री का आकार प्राप्त करने के लिए समुचित है।
11	विश्लेषण आंकड़ों और प्रयोगशाला परीक्षणों की गुणवत्ता	प्रयुक्त विश्लेषण और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं की प्रकृति, गुणवत्ता और उपयुक्तता तथा क्या तकनीक को अपूर्ण या पूर्ण समझा गया है। अंगीकृत गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं (उदाहरणार्थ मानदंड, परिणाम रहित, द्विरूपण, बाह्य प्रयोगशाला परीक्षण) और क्या परिशुद्धता के स्तर पर स्वीकार्य करने योग्य है (अर्थात् पक्षपात रहित) तथा विशद्वता स्थापित हो गई है।
12	आर्द्रता	- क्या शुष्क आधार पर या प्राकृतिक आर्द्रता के साथ टनभार का प्राक्कलन किया जा सकता है तथा आर्द्रता संबंधी अन्तर्वस्तु के अवधारण की पद्धति।
13.	सघनता प्रपुंज	क्या कल्पित है या अवधारित है। यदि कल्पित है तो धारणाओं का आधार। यदि अवधारित है तो प्रयुक्त पद्धति आर्द्र या शुष्क, मापन की आवृत्ति, प्रकृति, नमूनों का आकार और समरूपता।
14	संसाधन प्राक्कलन तकनीक	- खनिजीकरण की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंकड़े प्रपुंज और प्राक्कलन के लिए प्रयुक्त संश्लेषण पर्याप्त आंकड़े आधार संबंधी विवेचना। - अनुप्रयुक्त प्राक्कलन तकनीक (तकनीकों) और मुख्य धारणाओं जिसके अन्तर्गत अधिकतम श्रेणी मूल्य, प्रभाव क्षेत्र का उपचार भी है, की प्रकृति और उपयुक्तता। - अन्तर्वेशन पैरामीटर, डाटा पांइट से बहिर्वेशन की अधिकतम दूरी। - परिवर्ती विश्वसनीय प्रवर्गों में खनिज संसाधनों के वर्गीकरण का आधार। - गौण उत्पादों की वसूली के संबंध में की गई धारणाएं। - टनभार और श्रेणियों के प्राक्कलन के लिए प्रयुक्त पद्धति और बनाई गई धारणा का विस्तृत विवरण (खंड, बहुभुज आकृति, प्रतिलोभ दूरी, भू-सांख्यकीय या अन्य पद्धति)। - संसाधन प्राक्कलनों के नियंत्रण हेतु भू-विज्ञान निर्वचन का कैसे उपयोग किया गया है उसका विवरण। - ग्रेड कटिंग या केपिंग का उपयोग करने या उपयोग न करने के आधार पर चर्चा।

IndiaCode

		यदि कंप्यूटर पद्धति का चयन किया गया था तो उपयोग किए गए प्रोग्राम और पैरामीटरों का विवरण। - भूस्थैतिकीय पद्धतियां अत्याधिक परिवर्तित हैं और उनका विस्तार से वर्णन करना होगा। चुनी गई पद्धति न्यायसंगत होगी। भूस्थैतिकीय पैरामीटर, जिसके अन्तर्गत वेरियोग्राम भी है और भू-वैज्ञानिक निर्वचन के अनुसार उनकी संगतता पर चर्चा की जाएगी। - समान भंडारों के लिए भूस्थैतिकी को लागू करने में हुए अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। - डाटा सत्यापन और/या विधिमान्यकरण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाए।
15	अतिरिक्त कार्य	- सुनियोजित अतिरिक्त कार्य की प्रकृति और मापमान (उदाहरणार्थ पार्श्विक परिवर्द्धन या गहन परिवर्द्धन या व्यापक स्तर पर स्टेपअप ड्रिलिंग)
16	रिपोर्ट के उपबंध/संलग्नक	- रिपोर्ट में किए गए प्राक्कलनों के समर्थन में मानचित्र, खंड, लाग, विश्लेषण रिपोर्ट, फोटो सहित सुसंगत डाटा सम्मिलित होगा।
17	कोई अन्य जानकारी	- कोई अन्य जानकारी, जो किसी प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाए या अपेक्षित हो।

भाग 5 : साध्यतापूर्व या साध्यता रिपोर्ट के लिए मापदंड

खनिज आरक्षितियों के प्राक्कलन और रिपोर्ट करने के लिए (खनन कंपनियों द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाने वाली) साध्यतापूर्व/साध्यता रिपोर्ट के मानदंड (भाग 4 के सूचीबद्ध मानदंड खनिज आरक्षितियों के प्राक्कलन और रिपोर्ट करने के लिए भी लागू होंगे)। भू-विज्ञान अध्ययन रिपोर्ट भी पूर्व साध्यतापूर्व/साध्यता रिपोर्ट का भाग होगी।

क्रम सं.	मानदंड	स्पष्टीकरण
1	खनिज आरक्षिती में संरपरिवर्तन के लिए खनिज संसाधन प्राक्कलन	- ऐसे खनिज संसाधन प्राक्कलन का विवरण जिसका खनिज आरक्षिती के संपरिवर्तन के लिए आधार के रूप में उपयोग किया गया है। - इस संबंध में स्पष्ट कथन कि क्या खनिज संसाधनों की खनिज आरक्षितियों के अतिरिक्त रिपोर्ट की गई है या उनको सम्मिलित किया गया है। - खनिज संसाधनों खनिज आरक्षितियों में संपरिवर्तित किए जाने हेतु समर्थ बनाने के लिए किए गए अध्ययन का प्रकार और स्तर अर्थात् साध्यतापूर्व/साध्यता स्तर।
2	निश्चित (कट-आफ) पैरामीटर	अंगीकृत निश्चित श्रेणी (श्रेणियों) या लागू क्वालिटी पैरामीटरों का आधार, जिसके अन्तर्गत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विहित समतुल्य धातु सूत्र और प्रारंभिक मूल्य का आधार, यदि समुचित हो,
3.	खनन कारक या धारणाएं	- खनिज संसाधन को खनिज आरक्षिती में संपरिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति और धारणाएं (अर्थात् या तो इष्टतमीकरण द्वारा समुचित कारकों का प्रयोग करके या खनन के लिए विस्तृत योजना द्वारा समर्थित प्रारंभिक या विस्तृत डिजाइन द्वारा) - चयनित खनन पद्धति (पद्धतियों) का निर्वचन, उनकी प्रकृति और उपयुक्तता, चयनित खनन इकाई का आकार (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) और अन्य खनन पैरामीटर जिसके अन्तर्गत सहयुक्त डिजाइन मुद्दे जैसे पूर्व विवृत्त, अभिगमन और अन्य सहयुक्त डिजाइन मुद्दे। - भू-प्रौद्योगिकीय पैरामीटरों के संबंध में बनाई गई धारणाएं (उदाहरणार्थ पिटस्लोपस, स्टोप साइज और अन्य जैव तकनीकी पैरामीटर), ग्रेड नियंत्रण और उत्पादन-पूर्व ड्रिलिंग। - पिट इष्टतमीकरण के लिए बनाई गई मुख्य धारणाएं और प्रयुक्त खनिज संसाधन माडल।

IndiaCode

		- उपयोग किए गए खनन तनूकरण कारक, खनन प्रत्युद्धरण और न्यूनतम खनन विस्तार। - चयनित खनन पद्धतियों की अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं। जहां लागू हो वहां अनुपालन पैरामीटरों की एतिहासिक विश्वासनीयता।
4.	धातुकर्म संबंधी कारक या धारणाएं	- प्रस्तावित धातुकर्म संबंधी प्रक्रिया और भंडारण प्रकार के अनुसार उस प्रक्रिया की उपयुक्तता। - किए गए धातुकर्म संबंधी परीक्षण, कार्य की प्रकृति, मात्रा और प्रतिरूपता और उपयोग की गई धातुकर्म संबंधी प्रत्युद्धरण कारक। - हानिकारक तत्वों के लिए बनाई गई धारणाएं या अनुमोदन। - किसी नमूना प्रपुंज या पाइलेट स्केल टेस्टवर्क की विद्यमानता और डिग्री जिस तक ऐसे नमूनों में संपूर्ण अयस्क पिंड को दर्शाती है। - खनिज आरक्षितियों के लिए रिपोर्ट किया गया टनभार और ग्रेड में यह स्पष्ट कथन होना चाहिए कि क्या ये स्थापित की जाने वाली समग्री की बाबत है या उद्धारण के पश्चात् की सामग्री है। विद्यमान संयत्र और उपस्कर जिसके अन्तर्गत प्रतिस्थापन और उद्धारण मूल्य के प्रति संकेत भी है, पर टिप्पण।
5.	लागत और राजस्व संबंधी कारक	- प्रक्षिप्त पूंजी और प्रचालन लागत के संबंध में निष्कर्ष या की गई उपधारणा। - शीर्ष, ग्रेड, धातु या वस्तु सहित राजस्व के संबंध में बनाई गई धारणा - कीमत विनिमय दर, परिवहन और उपचार प्रभार, शास्ति और अन्य राजस्व कारक। - सरकार और प्राइवेट दोनों को संदेय स्वामिस्व के लिए मोक। - कथित अवधि के लिए नकद प्रवाह निवेश।
6.	बाजार निर्धारण	- विशिष्ट वस्तु की मांग, प्रदाय और स्टाक की स्थिति, खपत रूझान और भविष्य में प्रदाय और मांग को प्रभावित करने वाले कारक। - उत्पाद विप्पणन अभिविन्यासन जैसी पहचान के साथ ग्राहक और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। - कीमत और परिणाम पूर्वानुमान और इन पूर्वानुमानों के लिए आधार। - संविदा का प्रदाय करने के पूर्व औद्योगिक खनिजों के लिए ग्राहक विनिर्देश, परीक्षण और स्वीकृति संबंधी अपेक्षाएं।
7	अन्य उपान्तरण करने संबंधी कारक	- परियोजना की व्यवहार्यता और/या खनिज आरक्षितियों के प्राक्कलन और वर्गीकरण पर पड़ने वाले प्राकृतिक जोखिम पर्यावरणीय विधिक अवसंरचना, विपणन, समाजिक या सरकारी कारकों का प्रभाव, यदि कोई हो - हकों और अनुमोदनों की प्रास्थिति जो परियोजना की व्यवहार्यता के लिए संकटमय है जैसे कि खनन पट्टा, निर्वहन अनुज्ञापत्र, सरकारी और कानूनी अनुमोदन। - पूर्वानुमानित दायित्वों का पर्यावरणीय विवरण। खनिज अधिकार और हकों की अवस्थानीय योजनाएं।
8	वर्गीकरण	- विभिन्न विश्वसनीय प्रवर्गों में खनिज आरक्षितियों के वर्गीकरण का आधार। - सभी आवश्यक अनुमोदनों/संविदाओं के अधीन रहते हुए प्रस्तावित प्रारंभिक खान डिजाइन/ प्रत्ययात्मक योजना को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार खान योग्य मात्रा के अंतिम प्राक्कलन की पुष्टि हो गई है या ऐसे युक्तियुक्त अपवाद हैं कि सभी ऐसे अनुमोदन/संविदाएं युक्तियुक्त समयसीमा के भीतर और ऐसे प्रमाणीकरण के साथ अभिप्राप्त की जाएंगी कि आर्थिक व्यवहार्यता अल्पकालिक प्रतिकूल बाजार की स्थितियों को प्रभावित नहीं करेगी। परन्तु दीर्घकालिक पूर्वानुमान सकारात्मक होने चाहिए।

अनुसूची ग

कार्यपालन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी का रूपविधान

[नियम 6(6)(ख) देखिए]

[बैंक का संदर्भ संख्यांक] [तारीख]

सेवा में,

राज्यपाल (राज्य का नाम)

(पता)

अ. **[**नाम**]** कंपनी अधिनियम, **[**1956/2013**]** के अधीन भारत में निगमित सरकारी **[**कंपनी/निगम**]** है जिसका कारपोरेट पहचान संख्यांक (आवेदक का सीआईएन) है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता), भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान **[**कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न हो**]** है ("आवेदक") को (निष्पादन बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति की तारीख) ("समाप्ति तारीख") तक विधिमान्य निष्पादन सुरक्षा के तौर पर भारतीय रुपए **[**अंकों में**]** **[**भारतीय रुपए (शब्दों में)**]** के बराबर की रकम के लिए बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति देना अपेक्षित है।

आ. राज्यपाल (राज्य का नाम), ("राज्य") को **[**रियायत की विशिष्टियां**]** (संयुक्त रूप से "रियायत दस्तावेज") के संबंध में तारीख **[**तारीख**]** का मूल दस्तावेज के संदर्भ में खनन पट्टा, खान विकास और उत्पादन करार के अधीन कतिपय बाध्यताओं के निर्वहन के लिए कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इ. हम **[**बैंक का नाम**]** ("बैंक") आवेदक के अनुरोध पर इसमें अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर राज्य की मांग पर रियायत दस्तावेज के अधीन आवेदक की बाध्यताओं को सुरक्षित करने हेतु भारतीय रुपए **[**अंकों में**]** (भारतीय रुपए **[**शब्दों में**]**) ("प्रत्याभूति रकम") से अनधिक की रकम का राज्य को संदाय करने का वचन देते हैं।

अतः, अब, बैंक प्रत्याभूति के रूप में आवेदक की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और अशर्त संदाय बैंक प्रत्याभूति ("प्रत्याभूति") राज्य के पक्ष में जारी करता है :

1. बैंक, इस प्रयोजन से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि हेतु ऐसी मांग के लिए राज्य द्वारा बैंक आधारों या कारणों को दर्शाने अथवा साबित करने की राज्य की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले पर राज्य और आवेदक के मध्य कोई विवाद अथवा मतभेद के होते हुए भी वह धनराशि अथवा धनराशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल प्रत्याभूति मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा आश्रय के अशर्त तथा अप्रतिसंहरणीय तौर पर संदाय करने का वचन देता है। बैंक, संपूर्ण और स्पष्ट होने के अधीन बैंक के दायित्वों के संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी वाद अथवा कार्यवाही में आवेदक द्वारा उद्भूत किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी राज्य को मांगी गई राशि का संदाय करने का वचन देता है।

2. बैंक यह करार करता है कि राज्य को बैंक द्वारा संदाय की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग रियायत दस्तावेज के अधीन राज्य को आवेदक द्वारा संदाय की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इसके द्वारा आवेदक से, राज्य की पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की मांग की आवश्यकता को अधित्यजित करता है और ऐसे अधिकार का भी अधित्यजन करता है जो इस प्रत्याभूति के अधीन संदाय हेतु बैंक की किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक के विरुद्ध उसके विधिक उपचारों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य से अपेक्षित है।

4. इसके अतिरिक्त बैंक, राज्य से बिना शर्त यह करार करता है कि राज्य को बैंक की सहमति के बिना और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक के किसी बाध्यता को किसी रीति में प्रभावित किए बिना समय-समय पर :

 (i) रियायत दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों में फेरफार करने और/या उपांतरित करने;

 (ii) रियायत दस्तावेज के अधीन आवेदक की बाध्यताओं के निष्पादन हेतु समय को बढ़ाने और/या स्थगित करने ;

 (iii) रियायत दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों के अधीन आवेदक के विरुद्ध राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अधिकारों से प्रविरत रहने अथवा प्रवृत्त करने,

की छूट होगी और बैंक को ऐसे किसी कृत्य के कारण अथवा राज्य की ओर से हुए लोप अथवा आवेदक के राज्य द्वारा किसी अनुग्रह अथवा किसी अन्य कारण जो प्रतिभूतियों से संबंधित नियम के अधीन बैंक को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करेगा अपितु इस उपबंध के लिए इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को उसके दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव होगा ।

5. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय किसी वर्तमान और भावी करों, उद्ग्रहणों, लाग, शुल्क, प्रभारों, फीस, कमीशनों, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों के कारण से, किसी कटौतियों से मुक्त और स्पष्ट होगा ।

6. बैंक यह करार करता है कि राज्य अपने विकल्प पर आवेदक के विरुद्ध प्रथम-दृष्टया कार्यवाही के बिना प्रथम दृष्टांत में मूल ऋणी के रूप में बैंक के विरुद्ध इस प्रत्याभूति को प्रवृत्त करने का हकदार होगा ।

7. बैंक यह और करार करता है कि इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति का, उस अवधि के दौरान, जो रियायत दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाए, पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील रहेगी और यह कि यह तब तक जारी रहेगी जब तक आवेदक के कार्यपालन प्रतिभूति के संबंध में उक्त रियायत दस्तावेज के आधार पर अथवा उसके अधीन सभी बाध्यताओं का पूरी तरह संदाय नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों का समाधान या निर्मोचन नहीं हो जाता या जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं कर देता कि आवेदक द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति के संबंध में रियायत दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों को पूर्णतया और उचित रूप से पूरा किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन किया गया है । इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक समाप्ति की तारीख पर अथवा उसके पूर्व लिखित में बैंक पर इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग अथवा दावा पेश नहीं किया जाता है तब तक बैंक को तदनंतर इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों में मुक्त रखा जाएगा ।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा इस प्रकार किया गया संदाय इसके अधीन संदाय हेतु बैंक के दायित्वों का विधिमान्य निर्मोचन होगा और राज्य ऐसा संदाय करने के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेगा ।

9. यह प्रत्याभूति भारत की विधि के अध्यधीन है । इस प्रत्याभूति अथवा इसकी विषय-वस्तु से उद्भूत कोई वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्यवाहियों में [संबंधित राज्य] के न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता होगी ।

10. बैंक के पास राज्य के पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी करने की शक्ति है । यह प्रत्याभूति बैंक के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप उन्मोचित नहीं होगी ।

11. बैंक लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के सिवाय इस प्रत्याभूति का इसके जारी रहने के दौरान प्रतिसंहरण न करने के लिए वचनबद्ध है ।

12. राज्य, बैंक को पूर्व सूचना से, किन्हीं अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा किसी सरकारी अभिकरणों का इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम से कार्य कर सकेंगे । खंड 12 में यथा उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशनीय अथवा अन्तरणीय नहीं होगी ।

13. इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दायित्व प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगा ;

(ख) यह बैंक प्रत्याभूति समाप्ति की तारीख तक विधिमान्य होगी ।

14. बैंक इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति की रकम अथवा उसके किसी भाग के संदाय का केवल और सिर्फ केवल तभी उत्तरदायी है यदि राज्य समाप्ति की तारीख को अथवा उसके पूर्व बैंक पर लिखित दावा अथवा मांग की तामील करता है ।

(वर्ष) के (मास) की तारीख (दिवस) को

बैंक ने, इसके साक्ष्यस्वरूप, अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसके हस्ताक्षर और मोहर द्वारा जारी किया है ।

.....

(हस्ताक्षर)

.....

(नाम और पदनाम)

(बैंक की मोहर)

IndiaCode

अनुसूची घ

खनन पट्टा विलेख का रूपविधान

[नियम 6(9)(क) देखिए]

यह विलेख खनन पट्टा ("पट्टा") के अनुदत्त किए जाने के लिए निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया जाता है :

पक्षकार :

1. [राज्य के] राज्यपाल [राज्य का खान और भूविज्ञान विभाग] ("राज्य सरकार") की ओर से,

 और

2. [पट्टेदार का नाम] सरकार [कंपनी/निगम] जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में निगमित है जिसका कारपोरेट पहचान संख्यांक [सीआईएन] है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता] भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान [कारोबार का प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न हो] ("पट्टेदार")।

पृष्ठभूमि :

अ. पट्टेदार ने खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 ("अधिनियम") और इन नियमों की अपेक्षाएं पूर्ण कर ली हैं।

आ. तदनुसार राज्य सरकार, अब पट्टेदार द्वारा पट्टे के लिए संदाय किए जाने, उसका पालन किए जाने और उसको निष्पादित किए जाने के लिए इसमें इसके पश्चात् सुरक्षित और निहित फीस, स्वामिस्व, प्रसंविदा और करारों के प्रतिफलार्थ पट्टेदार को पट्टा अनुदत्त करने के लिए यह विलेख निष्पादित करती है।

1. **परिभाषाएं**

 इस पट्टे में प्रयुक्त पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और इन नियमों में उनके हैं।

2. **पट्टे का अनुदत्त किया जाना**

 2.1 राज्य सरकार पट्टेदार को निम्नलिखित खनिज (खनिजों), [खनिजों के नाम] ('खनिजों') के संबंध में [प्रारंभ होने की तारीख] से प्रारंभ होने वाली अवधि (समयावधि) हेतु खनन संक्रियाएं करने के लिए अनुसूची ङ [("पट्टा क्षेत्र")] में वर्णित क्षेत्र के लिए पट्टा प्रदान करती है।

 2.2 पट्टा पट्टा क्षेत्र में या उसके अधीन स्थित (मौजूद) खनिजों की सभी उन खान संस्तरों/शिरा सीवनों से संबंधित होगा।

 2.3 पट्टेदार इसमें निहित सभी प्रंसविदाओं और करारों को निष्पादित करने तथा पट्टेदार द्वारा किए जाने वाली पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए संदेय अपेक्षित अन्य भुगतान करने और स्वामिस्व का भुगतान करने के अध्यधीन पट्टा क्षेत्र पर कब्जा ले सकता है और दी गई अवधि के दौरान राज्य सरकार से या उसके द्वारा बिना किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के अथवा किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार हेतु दावे के पट्टा क्षेत्र के परिसर में अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

3. **अधिकार और बाध्यताएं**

 3.1 राज्य सरकार और पट्टेदार के अधिकार और बाध्यताएं वे होंगी जो, अधिनियम और इन नियमों तथा तारीख[तारीख] के खान विकास और उत्पादन करार में विनिर्दिष्ट हैं।

 3.2 पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,--

 (क) पट्टेदार —

 (i) इस अधिनियम और इन नियमों और कोई अन्य लागू विधि के उपबंधों का सदैव पालन करेगा ;

 (ii) पट्टेदार द्वारा स्वामित्व और अन्य अपेक्षित संदाय का तत्काल संदाय करेगा ;

 (iii) पट्टेदार इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में पट्टेदार द्वारा उद्भूत सभी नुकसान, क्षति या व्यवधान के संबंध में प्रवृत्त विधि के अनुसार विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा यथा आकलित ऐसे प्रतिकर का संदाय करेगा और इस संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पहुंचाए गए ऐसे किसी नुकसान, क्षति

या व्यवधान और सभी प्रकार के खर्च और व्यय संबंधी सभी दावों के प्रति राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे पूर्णतः और पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा ;

(iv) पर्यावरण संरक्षा के लिए अपने खर्च पर वृक्षारोपण, खनित भूमि का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग के उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं ;

(v) इस पट्टे के अधीन की संक्रियाओं के दौरान होने वाली मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर रूप से क्षति या जीवन अथवा संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट अविलंब उपायुक्त/कलेक्टर और विभाग को भेजेगा ;

(vi) पट्टाक्षेत्र से समय-समय पर प्राप्त किए गए सभी खनिजों के संबंध में पट्टाक्षेत्र के कुछ भाग में तौल करेगा या कराएगा अथवा माप कराएगा और ऐसे प्रत्येक माप-तौल के लिए उपायुक्त/कलेक्टर को [दिनों की संख्या] पूर्व सूचना दी जाएगी जिससे वह अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति प्रत्येक समय पर उपस्थित हो सके ;

(vii) स्वयं द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार और विभाग को प्रस्तुत करेगा और इस पट्टे के अधीन की गई संक्रियाओं के दौरान इस पट्टे के अन्तर्गत समाविष्ट क्षेत्र का भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में पट्टेदार द्वारा अर्जित सभी सूचनाओं को प्रकट करेगा ;

(viii) ऐसा स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकृत प्रभारों का भुगतान करेगा, जो इस विलेख के संबंध में लागू हो।

(ख) राज्य सरकार को :

(i) ऐसी किसी कार्यपालन प्रतिभूति के निबंधनों के अनुसार पट्टेदार द्वारा दी गई किसी कार्यपालन प्रतिभूति को विनियोजित करने और पट्टेदार से कार्यपालन प्रतिभूति की पुनः पूर्ति करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। यदि कार्यपालन प्रतिभूति, पट्टे के समापन और पट्टेदार द्वारा सभी बाध्यताओं को पूर्ण करने के बाद किसी प्रतिभूति निक्षेप के माध्यम से दी गई है तो ऐसा प्रतिभूति निक्षेप पट्टेदार को समुचित कटौतियों के बाद लौटा दी जाएगी यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगा; और

(ii) ऐसे किसी कार्य या विषयों को करने या निष्पादित करने का अधिकार होगा जो इस निमित्त प्रसंविदा के अनुसार पट्टेदार द्वारा किए या निष्पादित किए जाने थे किन्तु इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किए नहीं जा सके या निष्पादित नहीं किए जा सके और पट्टेदार राज्य सरकार की मांग पर ऐसे सभी व्ययों का संदाय करेगा जो उसे करने या निष्पादित करने में उपगत हुए थे।

3.3 युद्ध या आपातकाल (जिसके विद्यमान रहने पर भारत के राष्ट्रपति पूर्णतः निर्णायक होंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उसका निर्णायक सबूत होगी) की दशा में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार की सहमति से समय-समय पर और उक्त अवधि के दौरान सदैव इस पट्टा क्षेत्र या इस पट्टे के अधीन की संक्रियाओं से संबंधित या पट्टेदार की कर्मशाला, संयंत्र, मशीनरी और संपत्तियों पर तुरन्त कब्जा करने और पट्टेदार की कर्मशाला, संयंत्र, मशीनरी और संपत्ति या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं पर नियंत्रण करने का अधिकार (पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देकर) होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसी कर्मशाला, संयंत्र, संपत्तियों और खनिजों में संलिप्तिकरण के उपयोग के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए सभी निर्देशों की पुष्टि और पालन करेगा, परन्तु पट्टेदार को ऐसे उचित प्रतिकर का, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा, इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के कारण या उसके परिणास्वरूप उसे/उन्हें हुई है, सभी हानि या नुकसान के लिए संदाय किया जाएगा और परन्तु यह भी कि ऐसी शक्ति का प्रयोग उक्त अवधि में समाप्त नहीं होगा जो उसके द्वारा प्रदत्त है और इस खंड के निबंधनों और उपबंधों को प्रभावित करता है।

3.4 पट्टेदार को दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना ऐसे व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी जिसे पट्टेदार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए और राज्य सरकार को ऐसे नामनिर्देशन की सूचना लिखित में दी जाएगी। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया जाता है तो यह सूचना पट्टेदार को रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से पट्टा के लिए आवेदन में दर्शाए गए पते पर दी जाएगी या भारत में उस पते पर दी जाएगी जो पट्टेदार ने समय-समय पर अभिहित किया हो और ऐसी प्रत्येक तामील पट्टेदार पर उचित और विधिमान्य तामील समझी जाएगी इस पर कोई प्रश्न या चुनौती खड़ी नहीं की जाएगी।

4. **शासित विधि**

यह पट्टा और इसके निर्वचन संबंधी सभी प्रश्नों का अर्थान्वयन भारत की विधि के अनुसार होगा। इस पट्टे के संबंध में विवाद की दशा में और पट्टेदार तथा राज्य सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में वाद या याचिका [शहर का नाम] के सिविल न्यायालय में फाइल किए जाएंगे और यहां यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि ऊपर वर्णित न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई भी पक्षकार कोई वाद या अपील फाइल या ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसे कार्यान्वित करने हेतु [तारीख] को [स्थान का नाम] पर उपस्थित हुए।

अनुसूची ङ

पुनरीक्षण या आदेश पारित करने के लिए आवेदन का रूप विधान

[नियम 24(1) देखिए]

सेवा में,

[पता]

मैं/हम पुनरीक्षण/आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित आवेदन करता हूं/करते हैं जो अपेक्षित समयावधि के भीतर पारित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	मद के ब्यौरे	विशिष्टियां
1.	आवेदक का नाम (फर्म या अन्य व्यष्टिक संगमों की दशा में, यथास्थिति, फर्म या व्यष्टिक संगमों का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम बताएं)	
2.	आवेदक का पता (फर्म या अन्य व्यष्टिक संगमों की दशा में, यथास्थिति, फर्म या व्यष्टिक संगमों का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम बताएं)	
3.	आवेदक की प्रस्थिति • व्यष्टिक • फर्म • अन्य व्यष्टिक संगम • कंपनी	
4.	आवेदन का प्रयोजन (पारित आदेश का पुनर्विलोकन/आदेश पारित करने का अनुरोध जहां विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आदेश पारित नहीं किया गया है)	
5.	किसी आदेश के पुनर्विलोकन की दशा में, आवेदक को आदेश की संसूचना होने की तारीख	
	या कोई आदेश पारित करने हेतु अनुरोध की दशा में वह तारीख जिसको ऐसा आदेश पारित करने की समयावधि समाप्त हो गई।	
6.	संदेय आवेदन फीस	
7.	बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या तारीख सहित जिसके माध्यम से आवेदन फीस का संदाय किया गया है।	
8.	खनिज जिसके या जिनके लिए आवेदन फाइल किया गया है।	
9.	क्षेत्र के ब्यौरे जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है।	
10.	क्या आवेदन विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर फाइल किया गया है।	हां/नहीं
11.	यदि नहीं तो उसके विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर प्रस्तुत न किए जाने के कारण और विलंब के लिए माफी की ईप्सा।	

IndiaCode

12.	अभियोजित पक्षकार/पक्षकारों के नाम और पूरा पता	
13.	संलग्न याचिका की संख्या (याचिका तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी यदि किसी पक्षकार को अभियोजित नहीं किया गया है। इनके अतिरिक्त अभियोजित प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जाएगी)	
14.	पुनिरीक्षण के आधार	

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे, जिनकी आपके द्वारा अपेक्षा की जाए, देने को तैयार हूं/हैं।

भवदीय,

स्थान :

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदकों के लिए अनुदेश—(क) यदि आवेदक कोई कंपनी है तो आवेदन आवेदक के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि आवेदक कोई व्यष्टि है तो आवेदन व्यक्तिगत रूप से आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। फर्म या व्यष्टि संगमों की दशा में फर्म या व्यष्टि संगम का गठन करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ख) आवेदन के साथ आवेदक (जो कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कारपोरेट प्राधिकार संलग्न होगा। ऐसे कारपोरेट प्राधिकार में किए गए किसी परिवर्तन की सूचना तत्काल राज्य सरकार को दी जानी चाहिए।

अनुसूची च

विशिष्टियों में परिवर्तन की सूचना

[नियम 28 देखिए]

सेवा में,

1. परमाणु ऊर्जा विभाग
 अणुशक्ति भवन, मुम्बई
2. संबंधित राज्य सरकार

महत्वपूर्ण

संबंधित प्राधिकारियों को नाम और पते में परिवर्तन की तारीख से साठ दिन के भीतर इस प्ररूप में सूचना भेजी जाएगी

1. (i) खनित खनिज का (खनिजों के) नाम :
 (ii) ऐसे अन्य खनिजों का (के) नाम, यदि कोई हों, जिसके लिए पट्टा अनुदत्त किया गया है :
2. (i) खान का नाम :
 (ii) परिवर्तन की दशा में खानों के नाम, यदि कोई हों :
 (पुराना नाम और परिवर्तन के कारण उपदर्शित करें) :
3. (i) पट्टेदार/स्वामी का नाम और पता :
 (ii) पट्टेदार/स्वामी के नाम और पते में परिवर्तन :
 पुराना नाम और परिवर्तन के कारण उपदर्शित करें) :
4. खनन पट्टे की विशिष्टियां :
 (i) निष्पादन की तारीख :
 (ii) अवधि :..... वर्ष..... से तक
 (iii) पट्टाधीन क्षेत्र :..... हेक्टेयर/एकड़ :
5. खनन पट्टे की अवस्थिति :
 (i) ग्राम.....जिला..... तालुक/तहसील..... :
 (ii) डाक घर पुलिस थाना..... जिला
 (iii) निकटतम रेल स्टेशन..... दूरी

IndiaCode

(iv) निकटतम विश्रामगृह/डाक बंगला

6. अभिकर्ता की विशिष्टियां : नाम और पता

7. खान के प्रबंधक की विशिष्टियां : नाम और पता

8. खानों में नियोजित खनन इंजीनियर की विशिष्टियां :

(i) नाम और पता :

(ii) अर्हता :

(iii) नियुक्ति की तारीख :

(iv) नियोजन की प्रस्थिति : पूर्णकालिक या अंशकालिक

9. पत्र संख्यांक और तारीख जिसके माध्यम से परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा खनन योजना का अनुमोदन किया गया था।

अनुमोदन पत्र संख्यांक और अनुमोदन की तारीख :

10. कोई अन्य विनिर्दिष्ट जानकारी

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : पूरा नाम :

पदनाम : स्वामी/अभिकर्ता/प्रबंधक/खनन इंजीनियर

(उन मदों को काट दें जो लागू नहीं होती हैं)

अनुसूची छ

खनन पट्टों का रजिस्टर

[नियम 32 देखिए]

क्र. सं.	मद का ब्यौरा	विशिष्टियां
1.	क्रम संख्यांक	
2.	आवेदक का नाम (फर्म या अन्य व्यष्टिक संगमों की दशा में, यथास्थिति, फर्म या व्यष्टिक संगमों का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम बताएं)	
3.	आवेदक का पता (फर्म या अन्य व्यष्टिक संगमों की दशा में, यथास्थिति, फर्म या व्यष्टिक संगमों का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम बताएं)	
4.	आवेदक की प्रस्थिति • व्यष्टिक • फर्म • अन्य व्यष्टिक संगम • कंपनी	
5.	आवेदन की तारीख	
6.	प्राप्तकर्ता अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तारीख	
7.	पट्टा अनुदान का संख्यांक और तारीख	

8.	खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख	
9.	क्षेत्र के ब्यौरे	
	जिला	
	ग्राम	
	ताल्लुक	
	खसरा संख्या	
	अंतरीय भौगोलिक स्थिति प्रणाली के अनुसार क्षेत्र के भू-समन्वयक्	
	भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट संख्यांक	
10.	खनिज जिसके (जिनके) लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है	
11.	तारीख सहित खनन पट्टे में जोड़ा या जोड़े जाने वाले खनिज	
12.	क्षेत्र का विस्तार जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है (हेक्टेयर)	
13.	वह अवधि जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है	
14.	नवीकरण की तारीख और अवधि	
15.	परिवर्तन के ब्यौरे के साथ परिवर्तन की तारीख, जो खनन पट्टाधारक के नाम और अन्य विशिष्टियां में किए जाने हैं।	
16.	तारीख जिससे क्षेत्र पुनःअनुदत्त किए जाने हेतु उपलब्ध होगा	
17.	टिप्पणियां, यदि कोई हों	
18.	अधिकारी के हस्ताक्षर	

IndiaCode

[सं. 1/16/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

G.S.R. 677(E).—In exercise of the powers conferred by section 11B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Atomic Minerals Concession Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "**atomic minerals**" means minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act;

(c) "**Beach Sand Minerals**" means economic heavy minerals found in the teri or beach sands, which include ilmenite, rutile, leucoxene, garnet, monazite, zircon and sillimanite;

(d) **"Board"** means the Atomic Energy Regulatory Board constituted under section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(e) "**Department**" means the Department of Atomic Energy, in the Central Government;

(f) "**Directorate**" means the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research under the Department;

(g) "**illegal mining**" means any reconnaissance or prospecting or mining operation undertaken by any person or a company in any area without holding a mineral concession as required by sub-section(1) of section 4 of the Act.

Explanation. – For the purposes of this clause,

(a) violation of any rules, other than the rules made under section 23C of the Act, within the mining lease area by a holder of a mining lease shall not be construed as illegal mining;

(b) any area granted under a mineral concession shall be considered as an area held with lawful authority by the holder of such mineral concession, while determining the extent of illegal mining;

(h) "**prescribed substances**" means minerals included in the list of prescribed substances under the Atomic Energy Act,1962 (33 of 1962);

(i) "**railway**" and "**railway administration**" have the meanings respectively assigned to them in the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(j) "**run-of-mine**" means the raw unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after blasting or digging or dredging from mineralised zone of mining lease area;

(k) "**Schedule**" means a Schedule to these rules;

(l) "**section**" means a section of the Act;

(m) "**threshold value**" means the grade of atomic mineral, specified as percentage of weight of the prescribed substances contained in the ore, to be specified and notified by the Department from time to time in **Schedule A** as the threshold value for the particular atomic mineral occurring as such or in association with one or more minerals; and

(n) "**Total Heavy Mineral**" means the minerals which comprises of Ilmenite, Rutile, Zircon, Monazite, Sillimanite, Leucoxene and Garnet.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meanings as assigned to them in the Act, the rules made thereunder or the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), as the case may be.

3. Applicability.-(1) These rules shall apply only to mineral concessions relating to atomic minerals occurring as such or in association with one or more other minerals, provided the grade of such atomic minerals is equal to or more than the threshold value.

(2) Mineral concessions relating to atomic minerals where the gradeof atomic mineral contained in the ore is less than the threshold value will be governed, *mutatis mutandis*, by the provisions of the Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in force.

(3) A determination regarding applicability of these rules pursuant to assessment of threshold value against the evidence of mineral contents shall be made by the Directorate in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4 or sub-rule (3) of rule 6, as the case may be.

(4) If one or more atomic minerals occur in association with other minerals but the grade of atomic minerals is less than the threshold value, then any atomic minerals resulting from mining operations, processing or beneficiation shall be handled and disposed of in accordance with directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Atomic Energy Regulatory Board regarding radiological safety.

4. Prospecting for atomic minerals under second proviso to section 4.–(1) The agencies permitted under the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Act may carry out prospecting operations for atomic minerals without a prospecting licence and such prospecting operations shall be carried out in compliance with **Schedule B**:

Provided that where prospecting operation is to be undertaken under this sub-rule, the agencies desirous of undertaking the prospecting operation shall submit a request to the State Government along with particulars of the area and the period required for prospecting.

(2) The State Government shall within thirty days of receipt of the request issue a notification for the purposes of sub-rule (1) in the Official Gazette with prior approval of the Directorate.

(3) Upon issuance of the notification, the State Government shall not grant any mineral concession to any other person or agency for an area or a part thereof in relation to which a notification has been issued.

(4) Upon completion of prospecting operations under sub-rule (1), the agency conducting the prospecting operations shall submit a geological report of its findings to the Department and the State Government in the format specified in the **Schedule B** and no such report is required if the prospecting operation is carried out by the Directorate.

(5) Upon receipt of a geological report under sub-rule (4), the Directorate shall compare the grade of atomic minerals in the prospecting area with the threshold value and,–

(a) if the grade of atomic minerals is less than the threshold value, the Directorate shall provide a written intimation, along with a copy of the geological report, to the State Government, which may grant mineral concessions over such area in accordance with section 10B and section 17A of the Act, as the case may be, and the rules made thereunder;

(b) if the grade of atomic minerals is equal to or above the threshold value, then a mining lease shall be granted by the State Government only in accordance with these rules:

Provided that the Directorate shall also subject the geological reports for prospecting operations generated by the Directorate, to a similar scrutiny as above and hand over the data to the State Governments for action contemplated under clauses (a) and (b).

(6) If the Directorate finds the geological report submitted under sub-rule (4) to be insufficient for making a determination under sub-rule (5), it may seek additional information or direct further exploration and submission of findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate and upon receipt of such findings and data, the Directorate shall take action as specified in sub-rule (5).

(7) The State Government may revoke the notification granted under sub-rule (1), if the Directorate communicates in writing that the prospecting operations have been completed.

CHAPTER II

DISCOVERY AND GRANT OF MINERAL CONCESSIONS

5. Grant of mining lease at the instance of Department.– (1) Where on an examination of a prospecting report prepared in conformity with the parameters specified in **Schedule B** by the Directorate,in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4,indicates the grade of atomic minerals to be equal to or above the threshold value, the State Government shall,–

(a) identify and demarcate the area where a mining lease is proposed to be allocated into forest land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government;

(b) submit a proposal for grant of mining lease over the area identified and demarcated under clause (a) with the precise areas along with survey numbers, to the Central Government with a request to nominate a Government company or corporation owned or controlled by the Government for the grant of such mining lease:

Provided that where the Central Government is of the opinion that mining in such identified area is not required to be undertaken by a Government company or corporation owned or controlled by the Government and subject to provisions of rule 6, it may, by order in writing, declare so and in such cases, the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis*, and the State Government may grant a mineral concession over such area in accordance with section 10B or section 11 or section 17A of the Act and the provisions of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the Mineral (Auction) Rules, 2015, the Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015 and the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, made under section 13:

Provided further that atomic minerals discovered during the mining operations shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety.

(2) Where on an examination of a prospecting report prepared in conformity with the parameters specified in **Schedule B** by the Directorate, in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4 indicates the grade of atomic minerals to be less than the threshold value, the State Government may grant a mineral concession over such area in accordance with the provisions of section 10B or section 11 or section 17A of the Act and the provisions of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the Mineral (Auction) Rules, 2015, the Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015 and the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, made under section 13:

Provided that atomic minerals extracted during the mining operations shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety.

6. Mining by a Government company or corporation owned or controlled by the Government.–(1) In response to the request made by the State Government under clause (b) of sub-rule (1) of rule 5, the Department shall intimate to the State Government in writing of the prospective lessee, along with a confirmation regarding grade of atomic minerals in such area being equal to or above the threshold value.

(2) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be considered to be evidence to show the existence of mineral contents for atomic minerals in the area for the purposes of clause (b) of sub-section (2) of section 5 and a copy of such intimation shall also be sent to the prospective lessee.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the Department shall reserve its rights, wherever required, to additionally notify region and deposit-specific threshold values in the case of uranium and thorium bearing minerals, and authorise the Ministry of Mines in the Central Government and the State Government concerned, subject to terms and conditions specified by the Department, to grant mining lease for one or more specific mineral present associated with atomic minerals.

(4) The prospective lessee shall within two months from the receipt of a copy of the intimation under sub-rule (2) shall submit an application to the State Government for grant of a mining lease in the format specified by the Department along with an application fees of ten thousand rupees per square kilometre.

(5) The State Government shall within ninety days of receipt of a duly completed application under sub-rule (4),communicate to the prospective lessee to submit an approved mining plan and other necessary clearances from the concerned Government agencies as required, for grant of mining lease:

Provided that for the private lands not owned by the prospective lessee which are available within the area demarcated by the State Government under clause (a) of sub-rule (1) of rule 5, the State Government shall not insist for furnishing consent of the concerned private land owners or obtaining the surface rights or the like, etc., during the issuance of order under sub-rule (5):

Provided further that the State Government shall obtain an undertaking or an affidavit from the prospective lessee stating that consents of the private land owner or surface rights will be obtained and furnished in a phased manner to the State Government prior to entering into the private lands for mining, and no mining shall be carried out in private lands not owned by lessee without obtaining the consents or surface rights.

(6) Upon receipt of such communication from the State Government under sub-rule (5), the prospective lessee shall –

(a) prepare a mining plan in accordance with provisions of Chapter IV and submit the same for approval of the Directorate for approval under clause (b) of sub-section (2) of section 5, within a period of twelve months from the date of issuance of the communication from the State Government under sub-rule (5);

(b) provide a performance security to the State Government in the form of a bank guarantee as per the format specified in **Schedule C** or as a security deposit, for an amount equivalent to0.50 per cent. of the value of estimated resources, which performance security may be invoked by the State Government as per the terms and conditions of Mine Development and Production Agreement and the mining lease deed;

(c) the performance security shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources;

(d) obtain approval or permit or no-objection or the like from the concerned Government authorities as may be required under applicable laws for commencement of mining operations;

(e) sign an Mine Development and Production Agreement with the State Government as per the format specified by the Central Government after compliance of conditions specified in clauses (a), (b), (c) and (d) of this sub-rule; and

(f) meet other conditions as may be specified by the State Government with the prior approval of the Department.

(7) The prospective lessee shall submit the documents in support of the fulfilment of the conditions specified in sub-rule (6), and within ninety days of receipt of such documents the State Government shall issue an order to the prospective lessee for granting the mining lease.

(8) The prospective lessee shall execute a mining lease deed within ninety days of receipt of the order of grant of lease as in sub-rule (7), and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the prospective lessee, the State Government may revoke the order granting the lease and in that event the fee paid under sub-rule (4) shall be forfeited to the State Government.

(9) The mining lease deed shall be subject to the following conditions, namely:–

(a) the mining lease deed shall be in the format specified in **Schedule D**;

(b) the area of such mining lease shall be the same as specified by the State Government as in clause (a) of sub-rule (1) of rule 5 and no change in area shall be made by the State Government without the prior approval of the Department:

Provided that in the interest of development of atomic minerals, a Government company or corporation may acquire, in respect of one or more atomic minerals, one or more mining leases covering an area in excess of the area specified in clause (b) of sub-section (1) of section 6, if so permitted by the Department.

(c) in case the atomic minerals in grade equal to or more than the threshold value exists in association with other minerals, then the mining lease shall be granted for all such minerals including the atomic minerals to the same lessee.

(10) The date of the commencement of the period for which a mining lease is granted shall be the date on which a duly executed mining lease is registered.

(11) All mining leases granted under these rules, shall be granted for a period until the entire reserves of such minerals in the mine is exhausted:

Provided that an existing mining lease as on the date of coming into force of these rules granted to a Government company for extraction of prescribed substances including uranium or thorium, shall be deemed to have been granted for a period until the entire reserves of such minerals in the mine is exhausted.

(12) The State Government shall not include any new minerals found in an existing mining lease area granted to a Government company or corporation owned or controlled by the Government:

Provided that for such inclusion of a new mineral, the lessee shall obtain the permission from the Department through the concerned State Government, and after receipt of the permission from the Department, modify the mining plan including the new minerals and get the approval from the Directorate:

Provided further that where subsequent to grant of a mining lease, one or more mineral is found in an area and such minerals are included in the mining lease or a separate mining lease is granted for such minerals, the periods of lease for all minerals shall be co-terminus with that for which the first lease was originally granted.

7. Discovery of atomic minerals by holder of a mineral concession.– (1) If a holder of a mineral concession which has been granted pursuant to the rules made under section 13 discovers any atomic mineral, then he shall report the findings to the Directorate and the State Government in a format as may be prescribed by the Department.

(2) Upon receipt of a report under sub-rule (1), the Directorate shall compare the grade of atomic minerals in the concession area with the threshold value and,–

(a) if the grade of atomic minerals is less than the threshold value, the mineral concession may continue its operations; or

(b) if the grade of atomic minerals is equal to or above the threshold value, then,

(i) in case of a reconnaissance permit which was granted prior to 12thJanuary, 2015, the holder of such reconnaissance permit shall be eligible to receive a prospecting licence followed by a mining lease, only if it is a Government company or corporation approved by the Department;

(ii) in case of a prospecting licence, including a prospecting licence-cum-mining lease under section 10A, the holder of such prospecting licence shall be eligible to receive a mining lease, only if it is a Government company or corporation approved by the Department; or

(iii) in case of a mining lease, the lessee shall continue mining for that particular mineral for which the mining lease was granted with the prior approval of the Department and in case of refusal by the Department the mining lease shall be terminated by the State Government as soon as the communication to this effect is received by the State Government:

Provided that the atomic minerals so discovered during the mining operations, shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety:

Provided further that in case the State Government terminates the reconnaissance permit or the prospecting licence or in case the State Government terminates the mining lease on grounds of refusal by the Department, the State Government shall pay the holder of the reconnaissance permit or the prospecting licence or the mining lease, as the case may be, such sum as in its opinion would represent a fair estimate of the expenditure incurred on such reconnaissance or prospecting or mining operations, as the case may be.

(3) If the Directorate finds the report submitted under sub-rule (1) to be insufficient for making a determination under sub-rule (2), it may seek additional information from the holder of mineral concession or direct the holder of mineral concession to continue exploration and submit findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate.

(4) On receipt of the findings and data referred to in sub-rule (3), the Directorate shall take action as specified in sub-rule (2).

CHAPTER III

MINING PLAN FOR ATOMIC MINERALS

8. Mining plan,-(1) No mining operations shall be undertaken with respect to a mining lease granted under sub-rule (7) of rule 6, except in accordance with a mining plan which has been approved by the Directorate pursuant to clause (b) of sub-section (2) of section 5:

(2) If a mining lease granted under sub-rule (7) of rule 6 is also for minerals other than atomic minerals, then the lessee shall prepare a composite mining plan for mining of all the minerals specified in the mining lease, including the atomic minerals and in such a case, the composite mining plan shall be approved only by the Directorate pursuant to clause (b) of sub-section (2) of section 5.

(3) The composite mining plan shall be submitted for approval to the Director of the Directorate along with a non-refundable fee of one thousand rupees per square kilometer on a *pro-rata* basis of area over which the mining lease is applied for.

(4) The Directorate shall dispose of the application for approval of the mining plan within a period of ninety days from the date of receipt of a duly completed application:

Provided that if the Directorate finds an application incomplete and requires any modification, then the aforementioned period of ninety days shall be reckoned from the date on which a complete application is resubmitted.

(5) The mining plan shall contain –

(i) the plan of the lease hold area showing the nature and extent of the mineral body;

(ii) details of the geology and lithology of the area including mineral reserves of the area;

(iii) the extent of manual mining or mining by the use of machinery and mechanical devices;

(iv) the plan of the area showing natural water courses, limits of reserves and other forest areas and density of trees, if any, assessment of impact of mining activity on forest, land surface and environment including air and water pollution; details of scheme of restoration of the area by afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and such other measures as may be directed by the Department or the State Government from time to time;

(v) a tentative scheme of mining and annual programme and plan for excavation from year to year for five years;

(vi) precise area or allocated area from the State Government marked in the cadastral maps.

(vii) a progressive mine closure plan as provided in the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 made under section 18; and

(viii) any other matter which the Directorate may require to be provided in the mining plan.

(6) The mining plan shall be made in accordance with the format provided by the Directorate.

(7) The mining plan once approved shall be subject to review and updation at an interval of every five years starting from date of registration of the duly executed mining lease deed:

Provided that any modification of the mining plan shall be approved by the Directorate in accordance with the procedure specified in this rule regarding approval of a mining plan, and such an approval of the modified mining plan shall remain valid for the next five years term.

(8) The lessee shall submit, one hundred and eighty days before the expiry of every five years period specified in sub-rule (7), a mining plan for mining operations for the next period of subsequent five years.

(9) A holder of a mining lease may seek modifications in the approved mining plan as are considered expedient, keeping in view changes in the business environment; or in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, for the protection of environment, increase in production, increase or decrease in lease area, any drastic changes in the beneficiation process or any other reason to be specified in writing by the holder of a mining lease and any modification to a mining plan shall be approved by the Directorate.

9. Preparation of mining plan.– (1) Every mining plan under clause (b) of sub-section (2) of section 5 shall be prepared by a person having the following qualifications and experience, namely:-

(a) a degree in mining engineering or a post-graduate degree in geology granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or institution outside India and recognised by the Central Government; and

(b) professional experience of five years of working in a supervisory capacity in the field of mining after obtaining the degree.

(2) Modifications to a mining plan shall be carried out by a person qualified to prepare a mining plan.

(3) The lessee shall ensure that the mining plan is prepared in accordance with the format specified by the Directorate in this regard.

CHAPTER IV

TERMS AND CONDITIONS OF A MINING LEASE

10. Conditions.–(1) Every mining lease granted by the State Government shall be subject to the following conditions, namely: –

(a) the lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the rules and all other applicable laws, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(b) the lessee shall report in writing to the State Government and the Department, the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease, within sixty days of such discovery;

(c) if any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee shall not win and dispose of such mineral unless such mineral is included in the lease or a separate lease is obtained therefor;

(d) the lessee shall pay, for every year, except the first year of the lease, such yearly dead rent at the rates specified in the Third Schedule to the Act and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the State Government shall not charge separate dead rent in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay –

(i) the aggregate of royalty in respect of all minerals; or

(ii) the dead rent for the highest value mineral, whichever is higher;

(e) the lessee shall also pay, for the surface area used by him for the purposes of mining operations, surface rent and water rate at such rate, not exceeding the land revenue, water and cesses assessable on the land, as may be specified by the State Government in the lease;

(f) the lessee shall commence mining operations within two years from the date of execution of mining lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skilful and workman-like manner.

Explanation.–For the purposes of this clause, "mining operations" shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road in connection with the working of the mine;

(g) subject to the provisions of the Act, the rules and any other applicable law, the lessee shall, with respect to the land leased to him, have the right for the purpose of mining operations on that land –

(i) to work in the mines and conduct mining operations;

(ii) to sink pits and shafts and construct buildings and roads;

(iii) to erect plant and machinery;

(iv) to quarry and obtain building and road materials and make bricks;

(v) to use water and take timber;

(vi) to use land for stacking purpose;

(vii) to do any other thing specified in the lease;

(h) the lessee shall at his own expenses erect and at all times maintain and keep in good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the mining plan annexed to the lease;

(i) the lessee shall construct and upkeep the boundary pillars as follows:–

(A) each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar);

(B) there shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;

(C) the distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty metres;

(D) the pillars shall be of square pyramid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;

(E) each pillar shall be of reinforced cement concrete;

(F) the corner pillars shall have a base of 0.30m X 0.30m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;

(G) the intermediate pillars shall have a base of 0.25m X 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;

(H) all the pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimetres in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete;

(I) shall mark on all corner pillars, distance and bearing to the forward and backward pillars and latitude and longitude;

(J) each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;

(K) the number of pillar shall be the number of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

(L) the tip of all the corner boundary pillars shall be a square of fifteen centimetres on which a permanent circle of ten centimetres diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at ninety degrees;

(M) the lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Director of the Directorate may specify in this behalf;

(N) the location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and

(O) in case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department of the State Government in this behalf;

(j) the lessee shall not carry on, or allow to be carried on, any mining operations at any point within a distance of fifty metres from any railway line, except under and in accordance with the written permission of the railway administration concerned, or under or beneath any ropeway or ropeway trestle or station, except under and in accordance with the written permission of the authority owning the ropeway, or from any reservoir, canal or other public works, or buildings, except under and in accordance with the prior permission of the State Government.

Explanation.–For the purposes of this clause the distance of fifty metres shall be measured in the case of railway, reservoir or canal, horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the case may be, and in case of a building, horizontally from the plinth thereof;

(k) the lessee shall not, in the case of village roads, including any track shown in the revenue record as village road, allow any working to be carried on within a distance of ten metres of the outer edge of the cutting except with the prior permission of the Deputy Commissioner or Collector or any other officer duly authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such directions, restrictions and additions, either general or special, which may be attached to such permission;

(l) the lessee shall keep accurate and faithful accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained and dispatched from the mine, the number and nationality of persons employed therein, and complete plans of the mine, and shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the State Government in this behalf to examine at any time any account, plan and record maintained by him and shall furnish to the Central Government or the State Government with such information and returns as it or any officer authorised by it in this behalf may require:

Provided that in the case of minerals containing prescribed substances such information and returns shall be furnished only to the Director of the Directorate;

(m) the lessee shall keep accurate records of all trenches, pits and drillings made by him in the course of mining operations carried on by him under the lease, and shall allow any officer authorised by the CentralGovernment or the State Government to inspect the same andsuch records shall contain the following particulars, namely:-

(i) the subsoil and strata through which such trenches, pits or drillings pass;

(ii) any mineral encountered;

(iii) such other particulars as the Central Government or the State Government may from time to time require;

(n) the lessee shall strengthen and support, to the satisfaction of the railway administration concerned or the State Government, as the case may be any part of the mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road or any other public works or buildings;

(o) the lessee shall allow any officer authorised by the Central Government or the State Government to enter upon any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting the same;

(p) whenever mining is undertaken for beach sand mineral deposits or heavy mineral deposits available at in-land teris or areas containing atomic mineral in association with other minerals, the lessee shall maintain the records and details of the list of minerals mined, details of mining methodology and storage location of these minerals within the mining lease area, tonnage of such minerals, the mineralogy, complete material balance towards conservation of such minerals with respect to *in situ* mineral contents.

Provided that in case of beach sand minerals, the preferential separation of one or more of the heavy minerals of commercial interest from beach sand minerals would invariably result in enhancement of the relative content of other minerals and atomic minerals including monazite in the left-over beach sands and the lessee shall – (i) also maintain the details of quantity of waste and tailings generated during mining and mineral beneficiation activities; (ii) the storage location shall be clearly maintained in the plans and registers; (iii) the lessee shall not transfer or sell or dispose such materials without the prior approval of the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety;

(q) the lessee shall, in the matter of employment, give preference to the tribals and to the persons who become displaced because of the taking up of mining operations;

(r) the lessee shall pay to the occupier of the surface of the land such compensation as may become payable under these rules;

(s) the State Government or any lessee or person authorised by it in that behalf by the State Government shall have the right to –

(i) enter into and upon the leased land and to construct upon, over or through the same, any railways, tramways, roadways or pipelines for any purpose authorised by the State Government and to get from the said lands, stones, gravel, earth and other materials for making, maintaining and repairing such railways, tramways, roads or any existing railways and roads; and

(ii) to pass over or along any such railways, tramways, road lines and other ways, at all times, with or without horses, cattle or other animals, carts, wagons, carriages, locomotives or other vehicles for all purposes:

Provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person authorised by the State Government, no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessee and fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement, as may be decided by the State Government, shall be made to the lessee for all loss or damage substantial hindrance or interference caused to the lessee by such other lessee or person authorised by the State Government;

(t) the lessee shall also comply with the provisions of any other rules made under section 11B.

(2) A mining lease may contain such other conditions as the State Government may deem necessary in respect of the following, namely:–

(a) the time-limit, mode and place of payment of rents and royalties;

(b) the compensation for damage to the land covered by the lease;

(c) the felling of trees;

(d) the restriction of surface operations in any area prohibited by any authority;

(e)the notice by lessee for surface occupation;

(f) the provision of proper weighing machines;

(g) the entering and working in a reserved or protected forest;

(h)the securing of pits and shafts;

(i) the reporting of accidents;

(j) the indemnity to Government against claims of third parties;

(k) the delivery of possession of lands and mines on the surrender, expiration or determination of the lease;

IndiaCode

(l) the time limit for removal of mineral, ore, plant, machinery and other properties from the lease hold area after expiration, or sooner termination or surrender or abandonment of the mining lease;

(m) the forfeiture of property left after termination of lease;

(n) the power to take possession of plant, machinery, premises and mines in the event of war or emergency;

(o) filing of civil suits or petitions relating to disputes arising out of the area under lease.

(3) The State Government may, either with the prior approval of the Department or at the instance of the Department, impose such further conditions as may be necessary in the interests of development of atomic minerals or areas containing atomic minerals in association with other minerals.

(4) If the lessee does not allow entry or inspection under clauses (l), (m), or (o) of sub-rule (1), the State Government shall give notice in writing to the lessee requiring him to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be terminated and if the lessee fails to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the State Government, the State Government may terminate the lease with due permission from the Department.

(5) If the lessee holding a mining lease is convicted of illegal mining and there are no interim orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction in an appeal pending against such conviction in any court of law, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken under the Act or the rules framed thereunder, after giving such lessee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the lessee, may opt for termination of the lease with due permission from the Department.

(6) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required by section 9 or payment of dead rent as required by section 9A or payment of monies as required by section 9B or section 9C or commits a breach of any of the conditions specified in these rules, the State Government shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or dead rent or remedy the breach, as the case may be, within sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or dead rent is not paid or the breach is not remedied within the said period, the State Government may, with prior permission from the Department, without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, terminate the lease and forfeit the whole or part of the performance security.

IndiaCode

11.Grant of mining lease by State Government over areas containing atomic minerals.–(1) Prior to conduct of auction process for grant of mining lease or a prospecting licence-cum-mining-lease, over an area containing atomic minerals, with respect to which the Directorate has not made an assessment regarding threshold value, the State Government shall submit an application to the Directorate, specifying the particulars of the area proposed to be auctioned, the geological report and any other information as may be relevant.

(2) Within two months from the date of receipt of the application, the Directorate shall make an assessment pursuant to sub-rule (5) of rule 4 and follow the procedure specified in sub-rule (6) of rule 4.

12. Action for contravention or non-fulfillment of obligations.–(1) In the case of contravention or non-fulfillment of the obligations under the mining lease deed or the terms and conditions of mining lease, the State Government, under intimation to the Department, reserves the right to take appropriate action, including the right to terminate the mining lease or forfeit, in whole or part, the amount of performance security deposited by the holder of mining lease:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee a reasonable opportunity of stating his case.

(2) If the lessee fails to carry out or perform any of its obligations hereunder or under the lease deed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay the State Government, on demand, all expenses incurred in this regard by the State Government and the decision of the State Government as to such expenses shall be final.

(3) If the lessee fails to fulfill any of the terms and conditions hereunder or under the mining lease shall not give the Central Government or the State Government any claim against the lessee or be deemed a breach of the lease, in so far as such failure is considered by the relevant Government to arise from *force majeure*.

Explanation.–In this rule the expression "*force majeure*" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earth quake, tide, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, earthquake and any other happening which the lessee could not reasonably prevent or control.

(4) If there is any delay by the lessee to fulfill any of the terms and conditions hereunder or under the mining lease on account of a *force majeure* event, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the mining lease.

CHAPTER V

LAPSE, SURRENDER OR TERMINATION

13. Lapsing of mining lease.–(1) Subject to the provisions of this rule,the mining lease shall lapse where mining operations are not commenced within a period of two years from the date of execution of the mining lease, or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of such operations.

(2) The lapsing of a mining lease shall be recorded through an order issued by the State Government and shall also be communicated to the lessee.

(3) Where a lessee is unable to commence the mining operations within a period of two years from the date of execution of the mining lease or discontinuation of mining operations for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, explaining the reasons therefor, at least three months before the expiry of such period of two years:

Provided where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above, the lease shall lapse on expiry of the period of two years.

(4) Application made under sub-rule (3) shall specify in detail:–

(a) the reasons on account of which it is not possible for the lessee to undertake mining operations or continue such operations;

(b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee; and

(c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons.

(5) Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by a fee of one lakh rupees.

(6) The State Government shall, after examining the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (3) or the date on which the mining lease would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such request:

Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake mining operations or inability to continue the same before the end of a period of six months from the date of the order of the State Government communicating that the lease has not lapsed.

(7) The State Government may, on an application made by the holder of a mining lease submitted within a period of six months from the date of its lapse and on being satisfied of the adequacy and genuineness of the reasons for non-commencement of mining operations or discontinuance thereof was beyond the control of the holder of the mining lease, revive the mining lease within a period of three months from the date of receiving the application from such prospective or retrospective date as it thinks fit but not earlier than the date of lapse of the mining lease:

Provided that no mining lease shall be revived for more than twice during the entire period of the mining lease.

(8) Application made under sub-rule (7) for revival of the mining lease shall specify in detail –

(a) the reasons on account of which the lessee failed to undertake mining operations or continue such operations;

(b) the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee; and

(c) the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons:

Provided that the State Government may seek such additional information, documents or clarifications with respect to the application as it may require.

(9) Every application under sub-rule (7) shall be accompanied by a fee of one lakh rupees.

(10) The State Government shall have the right to enforce the performance security of the lessee to carry out protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has lapsed.

(11) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government, towards protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has lapsed.

14. Surrendering mining lease.– (1) The lessee may make an application for surrendering the entire area of the mining lease after giving a notice in writing of not less than twelve calendar months from the intended date of surrender and such application shall be accompanied by an approved final mine closure plan:

Provided that the lessee may make an application for surrendering a part of the area under mining lease only in case the lessee is unable to comply with any of the conditions of the mining lease.

(2) In case of surrendering a part of the mining lease area, the minimum area of the mining lease shall stand adjusted

accordingly.

(3) The State Government shall permit surrender of part of the area only with the prior approval from the Department.

(4) The State Government may allow surrendering a mining lease under sub-rule (1) if the following conditions are satisfied, namely:–

(a) the lessee has submitted a certificate from the Director of the Directorate confirming implementation of the final mine closure plan approved by the Director of the Directorate, including protective, reclamation and rehabilitation work; and

(b) all dues with respect to the mining lease have been settled.

(5) In case of surrender of the entire area of the mining lease, the performance security provided by the lessee shall be forfeited.

(6) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government, towards protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has been surrendered.

15. Termination.–(1) If the termination of a mining lease under the provisions of sub-section (1) of section 4A, or these rules, the State Government shall have the right to enforce the performance security of the lessee to carry out protective, reclamation and rehabilitation measures in the area.

(2) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government, towards protective, reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease which has been terminated.

(3) The lessee may, after paying the rents, rates and royalties payable hereunder or under the lease deed, on the expiry or termination of the lease term or within six calendar months thereafter, whichever is earlier take down and remove for its own benefit, all or any ore mineral excavated during the currency of the lease, engines, machinery, plant, buildings structures, tramways, railways and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in or upon the leased lands and which the lessee is not bound to deliver to the State Government or which the State Government does not desire to purchase.

Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply if the lease is terminated for default of the lessee.

(4) In case the lease is terminated for default of the lessee, he shall be entitled for claiming the benefit of sub-rule (3) at any time not earlier than three calendar months norlater than six calendar months.

(5) If at the end of six calendar months after the expiry or termination of the lease term there shall remain in or upon the leased land, any ore or mineral, engines, machinery, plant, buildings structures, tramways, railways and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee in connection with operations in any other lands held by it under prospecting licence or mining lease, the same shall, if not removed by the lessee within one calendar month of being notified to do so by the State Government, be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee in respect thereof.

CHAPTER VI

COMPENSATION

16. Payment of compensation to owner of surface rights, etc.–(1) The holder of a mineral concession shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land over which he holds the concession, such annual compensation as may be determined by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf in the manner provided in sub-rules (2) to (6).

(2) In the case of agricultural land, the amount of annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be worked out on the basis of the average annual net income from the cultivation of similar land for the previous three years.

(3) In the case of non-agricultural land, the amount of annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be worked out on the basis of average annual letting value of similar land for the previous three years.

(4) The annual compensation referred to in sub-rule (1) shall be payable on or before such date as may be specified by the State Government in this behalf.

(5) The holder of a mineral concession may implement the provisions of rehabilitation and resettlement policy for payment of such compensation, approved by the State Government, as the case may be.

(6) If after the receipt of an offer of compensation for any damage which is likely to arise from the proposed operation of the lessee, the occupier of the surface of any part of the said land refuses his consent to the exercise of the rights and powers reserved to the State Government and granted by the mining lease, the lessee shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the State Government is satisfied that the amount of compensation is reasonable or if it is not so satisfied and the lessee shall have deposited with it such further amount as the State Government may consider reasonable, the State Government shall order the occupier to allow the lessee to enter upon the said land and carry out such operations as may be necessary for the purpose of the lease.

(7) In assessing the amount of such compensation, the State Government shall be guided by the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013).

(8) Whenever the private patta land owners provide the consent to the lessee for a short period towards surface operations over their lands, the payment of compensation amount for the said short period shall be arrived based on the mutually agreed terms and conditions.

(9) The amount of compensation referred to in sub-rule (8) shall be assessed either as per the prevailing rules of the State Government or by the officer appointed by the State Government.

(10) The payment of compensation amount by the lessee to the concerned land owner, undertaking the surface operations over the private land for a short period as per the consent and handing over back the said private land after completion of surface operations shall be as per the mutually agreed terms and conditions between the lessee and the private land owner.

(11) The lessee shall not enter into the private patta lands for surface operations without obtaining consent of the patta land owner.

17. Assessment of compensation for damage.–(1) After the termination of a mineral concession, the State Government shall assess the damage, if any, done to the land by the reconnaissance or prospecting or mining operations, as the case may be, and shall determine the amount of compensation payable by the mineral concession holder, as the case may be, to the occupier of the surface land.

(2) Every assessment referred to in sub-rule (1) shall be made within a period of one year from the date of termination of the mineral concession and shall be carried out by an officer appointed by the State Government by notification in this behalf.

IndiaCode

CHAPTER VII

PAYMENTS

18. How fees and deposit are to be made.– Any amount payable under the Act or rules made thereunder except that payable in respect of revision petition under sub-rule (2) of rule 24 and mining plan under sub-rule (3) of rule 8, shall be paid in such manner as the State Government may specify in this behalf.

19. Payment of interest.– The State Government may, without prejudice to the provisions contained in the Act or rules made thereunder, charge simple interest at the rate of twenty-four per cent. per annum on any rent, royalty or fee other than the fee payable under sub-rule (2) of rule 23 and sub-rule (3) of rule 8, or other sum due to that Government under the Act or rules made thereunder or terms and conditions of any mineral concession from the sixtieth day of the expiry of the date fixed by that Government for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent, fee or other sum is made.

20. Payments under mining lease.–(1) The lessee shall pay royalties to the State Government in the manner specified in section 9 of the Act or the dead rent specified in section 9A of the Act.

(2) The lessee shall pay, for every year, except the first year of the lease, such yearly dead rent at the rates specified in the Third Schedule to the Act and if the lease permits the working of more than one mineral in the same area, the State Government shall not charge separate dead rent in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay.–

(i) the aggregate of royalty in respect of all minerals; or

(ii) the dead rent for the highest value mineral, whichever is higher.

(3) The lessee shall also pay, for the surface area used by him for the purposes of mining operations, surface rent and water rate at such rate, not exceeding the land revenue, water and cess assessable on the land, as may be specified by the State Government in the lease.

21. Payments under section 9B and section 9C.– In addition to the payments specified in rule 20, the holder of a mining lease shall be required to pay monies to the District Mineral Foundation and the National Mineral Exploration Trust in accordance with the provisions of sections 9B and section 9C, and the rules in relation thereto.

22. Charging of royalty in case of minerals subjected to processing.–(1) If processing of run-of-mine mineral is carried out within the leased area, then, royalty shall be chargeable on the processed mineral removed from the leased area.

(2) If the run-of-mine mineral is removed from the leased area to a processing plant which is located outside the leased area, then, royalty shall be chargeable on the unprocessed run-of-mine mineral and not on the processed product.

23. Manner of payment of royalty on minerals on *ad valorem* basis.- (1)Every owner of mine, his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee shall compute the amount of royalty on minerals where such royalty is charged on *ad valorem* basis in accordance with the provisions of sub-rule (2).

(2) For all atomic minerals in Part-B of the First Schedule to the Act, the State-wise sale prices for different minerals as published by the Department shall be the sale price for computation of royalty in respect of any mineral produced any time during a month in any mine in that State, and the royalty shall be computed as per the formula given below:

Royalty = ∑ Sale price of mineral (grade wise and State-wise) published by Department of Atomic Energy/ Indian Bureau of Mines / State GovernmentX Rate of royalty (in percentage) X Total quantity of mineral of a particular grade dispatched (removed from the lease area)**:**

Provided that if for a particular mineral, the information for a State for a particular month is not published by the State Government and the Department the latest information available for that mineral in the State shall be considered, failing which the latest information for all India for the mineral shall be considered.

CHAPTER VIII

REVISION

24. Application for revision.–(1) Any person aggrieved by –

(a) any order made by the State Government or other authority in exercise of the powers conferred on it by or under the Act or these rules in relation to regulation of atomic mineral concessions and for purposes connected therewith; or

(b) non-passing of any order specified in clause (a) within the time specified therefor may,

within three months from the date of communication of the order to him, or the date on which the time period for passing such order expired, apply to the Department in the form specified in **Schedule E** for passing of an order, pursuant to section 30.

(2) The application shall be accompanied by a bank draft for ten thousand rupees as application fee drawn on a Scheduled bank in the name of 'Pay and Accounts Officer, the Department payable at Mumbai or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Department:

Provided that any such application may be entertained after the said period of three months if the applicant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not making the application within time.

(3) In every application under sub-rule (1) against the order of a State Government refusing to grant a mineral concession, any person to whom a mineral concession was granted in respect of the same area or for a part thereof, shall be impleaded as party.

(4) The applicant shall, along with the application under sub-rule (1), submit as many copies thereof as there are parties impleaded under sub-rule (3).

(5) On receipt of the application and copies thereof, the Central Government shall send a copy of the application to each of the parties impleaded under sub-rule (3) specifying a date on or before which he may makes his representation, if any, against the revision application:

Provided that in case where the revision application has been filed for the reason that no order has been passed by the State Government within the time specified therefor, the Central Government shall before passing an order give the State Government an opportunity of being heard or to represent in the matter.

25. Orders on revision application.–(1) On receipt of an application for revision under rule 24, copies thereof shall be forwarded to the State Government or other authority and to all the impleaded parties calling upon them to make such comments as they may like to make within three months from the date of issue of the communication, and the State Government or other authority and the impleaded parties, while furnishing comments to the Central Government shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.

IndiaCode

(2) The comments received from any party under sub-rule (1) shall be forwarded to the other parties for making such further comments as they may like to make within one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall forward such further comments to all the other parties.

(3) The revision application, the communications containing comments and counter-comments referred to in sub-rule (1) and (2) shall constitute the records of the case.

(4) After considering the records referred to in sub-rule (3), the Central Government may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as the Central Government may deem just and proper.

(5) The Central Government may for sufficient cause, pending the final disposal of an application for revision, stay the execution of the order against which any revision application has been made.

(6) If in any event the orders of the State Government are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under these rules, the lessee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the lessee in exercise of the powers and privileges conferred upon the lessee by the lease deed.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

26. Power to rectify apparent mistakes.–Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Government or any other authority or officer under these rules and any error arising therein from accidental, inadvertent slip or omission, may, within two years from the date of the order, be corrected by the Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

27. Copies of leases and annual returns to be supplied to Government.-(1) A copy of every mining lease granted under these rules shall be supplied by each State Government within two months of such grant or renewal to the Director of the Directorate and the Director General Mines Safety.

(2) A consolidated annual return of all mining leases granted under these rules shall also be supplied by each State Government to the Director, Atomic Minerals Directorate, Hyderabad and the Director General Mines Safety in such form as may be specified by him, not later than the 30th day of June following the year to which the return relates.

28. Change of name, address to be intimated.–The holder of a mining lease shall intimate to the Department and State Government within sixty days any change that may take place in his name and other particulars in the format specified in **Schedule F**.

29. Prior approval of Central Government to be obtained through State Government.–Where in any case, prior approval of the Central Government is required under the Act or these rules, the application for such approval shall be made to the Central Government through the State Government.

30. Facilities for training of students.–(1) Every owner, agent or manager of a mine shall permit researchers or students of mining, geological and mineral processing institutions approved by the Department or the Central Government to conduct research or acquire practical training of the mines and plants operated by them and provide all necessary facilities required for the training of such students.

(2) The applications for research or training from students of institutions teaching mining, geology or mineral processing shall be forwarded to the owner, agent or manager of a mine through the Principal or Head of the Institution.

(3) The cases of refusal to provide facilities for research or practical training by any owner, agent or manager of a mine shall be referred to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, for his decision within a period of thirty days.

31. Geophysical data to be supplied to Department.– (1) A holder of mining lease or a person conducting prospecting operations, as the case may be, shall furnish all information pertaining to investigations of atomic minerals collected by him during the course of exploration and mining operations to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad, Director General, Geological Survey of India, and to the Director of Geology and Mining of the State, in which the mining operations are carried on.

(2) The data or information referred to in sub-rule (1) shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the mining lease.

32. Registers.-A register of mining leases granted under these rules shall be maintained by the State Government in the format specified in **Schedule G**, which shall be accessed by the Directorate, the Department and the Board, whenever required, for the purpose of ensuring conservation of atomic minerals, and enforcing radiological safety regulations, respectively.

33. Amalgamation of leases.–(1) The State Government may, in the interest of mineral development, and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining leases held by a lessee:

Provided that the period of amalgamated leases shall be co-terminus with the lease, whose period will expire first:

Provided further that prior approval of the Department shall be obtained for such amalgamation.

(2) An application for the amalgamation of mining leases pending at the commencement of these rules shall be disposed of in accordance with these rules.

34. Boundaries below surface.–The boundaries of the area covered by a mining lease shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

35. Pending applications.–An application pending at the commencement of these rules, which is not inconsistent with the Act and these rules shall be disposed of in accordance with the provisions of these rules.

36. Power of the Department to amend Schedule A.–The Department may, by notification in the Official Gazette, amend **Schedule A** so as to amend the threshold value, as may be specified in the notification.

CHAPTER X

PENALTY

37. Penalty.–Any contravention of these rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

SCHEDULE A

PARTICULARS OF THRESHOLD VALUE FOR ATOMIC MINERALS

(See rule 2 (1) (m) and rule 36)

1.	Beryl and other beryllium - bearing minerals	0.1% BeO (1000 ppm BeO) of the rock or 10kg/tonne Beryl in excavated material.
2.	Lithium bearing minerals	0.5% (5,000ppm) Li_2O in ore, except brine (200 ppm Li, i.e. 200 g/tonne Li).
3.	Minerals of the 'rare earths' group containing uranium and thorium	60 ppm U_3O_8 and/or 250 ppm ThO_2 in ore.
4.	Niobium-bearing minerals	100 ppm $(Nb+Ta)_2 O_5$ (100 g/tonne) in ore.
5.	Phosphorites and other phosphatic ores containing	60 ppm U_3O_8 in ore.
6.	Pitchblende and other uranium ores	60 ppm U_3O_8 in ore, except in Singhbhum Shear zone in Jharkhand where the threshold value will be 150 ppm U_3O_8 in ore.
7.	Titanium bearing minerals and ores (ilmenite, rutile and	In case of titanium-bearing minerals occurring in hard rock, 60 ppm U_3O_8 and/or 250 ppm ThO_2 in the rock.
8.	Tantalum-bearing minerals	100 ppm $(Ta+Nb)_2 O_5$ (100 g/tonne) in ore.
9.	Uraniferousallanite, monazite and other thorium minerals	60 ppm U_3O_8 and/or 250 ppm ThO_2 and/or 0.75% monazite in Total Heavy Minerals in Beach Sand Minerals and other placer deposits.
10.	Uranium bearing tailings left over from ores after extraction of copper and gold, ilmenite and other titanium ores.	60 ppm U_3O_8 and/or 250 ppm ThO_2.
11.	Zirconium bearing minerals and ores including zircon.	0.75% monazite in Total Heavy Minerals, in the case of Zirconium bearing minerals and ores including zircon, occurring in Beach Sand Minerals in association with monazite, In other cases, zircon containing less than 2000 ppm of Hafnium.

SCHEDULE B

PARAMETERS FOR ESTABLISHING THE EXISTENCE OF MINERALIZATION FOR ATOMIC MINERALS

[See rules 4(1), 4(4), 5(1) and 5(2)]

Geological assessment.-The purpose of Geological assessment is to identify mineralization, to establish continuity, quality and quantity of mineral deposit for feasibility assessment in order to define an investment opportunity. The Economic viability is generally evaluated initially by assumptions indicating that deposit is of intrinsic interest.

Part - I: Explanations:– (1) The exploration for any mineral deposit essentially involves four steps, namely, Reconnaissance Survey (G4), Preliminary Exploration (G3), General Exploration (G2) and Detailed Exploration (G1). These provide resource and reserves categories reflecting increasing degree of geological assurance which can be documented in respective geological reports.

(2) Depending upon the extent of area to be explored, topography, time available and the level of details required one step can be combined with another or more steps of exploration.

(3) Reconnaissance Survey (G4) identifies areas of enhanced mineral potential based primarily on results of regional geological studies, regional geological mapping, airborne and indirect methods, preliminary field inspection, and geological inference and extrapolation. The objective is to identify mineralised areas worthy of further investigation towards deposit identification.

(4) Preliminary Exploration (G3) is the systematic process of searching for a mineral deposit by narrowing down areas of promising enhanced mineral potential. The methods utilised are outcrop identification, geological mapping, and indirect methods such as geophysical and geochemical studies. Limited wide spaced pitting or trenching or drilling with sampling to identify a deposit which will be the target for further exploration. Estimates of quantities are inferred, based on interpretation of geological, geophysical, geochemical and geo-technical investigations results.

(5) General Exploration (G2) (Prospecting) involves the initial delineation of an identified deposit. Methods used include surface mapping, pitting or trenching or drilling followed by sampling for evaluation of mineral quantity and quality (including mineralogical tests on laboratory scale if required), and limited interpolation based on indirect methods of investigation. The objective is to establish the main geological features of a deposit, giving a reasonable indication of continuity and providing an initial estimate of size, shape, structure and grade. The degree of accuracy should be sufficient for deciding whether a Prefeasibility Study and Detailed Exploration are warranted.

(6) Detailed Exploration (G1) involves the detailed three-dimensional delineation of a known deposit achieved through sampling, such as from outcrops, pits, trenches, boreholes, exploratory mining (wherever required) shafts and tunnels etc. Sampling grids are closely spaced such that size, shape, structure, grade, and other relevant characteristics of the deposit are established with a high degree of accuracy. Processing tests involving bulk sampling from exploratory mining may be required.

(7) Mineral Resource (G4 and G3) is a concentration of solid material of economic interest in or on the Earth's crust in such form, grade or quality and quantity that there are reasonable prospects for eventual economic extraction. The location, quantity, grade or quality, continuity and other geological characteristics of a mineral resource are known, estimated or interpreted from specific geological evidence and knowledge, including sampling.

(8) Mineral resources are sub-divided, in order of increasing geological confidence into Inferred, Indicated and Measured categories.

(9) Inferred Mineral Resource (G4) is that part of a Mineral Resource for which quantity and grade or quality are estimated on the basis of limited geological evidence and sampling achieved through a stage of preliminary exploration.

(10) An Inferred Resource has a lower level of confidence than that applying to an Indicated Mineral Resource. The majority of Inferred Mineral Resources could be upgraded to Indicated Mineral Resources with continued exploration.

(11) Indicated Mineral Resource (G3) is that part of a Mineral Resource for which quantity, grade or quality, densities, shape and physical characteristics are estimated with sufficient confidence to allow the application of Modifying Factors in sufficient detail to support mine planning and evaluation of the economic viability of the deposit.

(12) Geological evidence is derived from adequately detailed and reliable exploration, sampling and testing and is sufficient to assume geological and grade or quality continuity between points of observation.

(13) Measured Mineral Resource (G3 and G2) is that part of a Mineral Resource for which quantity, grade or quality, densities, shape, and physical characteristics are estimated with confidence sufficient to allow the application of Modifying Factors to support detailed mine planning and final evaluation of the economic viability of the deposit.

(14) Geological evidence is derived from detailed and reliable exploration, exploratory mining, sampling and testing and is sufficient to confirm geological and grade or quality continuity between points of observation.

(15) A Measured Mineral Resource has a higher level of confidence than that applying to either an Indicated Mineral Resource or an Inferred Mineral Resource. It may be converted to a Measured Mineral Reserve or to an Indicated Mineral Reserve.

(16) Mineral Reserve (G2 and G1) is the economically mineable part of Mineral Resource. It includes diluting materials and allowances for losses, which may occur when the material is mined or extracted and is defined by studies at Pre-Feasibility or Feasibility level as appropriate that include application of Modifying Factors.

(17) Probable Mineral Reserve (G2) is the economically mineable part of an Indicated Mineral Resource, and in some circumstances, a Measured Mineral Resource.

(18) The confidence in the Modifying Factors applying to a Probable Mineral Reserve is lower than that applying to a Proven Mineral Reserve.

(19) Proven Mineral Reserve (G1) is the economically mineable part of a Measured Mineral Resource. A Proven Mineral Reserve implies a high degree of confidence in the Modifying Factors.

(20) Modifying Factors are considerations used to convert Mineral Resources to Mineral Reserves. These include, but are not restricted to, mining, processing, end use, cut-off grade, threshold value, metallurgical, infrastructure, economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors.

(21) Pre-Feasibility Study is a study of a range of options for the technical and economic viability of a mineral project that has advanced to a stage where a preferred mining method, in the case of underground mining, or the pit configuration, in the case of an open pit, is established and an effective method of mineral processing is determined. It includes a financial analysis based on reasonable assumptions on the Modifying Factors and the evaluation of any other relevant factors which are sufficient, to determine if all or part of the Mineral Resource may be converted to a Mineral Reserve at the time of reporting. A Pre-Feasibility Study is at a lower confidence level than a Feasibility Study.

(22) Feasibility Study is a detailed comprehensive technical and economic study of the selected development option for a mineral project that includes appropriately detailed assessments of applicable Modifying Factors together with any other relevant operational factors and detailed financial analysis that are necessary to demonstrate at the time of reporting that extraction is reasonably justified (economically mineable). The confidence level of the study will be higher than that of a Pre-Feasibility Study.

(23) Economic viability: The Economic viability of a deposit shall depend on the activities indicated in Part II to Part IV and shall act as a qualifier based on the activities taken up.

(24) "Cut off grade" means the minimum economic assay grade of the mineral for a deposit below which the mining operations become unviable in the present market dynamics or end use quality. It may vary from time to time and deposit to deposit depending upon market requirement.

Part-II: Geological Parameters for exploration

1	Aerial reconnaissance: Satellite imagery/ remote sensing/ airborne geophysical survey etc. using appropriate technology (applicable mainly for reconnaissance survey (G4) stage).
	Geological survey (Mapping):On 1 : 50,000 or smaller scale for reconnaissance (G4) stage; on 1 : 10,000 or larger scale for preliminary exploration (G3) stage; 1:4000 /1 : 5,000 or larger scale for general exploration (G2) stage; on 1 : 2,000 or larger scale for detailed exploration (G1) stage.
	Ground Geophysical and Geochemical survey: Geophysical and geochemical survey using appropriate techniques as may be necessary.
	Technological :Exploration and sampling using appropriate techniques from locations such as outcrops, trenches, pits, old workings and drill holes. The sampling locations are spaced suitably (in a grid pattern to the extent possible and may be modified depending on structural complexity) for establishing existence of ore body and its lateral and vertical continuity. For General (G2) and detailed (G1)stages of exploration, the depth continuity of mineralisation may be considered limited to the depth up to which direct evidence of mineralization is established. The lateral extension to be considered for resource assessment shall depend on geological considerations and in any case shall not be more than 50% of the grid spacing of the probe points. Assessment based on selected information such as isolated assays, isolated drill holes, assays of panned concentrates etc. is not recommended.

	Sampling and sub-sampling: (a) Random grab/chip/channel sampling from surface exposure/escarpments/ nallah cuttings/ pit/channel etc. for reconnaissance stage. (b) Systematic sampling from pits/trenches/outcrops/workings etc. spaced closely enough to confirm geological and grade continuity for other stages of geological assessment. (c) Litho-logging and gamma-ray logging of boreholes as the case may be, sampling of drill core/chip samples at regular interval, preferably metre wise or less for the mineralized portions. (d) The drill technique to be deployed shall depend on the rock type to be penetrated and with an aim to achive maximum sample/core recovery.
	Assay data and Laboratory tests:Analysis of all samples generated for major radicals appropriate to the mineral under investigation. Analysis of by-products and deleterious elements wherever necessary.
	Petrographic and Mineragraphic studies: Petrographic analysis of mineralized portions to ascertain the rock types and mineral assemblages including grain size, texture, gaunge and its liberation characteristics etc. if considered necessary.
	Bulk density study: The bulk density must be measured by methods that adequately account for void spaces (vugs, porosity and other void spaces)
	Bulk Sampling for Beneficiation studies: Bulk sampling if necessary for testing processing technology.
	Environmental setting.-details about local infrastructure, host population, historical sites, forests, sanctuaries, national park and base line information on environmental setting of the area to be collected.
	Any other relevant data: groundwater, geotechnical and rock characteristics and other data that may be relevant

IndiaCode

Part –III

Suggested norms for Exploration by drilling for different types of Uranium, Thorium and Rare Metal and Rare Earth Element deposits

Type of deposit and Principal Minerals	G4 stage	G3 stage	G2 stage	G1 stage	Remarks
I. Bedded Stratiform and Tabular Uranium Deposits of Regular and irregular Habit, and classified as: Sandstone type, Carbonate hosted, Phosphate, Black Shale, Surficial and Coal Lignite hosted uranium deposits	Scout drilling/ pitting/ trenching as per necessity	Bore-hole grid/ sample spacing may be atleast 800m x 400m or atleast 5 boreholes per sq km	Bore-hole grid/ sample spacing may be atleast 400m x 200m or atleast 18 boreholes per sq km	Bore-hole grid/ sample spacing may be atleast 200m x 100m or atleast 65 boreholes per sq km	Exploratory mine openings-open pit or underground development with bulk determination of grades at G1 stage as per requirement
II. Lenticular Uranium bodies of all dimensions including bodies occurring in linear zones of composite veins, lenses, pockets, stockworks, and classified as: Metamorphite, Metasomatite, Unconformit-related, Intrusive, Granite-related, Polymetallic	Scout drilling/ pitting/ trenching as per necessity	Bore-hole grid/ sample spacing may be atleast 400m x 200m or atleast 18 boreholes per sq km	Bore-hole grid/ sample spacing may be atleast 200m x 100m or atleast 65 boreholes per sq km	Bore-hole grid/ sample spacing may be atleast 100m x 50m or atleast 230 boreholes per sq km	Exploratory mine openings-open pit or underground development with bulk determination of grades at G1 stage as per requirement

hematite breccia complex type, Volcanic related and Collapse Breccia Pipe types of uranium deposits.					
III. Rare metal and REE pegmatites, reefs and veins/pipes, Carbonatite and other Alkali Igneous Rocks	Scout drilling/ random pitting/ trenching as per necessity	10 to 25 pits/ trenches/ per sq.km. In case of drilling, borehole spacing may be 40m x 20m or 40m x 40m.	Pitting/ Trenching/ preferably at 20m interval. In case of drilling, borehole spacing may be 20m x 10m or 20m x 20m.	Exploratory open pit or boreholes at 10m x 10m or closer or underground sampling with bulk determination of grades and recovery wherever necessary	
IV. Beach and Inland Placer Deposits Beach, dune and inland (Teri/Red Sands) placer concentration of heavy mineral deposits (ilmenite, leucoxene, rutile, magnetite, monazite, garnet, sillimanite and zircon etc.) formed by wave and wind action with grain size varying from silt to coarse sand.	Random sampling as per availability of sample points	Auger/Conrad/Bunka/ Dormer/Vibrocore/ RCD drilling >2000-3000m x 200m	Auger/Conrad/Bunka/ Dormer/Vibrocore/ RCD drilling: G.2.1.: >200-1000m x 100-200m grid G.2.2.: >1000-2000m x 200m grid	Auger/Conrad/Bunka/ Dormer/Vibrocore/ RCD drilling 200m x 100m grid or closer.	

IndiaCode

Part-IV

A Geological Report for estimation and reporting of Mineral Resources integrating all data of exploration, sampling and testing generated through aerial, geophysical, geochemical, geological surveys and technological study may be undertaken for every stage of geological study i.e. from G4 to G1 for assessing the resources. The report on these studies generally incorporates the following.

S. No.	Criteria	Explanation
1	Titleand Ownership	- Name, address of the prospector including E-mail ID, telephone number.
2	Details of the area	-Details of period of prospecting/mineral right if any. -Village, District, State - Survey of India Toposheet No. Geo-coordinates of the area of all corner points - cadaster details of the area with land use - mineral(s) under investigation
3	Infrastructure and Environment	-Local infrastructure, host population, historical sites, forests, sanctuaries, national park and environmental settings of the area.
4	Previous Exploration	-Details Of previous exploration carried out by other agencies/parties. - In case the area forms part of the area covered under earlier exploration then the same should be shown in a map with proper scale.
5	Geology	-Brief regional geology of the area outlining the broad geological, structural frame work. -Deposit type, geological setting and details of dip, strike, old workings, surface exposures etc. of the area under study also of adjoining nearby areas if available and the information is likely to have an impact on the area under study. -Reliable geological map of appropriate scale with geo-coordinates showing major lithological units, structural and tectonic features; extent of surface mineralisation, structure, location of boreholes, pits, trenches, old workings and other geo-coordinates. - Cross sections at suitable intervals showing vertical projections of litho-units and

		mineralization. - The extent and variability of the mineralization expressed as length (along strike or otherwise), plan width, and depth below surface to the upper and lower limits of the Mineral Resource.
6	Aerial/ground geophysical/ geochemical data	Details of aerial, geophysicaland geochemical survey results taken up if any.
7	Technological investigation	-Details of technological investigation (pitting/trenching/drilling andother details) -Data spacing for reporting of Exploration Results: Whether the data spacing and distribution is based on section I and II and is sufficient to establish the degree of geological and grade continuity appropriate for the Mineral Resource estimation procedure(s) and classifications applied.
8	Sampling Technique	Nature and quality of sampling (For example cut channels, random chips and other sampling) and measures taken to ensure sample representivity.
9	Drilling Technique and drill employed	- Drill type (For example core, reverse circulation, open-hole hammer, rotary air blast, auger, Bangka, sonic and other drilling techniques) and details (For example core diameter, triple or standard tube, collar R.L, sampling, azimuth, inclination, coordinates of bore holes and other details). -Whether core and chip sample recoveries have been properly recorded and results assessed. -Measures taken to maximize sample recovery and ensure representative nature of the samples. Logging.-Whether core and chip samples have been logged to a level of detail to support appropriate Mineral Resource estimation, mining studies and metallurgical studies.
10	Sub-sampling techniques and sample preparation	-If core, whether cut or sawn and whether quarter, half or all core taken. -If non-core, whether riffled, tube sampled, rotary split etc. and whether sampled wet or dry. -For all sample types, the nature, quality and appropriateness of the sample preparation technique. -Quality control procedures adopted for all sub-sampling stages to maximize representivity of samples. -Measures taken to ensure that the sampling is representative of the in situ material collected. -Whether sample sizes are appropriate to the grain size of the material being sampled.
11	Quality of assay data and laboratory tests	The nature, quality and appropriateness of the assaying and laboratory procedures used and whether the technique is considered partial or total. Nature of quality control procedures adopted (For example standards, blanks, duplicates, external laboratory checks) and whether acceptable levels of accuracy (that is lack of bias) and precision have been established.
12	Moisture	-Whether the tonnages are estimated on a dry basis or with natural moisture, and the method of determination of the moisture content.
13	Bulk Density	Whether assumed or determined. If assumed, the basis for the assumptions. If determined, the method used, whether wet or dry, the frequency of the measurements, the nature, size and representativeness of the samples.
14	Resource estimation techniques	- Discussion on sufficient data density to assure continuity of mineralization and synthesis adequate data base for estimation procedure used. -The nature and appropriateness of the estimation technique(s) applied and key assumptions, including treatment of extreme grade values, domaining, Interpolation parameters, maximum distance of extrapolation from data points. -The basis for the classification of the Mineral Resources into varying confidence categories. -The assumptions made regarding recovery of byproducts. -Detailed description of the method used and the assumptions made to estimate tonnages and grades (section, polygon, inverse distance, geostatistical, or other method). -Description of how the geological interpretation was used to control the resource estimates. -Discussion of basis for using or not using grade cutting or capping. If a computer method was chosen, description of programmes and parameters used. -Geostatistical methods are extremely varied and shall be described in detail. The method chosen shall be justified. The geostatistical parameters, including the variogram, and

		their compatibility with the geological interpretation shall be discussed. Experience gained in applying geostatistics to similar deposits should be taken into account. -Data verification and /or validation procedures used.
15	Further work	-The nature and scale of planned further work (For example tests for lateral extensions or depth extensions or largescale step-out drilling).
16	Annexures/ enclosures to the report	The report shall include all relevant data including maps, sections, logs, analysis reports photographs etc. in support of the estimates made
17	Any Other Information	Any other information as may be available or required by any authority.

Part-V.-Criteria for Pre-feasibility or Feasibility Report

The Criteria for pre-feasibility/feasibility report (to be prepared and submitted by the mining companies) for estimation and reporting of mineral reserves (the criteria listed in Part-IV shall also be applicable for estimation and reporting of mineral reserves). The Geological Study Report shall also form a part of the prefeasibility/feasibility report.

S. No.	Criteria	Explanation
1	Mineral Resource estimate for conversion to Mineral Reserve	- Description of Mineral Resource estimate used as a basis for the conversion to a Mineral reserve. - Clear statement as to whether the Mineral Resources are reported additional to, or inclusive of the Mineral Reserves. -The type and level of study undertaken to enable Mineral Resources to be converted to Mineral Reserves, that is Pre-feasibility/ Feasibility level.
2	Cut off Parameters	-The basis of the adopted cut-off grade(s) or quality parameters applied, including the basis, if appropriate, of equivalent metal formulae and the threshold values prescribed by Indian Bureau of Mines.
3	Mining factors or assumptions.	-The method and assumptions used to convert the Mineral Resource to a Mineral Reserve (that is either by application of appropriate factors by optimisation or by preliminary or detailed design supported with conceptual plan for mining). -The choice of, the nature and the appropriateness of the selected mining method(s), the size of the selected mining unit (length, width, height) and other mining parameters including associated design issues such as pre-strip, access, and other associated designations. -The assumptions made regarding geotechnical parameters (For example pit slopes, stope sizes, and other geo technical parameters), grade control and pre-production drilling. -The major assumptions made and Mineral Resource model used for pit optimisation (if appropriate). -The mining dilution factors, mining recovery factors, and minimum mining width used. -The infrastructure requirements of the selected mining methods. Where available, the historic reliability of the performance parameters.
4	Metallurgical factors or assumptions.	-The metallurgical process proposed and the appropriateness of that process to the type of deposit. -The nature, amount and representativeness of metallurgical test work undertaken and the metallurgical recovery factors applied. -Any assumptions or allowances made for deleterious elements. -The existence of any bulk sample or pilot scale test work and the degree to which such samples are representative of the orebody as a whole. -The tonnages and grades reported for Mineral Reserves should state clearly whether these are in respect of material to the plant or after recovery. Comment on existing plant and equipment, including an indication of replacement and salvage value
5	Cost and revenue factors	-The derivation of, or assumptions made, regarding projected capital and operating costs. - The assumptions made regarding revenue including head grade, metal or commodity price exchange rates, transportation and treatment charges, penalties, and other

		revenue factors. - The allowances made for royalties payable, both Government and private. - Basic cash flow inputs for a stated period.
6	Market assessment	-The demand, supply and stock situation for the particular commodity, consumption trends and factors likely to affect supply and demand into the future. -A customer and competitor analysis along with the identification of likely market windows for the product. -Price and volume forecasts and the basis for these forecasts. -For industrial minerals the customer specification, testing and acceptance requirements prior to a supply contract.
7	Other modifying factors	-The effect, if any, of natural risk, infrastructure, environmental, legal, marketing, social or governmental factors on the likely viability of a project and/or on the estimation and classification of the Mineral Reserves. -The status of titles and approvals critical to the viability of the project, such as mining leases, discharge permits, government and statutory approvals. -Environmental descriptions of anticipated liabilities. Location plans of mineral rights and titles.
8	Classification.	-The basis for the classification of the Mineral Reserves into varying confidence categories. - Finalization of estimates of grade wise mineable quantities in contemplation with proposed preliminary mine design/conceptual plan subject to all necessary approvals/contracts have been confirmed or there are reasonable expectations that all such approvals/contracts will be obtained within a reasonable timeframe and with certification that Economic viability is not affected by short-term adverse market conditions provided that longer-term forecasts remain positive.

SCHEDULE C

FORMAT OF BANK GUARANTEE FOR PERFORMANCE SECURITY

[**See rule 6(6)(b)**]

[*Reference number of the bank*] [*Date*]

To

The Governor of [Name of State]
[*address*]

WHEREAS

A. **[Name],** a government [company/corporation]incorporated in India under the Companies Act, (1956/2013) with corporate identity number [CIN of the Applicant], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the "**Applicant**") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [*figures*] (Indian Rupees [*words*]) as a performance security valid until [*date of expiry of performance bank guarantee*] ("**Expiry Date**").

B. The Performance Security is required to be provided to **The Governor of [Name of State]**, (the "**State**") for discharge of certain obligations under the [*reference to the principal documents –mining lease, mine development and production agreement*] dated, [*date*] with respect to [*particulars of concession*] (collectively the "**Concession Document**").

C. We, [***name of the bank***] (the "**Bank**") at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [*figures*] (Indian Rupees [*words*]) ("**Guarantee Amount**") to secure the obligations of the Applicant under the Concession Document on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

NOW, THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the "**Guarantee**") on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein

and notwithstanding any dispute or difference between the State and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Bank to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Applicant to the State under the Concession Document.

3. The Bank hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Applicant and also waives any right that the Bank may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Applicant, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:

(i) vary or modify the terms and conditions of the Concession Document;

(ii) extend or postpone the time for performance of the obligations of the Applicant under the Concession Document, or

(iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Applicant under the terms and conditions of the Concession Document,

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Applicant or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that State at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Applicant.

7. The Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that specified in the Concession Document and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Applicant under or by virtue of the said Concession Document with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the State certifies that the terms and conditions of the Concession Document with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Applicant and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and the State shall have no claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of [respective State].

10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the State. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the State in writing.

12. The State may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the Governor. Save as provided in this clause, this Guarantee shall not by assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein,

(a) the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.

(b) This bank guarantee shall be valid up to the Dateof Expiry.

14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the State serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year].

In witness whereof the Bank, through its authorized officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

SCHEDULE D

FORMAT OF MINING LEASE DEED

[See rule 6(9)(a)]

This deed for grant of a mining lease ("**Lease**") is made by and between the following:

PARTIES:

1 **The Governor of [State]**, acting through [*Department of Mines and Geology of the State*] (the "**State Government**").

AND

2 **[Name of the Lessee]** a government [company/corporation] [incorporated in India under the Companies Act, 2013 with corporate identity number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office]] (the "**Lessee**").

BACKGROUND:

A. The lessee has completed the requirements under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 ("**Act**") and these rules for grant of a mining lease].

B. Accordingly, the State Government is now executing this deed for grant of a lease to the lessee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed.

1. DEFINITIONS.-The expressions used in this lease shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and these rules.

2. GRANT OF LEASE

2.1. The State Government hereby grants the lease to the lessee over an area described in Schedule E ("**Lease Area**") for conducting mining operations for a period of [time period], commencing from [date of commencement] with respect to following mineral(s), [name of the minerals] ("**Minerals**").

2.2. The lease shall be with respect to all those the mines beds/veins seams of the Minerals situated lying and being in or under the Lease Area.

2.3. Subject to the lessee paying the royalties and making other payments required to be paid and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises of the lease area for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the State Government, or any person rightfully claiming under it.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The rights and obligations of the State Government and the lessee shall be as specified in the Act and these rules and the Mine Development and Production Agreement dated [*date*].

3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,

(a) the lessee shall:

(i) at all times comply with the provisions of the Act and these rules and any other applicable law;

(ii) make prompt payment of royalty and any other payment required to be made by the lessee;

IndiaCode

(iii) pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by the lessee in exercise of the powers granted by this lease and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(iv) take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mined land, use of pollution-control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time;

(v) without delay send to the Deputy Commissioner/Collector and the Department, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this lease;

(vi) weigh or cause to be weighed or measured upon some part of the lease area all minerals from time to time won from the lease area, with [number of days] prior notice being given to the Deputy Commissioner/Collector every such measuring or weighing in order that he or some person on his behalf may be present thereat;

(vii) submit to the State Government and the Department a full report of the work done by the lessee and disclose all information acquired by the lessee in the course of the operations carried on under this lease regarding the geology and mineral resources of the area covered by the lease; and

(viii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this deed.

(b) the State Government shall:

(i) have the right to appropriate any performance security provided by the lessee in accordance with terms of such performance security and require the lessee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the lease and fulfilment of all obligations of the lessee, such security deposit shall be returned to the lessee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest; and

(ii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the lessee, but have not been so carried out or performed within the time specified In that behalf, and the lessee shall pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same.

3.3. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the State Government with the consent of the Central Government shall from time to time and at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessee/lessees) forthwith take possession and control of the works, plant, machinery and premises of the Lessee on or in connection with the lease area or the operations under this lease and during such possession or control, the lessee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government or State Government regarding the use of employment of such works, plants, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the State Government shall be paid to the lessee for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.

3.4. Every notice required to be given to the lessee shall be given in writing to such person as may be nominated by the lessee and such nomination shall be informed to the State Government in writing. If no such nomination is made then the notice shall be goven to the lessee by registered post/speed post addressed to the Lessee at the address shown in the application for the lease or at such other address in India as the lessee may designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the lessee and shall not be questioned or challenged by him.

4. GOVERNING LAW

This lease and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. In the event of any dispute in relation to the this lease and in respect of all matters touching the relationship of the lessee

and the State Government, suits of petitions shall be filed in civil courts at [name of the city]) and it is hereby expressly agreed that neither party shall file a suit or appeal or bring any actions at any place other than the courts named above.

In witness whereof there presents have been executed at the [*name of place*] on [*date*].

SCHEDULE E

FORMAT OF APPLICATION FOR REVISION OR PASSING OF ORDER

[**See rule 24(1)**]

To

[*Address*]

I/We submit the following application for revision / passing of an order which has not been passed within the required time period.

S. No.	Details of Item	Particulars
1.	Name of applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide names of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
2.	Address of the Applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide addresses of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
3.	Status of the applicant • Individual • Firm • Other association of individuals • Company	
4.	Purpose of the application (Review of an order passed / Request for passing of an order where such an order has not been passed within the time period specified)	
5.	In case of review of an order, date of communication of the order to the applicant; or In case of request for passing of an order, the date on which the time period for passing such order expired.	
6.	Application fee payable	
7.	Name of bank, demand draft or challan number with date, through which application fee has been paid.	
8.	Mineral or minerals for which the application is filed	
9.	Details of area with respect to which the application in filed	
10.	Whether the application is filed within the specified time period.	Yes/No
11.	If not, the reasons for not presenting it within the specified limit and seeking condonation of delay.	
12.	Name and complete address of the party/parties impleaded	
13.	Number of copies of petition attached (Petition is to be submitted in triplicate if no party is impleaded. Besides these, for each party impleaded one additional copy is to be enclosed)	
14.	Grounds of revision	

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature of the applicant

IndiaCode

Instructions to applicants.-(a)The application must be signed by a duly authorized representative of the applicant, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the application.

(b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the State Government.

SCHEDULE F

NOTICE OF CHANGE IN PARTICULARS

[**See rule 28**]

To

1. Department of Atomic Energy,

 Anushakti Bhawan, Mumbai

2. State Government Concerned

IMPORTANT

Notice in this Form shall be sent so as to reach concerned authorities within sixty days of the date of change in name and address

1. (i) Name(s) of the mineral (s) worked

 (ii) Name(s) of other minerals if any, for which lease has been granted:

2. (i) Name of the mine

 (ii) Change in the name of mines, if any: (Indicate old name and reason of change)

3. (i) Name and address of the lessee/owner:

 (ii) Change in Name and address of the lessee/owner

 (Indicate old name and reason of change)

4. Particulars of the Mining Lease:

 (i) Date of execution:

 (ii)Period: _____ Years, from _____ to_____

 (iii) Areas under lease:_____ hectares/acres

5. Location of the Mining Lease:

 (i) Village_____Distt._____Taluka/Tahsil_____

 (ii) Post Office _____ Police Station _____ Distt._____

 (iii)Nearest railway station _____ Distance _____

 (iv)Nearest Rest House/Dak Bungalow _____

6. Particulars of Agent: Name and address:

7. Particulars of the Manager of the mine: Name and address

8. Particulars of Mining Engineer employed in the mines:

(i) Name and address:

(ii) Qualification :

(iii) Date of appointment :

IndiaCode

(iv) Status of employment: Whole time Part time

9. Letter No. and date through which the mining plan was approved by the Atomic Minerals for Directorate for Exploration and Research

No. of Approval Letter and date of Approval:

10. Any other specific information

Place: Signature :

Date: Name in full:

Designation: Owner/Agent/ Manager/ Mining Engineer

(Strike out the items which are not applicable)

SCHEDULE G

REGISTER OF MINING LEASES

[See rule 32]

S. No.	Details of Item	Particulars
1.	Serial No.	
2.	Name of applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide names of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
3.	Address of the applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide addresses of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
4.	Status of the applicant • Individual • Firm • Other association of individuals • Company	
5.	Date of application	
6.	Date on which application was received by Receiving Officer	
7.	Number and date of grant of lease	
8.	Date of execution of mining lease	
9.	Details of area	
	District	
	Village	
	Taluka	
	Khasra No.	
	Geo co-ordinates of the area as per Differential Geographical Positioning System.	
	Survey of India Toposheet number	

IndiaCode

10.	Mineral (s) for which the mining lease has been granted	
11.	Mineral or minerals added to the mining lease with date	
12.	Extent of the area for which mining lease has been granted (Ha)	
13.	Period for which granted	
14.	Date and period of renewal	
15.	Date of change together with details of change that take place in name, or other particulars of the holder of mining lease.	
16.	Date from which the area is available for re-grant	
17.	Remarks, if any	
18.	Signature of the officer.	

[No. 1/16/2015-M.VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.